खण्ड-396, अंक-5
बुधवार, 30 ज्येष्ठ, शक संवत् 1912
(20 जून, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 396 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1-91
नियम 301 की सूचनायें	92
बाराबंकी जिलान्तर्गत रामनगर थाना के ग्राम मुडियाडीह में हुई हरिजन की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
वाराणसी शहर में जल भराव से उत्पन्न भयावह स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद वाराणसी के पंचकोशी मार्ग में बरुणा नदी पर स्थित जीर्ण-शीर्ण रामेश्वर पुल के नव निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद ललितपुर में लघु सिंचाई विभाग में बोरिंग मशीनों की कमी से किसानों को कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
फैजाबाद जिलान्तर्गत तहसील अकबरपुर के ग्राम लारपुर में भीषण अग्निकांड से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
सहकारी प्रबन्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ से डिप्लोमा धारकों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
बांदा जिला अतर्रा तहसील की पनगरा कोठी से अतर्रा कोठी तक की पटरियां टूटी होने से रजबहों में पानी की कमी से किसानों में आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	96
श्रीमती कमला साहनी द्वारा सदर अस्पताल बस्ती के डाक्टर आदि के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना (जारी)	96
पासी संस्कृति के ऐतिहासिक किले पर एल0 डी0 ए0 द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप सम्बन्धी मामला उठाये जाने का प्रयास	97
श्रीमती कमला साहनी द्वारा सदर अस्पताल बस्ती के डाक्टर आदि के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना	98
श्री सत्य प्रकाश विकल द्वारा श्रम मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना	101
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरः स्थापित किया गया)	113
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	113
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	118

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हेतु समय का निर्धारण	121
जनता पार्टी (जे0पी0) के सदस्य श्री राजधारी द्वारा जनता पार्टी (जे0पी0) का जनता दल में विलय की घोषणा किये जाने की सूचना ..	121
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	121
मेरठ नारी निकेतन में संवासिनियों को बेचे जाने एवं उन्हें प्रताड़ित किये जाने तथा जिला उन्नाव पुरवा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना ..	136
नत्थियां	137-151

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 20 जून, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अख्तर, श्री	गाजियाबाद	बृजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	भूपेन्द्र नाथ शर्मा, श्री	बरेली
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
अरुण प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
असगर, श्री	देवरिया	यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
इन्दल सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी	रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
उमाकान्त बाजपेयी, श्री	फतेहपुर	राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	गाजीपुर
कालीचरण, श्री	मिर्जापुर	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री	इलाहाबाद	राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा	राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
गोवर्धन सिंह, श्री	एटा	रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच	रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
चन्द्र विजय सिंह, श्री	मुरादाबाद	रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बस्ती	विक्रमादित्य, श्री	बलिया
चौधरी शंकर सिंह, श्री	जालौन	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
जफर अली नकवी, श्री	खीरी	वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री	मथुरा	वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
तेजपाल, श्री	बिजनौर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरिद्वार
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थ नगर	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री	उन्नाव
निरवेन्द्र कुमार, श्री	खीरी	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री	सिद्धार्थ नगर	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
बंशीधर, श्री	रामपुर	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बालचन्द्र मिश्रा, श्री	कानपुर	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 20 जून, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में हुई दहेज हत्याओं का विवरण

*1–श्री पंचानन राय

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक जनवरी 30 अप्रैल, 1990 के बीच कितनी दहेज हत्यायें हुई हैं? दहेज हत्याओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

प्रदेश में दिनांक एक जनवरी से 30 अप्रैल, 90 के बीच दहेज हत्याओं की कुल 311 घटनायें दर्ज हुयी हैं।

दहेज प्रथा के निषेध के लिये "दहेज निषेध अधिनियम, 1961" लागू किया गया। दहेज सम्बन्धी विवाद के कारण महिलाओं द्वारा आत्महत्या के प्रयास, संदिग्ध अवस्था में हुयी महिलाओं की मृत्यु आदि की घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित आदेश दिये गये हैं :–

1–विवाहित नवयुवतियों के विवाह के प्रथम 10 वर्षों की अवधि में इस प्रकार की घटनाओं को पुलिस द्वारा गम्भीरतापूर्वक देखा जाय तथा तत्परता से कार्यवाही की जाय।

2–इस प्रकार की घटनाओं की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा न की जाय।

3–पोस्टमार्टम दो चिकित्सकों की टीम द्वारा किया जाय।

4–बिना पोस्ट मार्टम कराये शव के अंतिम संस्कार की अनुमति न दी जाय। यदि पोस्टमार्टम न कराया गया हो तो पुलिस द्वारा "कोई आपत्ति नहीं" प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाय।

5–पुलिस द्वारा उक्त आशय का "कोई आपत्ति नहीं" प्रमाण-पत्र तब तक न दिया जाय, जब तक कि मृत महिला के शव को उसके माता-पिता, अभिभावकों या घनिष्ठ संबंधियों द्वारा देख न लिया जाय।

दहेज के कारण महिलाओं के साथ होने वाली निर्दयता/उनकी हत्या/आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय दण्ड विधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं।

(माननीय मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर तथा सरकारी पक्ष से उत्तर देने के लिए किसी के खड़ा न होने पर)

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, कोई जवाब देने वाला है ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

भारत वर्ष में एक मिनट देर का कोई महत्व है ही नहीं ।

(व्यवधान)

(मा0 मंत्री द्वारा उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, यह संख्या ठीक से पढ़ने में नहीं आ रही है । माननीय मंत्री जी कृपया यह संख्या ठीक से बता दें, कितनी है?

श्री अध्यक्ष–

यह 311 है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इनके शासन के इन 4 महीनों के शासन काल में जो सूचनायें दर्ज हुई हैं, उसके अनुसार 311 सूचनायें हैं। इनमें कितने मामलों में चार्जशीट लगाई गई है, और कितने मामलों के बारे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इनमें 246 हत्यायें तो दहेज के कारण हुई हैं, और 65 आत्म-हत्या की घटनायें हैं इन सारे के सारे 311 प्रकरणों में 228 में विवेचना अभी हो रही है, 83 की जांच पूरी हो गयी है, 58 में चार्जशीट लग चुकी है और 9 में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है 100 में अभियुक्त करार किये जा चुके हैं।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, अभी बताया कि 228 में विवेचना हो रही है अप्रैल का यह सवाल है इसमें जनवरी में भी हत्यायें हुई होंगी जिनकी विवेचना चल रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि 228 में जो विवेचना हो रही है यह कब तक पूरी करा देंगे और जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है उसका क्या कारण है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, विवेचनाओं को जल्दी समाप्त कराने की कोशिश की जायेगी लेकिन जो उसकी विधि है उसे पूरा करने का भी पूरा प्रयास किया जायेगा। 9 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है उसमें अलग-अलग मामलों में गुण दोष के आधार पर फाइनल रिपोर्ट लगाई गयी है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

दहेज के कारण हत्याओं के जो मामले आये हैं वह चिन्ताजनक है इससे जाहिर होता है कि जो कानून बना है वह डिफेक्टिव है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस कानून में संशोधन करके ऐसे उपाय किये जायेंगे जिससे इस प्रकार के मामलों में रोक लग सके।

दूसरा जो शासन द्वारा आदेश दिये गये हैं जिनको मंत्री जी ने पढ़ा है उनको दोहराने की जरूरत नहीं है तो यह आदेश देने से सी0 आर0 पी0 और आई0 पी0 सी0 में कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको बाकायदा संशोधित होना चाहिए। तो क्या उसे संशोधित करेंगे?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 1983 में भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन किया गया और उसमें धारा 498 (क) जोड़ दी गयी जिसके आधार पर तीन वर्ष की सजा और उसके साथ जुर्माने का भी प्राविधान किया गया । इसके अतिरिक्त आई0 पी0 सी0 में 304 (ख) जोड़ दिया गया जिसमें प्राविधान है कि दहेज के हत्या के मामलों में कम से कम 7 वर्ष की सजा इसके अलावा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174, 176 और 198 में भी प्राविधान किया गया है कि धारा 498 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार महिला के जो सगे संबंधी हैं उनकी शिकायत पर और पुलिस रिपोर्ट पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों पर विचार करेंगे उसमें तीन वर्ष की सजा और उसके साथ जुर्माने का भी विधान है और इसे गैरजमानती अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 (क) और (ख) में भी संशोधन किया गया है कि यदि किसी महिला ने आत्महत्या की है दहेज के कारण और ऐसे मामलों में न्यायालय ऐसी कल्पना करता है, तब तो सबूत देने का भाग है वह अभियुक्त पर आता है। इसके अलावा शासन की तरफ से यह पूरी कोशिश की जा रही है कि यह सामाजिक अपराध करने की मानसिकता कम हो । यह किसी दल की बात नहीं है बल्कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक दल की बात है और इसीलिये इसमें सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है कि ऐसे अपराध न हों।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जवाब से स्पष्ट हुआ कि 288 मुकदमों की विवेचना जारी है । जबसे प्रश्न पूछा गया है तबसे आज तक 5-6 महीने की अवधि बीत गयी है और विवेचना जारी है, तो क्या मंत्री जी कोई अवधि, समय सीमा तय करेंगे कि इतने दिनों में विवेचना पूरी हो जायेगी चूंकि 60 दिन की सीमा पार हो गयी है? समय के अंदर विवेचना पूरी नहीं हुई तो क्या विवेचना अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही मंत्री जी करेंगे?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, शासन के आदेश हैं कि ऐसे मामलों की जांच राजपत्रित अधिकारी करें, तो सी0 ओ0 स्तर से जांच होती है, अत: सोचसमझ कर जांच करने की बात है जल्दी में नहीं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन ऐसी नीति कानून बनाने जा रहा है कि दहेज के संबंध में हत्या से पूर्व शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाये जिससे हत्या/आत्महत्या न हो?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

ऐसे मामलों में किसी तरह की लापरवाही न की जाये ऐसा प्रयास शासन की ओर से किया जा रहा है।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, राजनीतिक कारणों से विधवाओं को प्रताड़ित करके घर से निकाल देने के दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही मंत्री जी करेंगे?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस तरह के मामले देंगे तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, महिलाओं को दहेज के कारण पतियों द्वारा मारने पर सुविधाएं मिलती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि पत्नियों द्वारा जो पति मारे जाते हैं उनको सरकार क्या सुविधा देगी?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यदि श्री जूदेव भुक्तभोगी हैं तो बता दें कार्यवाही करेंगे।

प्रदेश में जनसाधारण के लिए आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स देने की नीति

*2–श्री अतीक अहमद तथा श्री मंजूर अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरती हुई शांति व्यवस्था और बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए सरकार जनसाधारण के लिए आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस समाप्त करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जी नहीं। शासन की ऐसी कोई नीति नहीं है।

श्री मंजूर अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से समाज के निर्बल वर्गों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न है उस पर आप ध्यान दें। वह यह है कि जो आग्नेयास्त्रों के बारे में सरकार की नीति है लाइसेंस जारी करने के बारे में, क्या उसको समाप्त करने पर सरकार विचार कर रही है, तो उसका मैंने यह उत्तर दिया कि "जी नहीं"। तो यह प्रश्न आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस समाप्त करने के बारे में है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अभी माननीय मंत्री जी के समक्ष जो प्रश्न उपस्थित किया गया है, उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं, शायद कदाचित हमारे सदस्य की भावना यह रही है कि जन साधारण को सुरक्षा अधिक सुलभ कराई जाए, किन्तु यह उनके लाइसेंस निरस्त करने की बात उठ गई . . .

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, यह तो भाषण दे रहे हैं . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मैं पंचानन राय जी के बारे में जानता हूं वह पांच मिनट बोलते हैं, मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, तो, जो मूल प्रश्न है कि लाइसेंस समाप्त किया जाएगा या नहीं, लेकिन उसकी जो मंशा है, वह यह है कि जन साधारण की सुरक्षा के लिए उसे लाइसेंस दिये जाएं या न दिए जाएं, इस पर मंत्री जी के क्या विचार हैं?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, थोड़ा आप मुझे संरक्षण दें। जो प्रश्न है, वह स्पष्ट है कि इनके लाइसेंस समाप्त करने जा रहे हैं या नहीं, तो सरकार का जवाब है कि नहीं। इसके अलावा वह कुछ जानकारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से हमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और पूरे प्रदेश के अंदर गरीब, मजलूम और बेसहारा लोगों पर अत्याचार और हरिजनों पर अत्याचार और तरह-तरह के अन्याय हो रहे हैं, तो इसके विरुद्ध सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है? तो क्या सरकार उन हरिजनों की सुरक्षा के लिए आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देगी?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, शोर इतना हो गया कि मैं सुन नहीं पाया।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान–

मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह अनुराध करना चाहता हूं कि हम लोग भी कोई भावना लेकर यहां आए हैं हमारी भावना को भी शान्ति से सुना जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में यह जानना चाहता हूं कि जहां-जहां हरिजनों पर अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, जहां गोली मारी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, उन लोगों की सुरक्षा के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? क्या इसके लिए आपकी सरकार उनको लाइसेंस देगी?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जहां-जहां निर्बल वर्गों पर अत्याचार हो रहा है या घटना होगी, सरकार उनकी सुरक्षा का पूरा उपाय करेगी।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, प्रश्न के महत्व को देखते हुए एक प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद जी, अब आप बोलें।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कारागार मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह बात लगातार प्रकाश में आती रही है कि जो यह डकैती, आतंक या अपहरण, बलात्कार में असलहे इस्तेमाल किये जाते हैं उनमें लाइसेंसी नहीं हैं, बल्कि नाजायज असलहे इस्तेमाल किये जाते हैं। दुर्बल वर्ग के लोगों के पास प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है, हरिजनों के पास विशेष रूप से, कमजोर वर्ग के लोगों के पास विशेष रूप से, इसलिए डकैती की संख्या बढ़ी है। डकैतों का आतंक बढ़ा है। मैं जानना चाहूंगा कि डकैतों का आतंक जो पिछले छह महीनों में बढ़ा है, उसको रोकने के लिए क्या आपकी सरकार नीति का सरलीकरण करेगी जिससे यह सब घटनायें बन्द हो सकें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपको समय बाद में दिया जायेगा । मा0 मंत्री जी आप बोलें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह सरासर असत्य है कि डकैतों की संख्या बढ़ी है और यह भी सरासर असत्य है कि निर्बल वर्ग और हरिजनों का मनोबल गिरा है और हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को, लाइसेन्स की सचमुच जरूरत पड़ेगी तो शासन द्वारा दिया जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें। माननीय मंत्री जी अगले प्रश्न का उत्तर दें।

20 जून, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

पनकी पावर हाउस की दोनों बड़ी यूनिटों को चालू किया जाना

*1–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20-2-90 को पनकी पावर हाउस की दो बड़ी यूनिटों के खराब होने का क्या कारण था ? क्या यह दोनों बड़ी यूनिटें ठीक हो गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

पनकी पावर हाउस की दो यूनिटें संख्या–4 तकनीकी खराबी आ जाने के कारण दिनांक 19-2-90 को तथा यूनिट संख्या–3 वायु प्रदूषण संबंधी न्यायालय नोटिस आ जाने के कारण दिनांक 20-2-90 को बन्द कर दी गयी थीं ।

जी हां । यूनिट संख्या–3, 21-2-90 को पुनः चालू हो गयी थी । यूनिट संख्या 4, 22-2-90 को पुनः चालू कर दी गयी थी ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यूनिट संख्या–3 किसके आदेश के कारण बन्द कर दी गयी और इन दो यूनिटों के तीन दिन बन्द रहने के कारण कितने घंटे कितने जनपदों में अंधकार रहा ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, कृपया आप उत्तर दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, पनकी तापघर में 110–110 मेगावाट की दो मशीनें हैं जिनकी क्षमता 105-105 मेगावाट है, जो पनकी का मशीन नम्बर इकाई संख्या–3 है यह 20-2-90 को नौ बजकर 45 मिनट पर चालू कर दी गयी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण कार्य ठीक नहीं कर पाई । फिर 20-2-90 को 11 बजकर 40 मिनट पर इसको फिर बन्द कर दिया गया । फिर 21-2-90 को सात बजे इसको फिर चालू कर दिया गया था । मान्यवर, न्यायिक जांच के आदेश माननीय सदस्य

जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके संबंध में निवेदन है कि जो चिमनी से धुआं निकलता था और उसके कारण जो प्रदूषण पैदा होता था, उसमें न्यायालय द्वारा यह आदेश दिए गये कि इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर जो यन्त्र है, जिसके द्वारा प्रदूषण नियंत्रित होता है, जब तक इसको न लगाया जाए, तब तक इसको बन्द रखा जाए । इसी कारण इस यंत्र को लगाने में छोटा-मोटा प्राविधान किया गया लेकिन यह असफल हुआ । अब इसको देखते हुए कि विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चलती रहे इसको फिर से चला देंगे ।

इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जून में इसको चालू कर दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई परेशानी न हो ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

तीन दिन दो यूनिट के न चलने के कारण कितने घंटे कितने जनपद में अंधकार रहा ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रकरण है कि हमारे माननीय सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है । रविदास मेहरोत्रा जी को लाठी-चार्ज में घायल कर दिया गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ॥

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न काल के बाद आप प्रश्न करें । वैश्य जी आप अपना प्रश्न दोहरा दें सम्भवत: मंत्री जी ने सुना नहीं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, दो यूनिट के दो-तीन दिन तक खराब रहने के कारण कितने जनपदों में कितने घंटे अंधकार रहा ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

मण्डी निदेशक, उ0 प्र0 द्वारा मेरठ मण्डियों की मण्डी शुल्क एवं बिक्रीकर अपवंचन की जांच में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही

*2—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डी निदेशक, उ0 प्र0 द्वारा मेरठ मण्डल की 17 मण्डियों की कृषि विपणन विभाग के माध्यम से मण्डी शुल्क एवं बिक्रीकर अपवंचन की जांच सन् 1988-89 में करायी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कितना कर अपवंचन मण्डी शुल्क और बिक्रीकर का अलग-अलग पाया गया और इस संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त जांच जो प्रदेश की सभी मण्डियों की करायी जाने को थी, को रोकने के क्या कारण थे तथा इसे रोकने हेतु जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कृषि विपणन विभाग को या सरकार को किसी कानूनी जांच के अलावा कहीं से बिक्रीकर अपवंचन की सूचना प्राप्त हुई है कि 17 लाख रुपये का करापवंचन हुआ है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें 17 मंडियों में जांच का मामला है जिसमें 13 की जांच हो चुकी है और 1 करोड़ 25 लाख रुपये शुल्क की बात सामने आयी है । 13 मण्डियों से लगभग 70 लाख रुपये की बिक्री प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं हो सकता है कि कहीं गलत हुआ है क्योंकि मण्डी शुल्क में मामले में बिल्कुल यह नहीं कहा जा सकता है कि 100 फीसदी मामला सही होगा । अगर कोई निश्चित शिकायत आपकी होगी तो इसकी दोबारा जांच करायी जायेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है "जी नहीं" जिसको देखकर मैं परेशान हो गया था । अब आपा कह रहे हैं कि 17 मण्डियों में से 13 में गबन पाया गया है और 70 लाख रुपया वसूल हो गया है । तो क्या जिस अधिकारी ने मण्डियों की जांच कराने से रोका था उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह जांच मण्डी निदेशक द्वारा नहीं बल्कि एक हाईकोर्ट के आदेश के तहत की गयी है ।

श्री किशोरी श्याम–

मंत्रियों द्वारा भयानक करापवंचन हो रहा है यह माननीय मंत्री जी को तथा माननीय सदस्यों को पता होगा ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठें ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के भारी घाटे को देखते हुए ओबरा तापीय परियोजना को प्रौद्योगिक आधार पर एन0 टी0 पी0 सी0/रेनु पावर कम्पनी सोनभद्र को देने की मांग

*3–श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सन् 1989 में कितने रुपए के घाटे में थी और इस समय 1990 में कितने घाटे में चल रही है ? क्या सरकार उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के बराबर बढ़ते हुए घाटे को देखते हुए ओबरा तापीय परियोजना को प्रौद्योगिक आधार पर 5 वर्ष के लिए एन0 टी0 पी0 सी0 या रेनु पावर कम्पनी, सोनभद्र के प्रबन्ध में देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

31-3-80 को समाप्त होने वाले वर्ष तक उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का कुल संचयी घाटा रु0 159.46 करोड़ था ।

31-3-90 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और इसके पूर्ण होने के पश्चात ही वार्षिक घाटे को इंगित करना सम्भव होगा ।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया परन्तु प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर)

डा0 सदस्य–

मा0 मुझे इजाजत दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठिये ।

जिला गोण्डा में दुर्जनपुर घाट के पास ग्राम सभा अकबरपुर के ग्रामवासियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जलाने पर कार्यवाही की मांग

*4–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला गोण्डा में दुर्जनपुर घाट के पास ग्राम सभा अकबरपुर में 2-3-90 को राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) को कुछ लोगों ने ग्रामवासियों के सामने जलाया ? क्या यह सही है कि इसके विरोध में हजारों लोगों ने जिलाधिकारी व परगनाधिकारी के यहां दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हेतु धरना दिया? यदि हां, तो शासन ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2-3-1990 को ग्राम सभा अकबरपुर, जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय ध्वज को जलाने की कोई घटना घटित नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी घटना नहीं हुई । जबकि तिरंगा को जलाया गया है और ऐसी घटना हुई है ? क्या इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जो शासन को सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर यह पता चला कि यह घटना निराधार और असत्य है । इस बात की जानकारी करायी गयी थी और यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान बुद्धिसागर और महातमदीन का जो लड़का था उसमें रंजिश थी, झगड़ा था और एक दिन बुद्धिसागर ने महातमदीन के लड़के को पिटवा दिया जिसकी रिपोर्ट महातमदीन ने थाने में करवायी थी और उसके बाद बुद्धिसागर ने भी रिपोर्ट लिखायी जिसकी जांच करायी गयी और विवेचना से पूरा-पूरा मामला असत्य पाया गया। अगर माननीय सदस्य को कोई जानकारी है तो निवेदन है कि इस बात की जांच कर लें और मौके पर जाकर पता कर लें तब बतायें । तब आप मिल लीजियेगा तो आपको सन्तुष्ट कर दिया जायगा ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा झण्डा) जलाया जाना बहुत व्यापक मामला है। मान्यवर, माननीय सदस्य की जानकारी को सही मानकर उसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करा दें, उसमें क्या हर्ज है ?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जो गलत सूचना आयी है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

नागरिकों को हथियारों का लाइसेंस देने तथा नवीनीकरण करने की नीति निर्धारित करने की मांग

*5–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिकों को हथियारों का लाइसेंस देने तथा लाइसेंसों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार के परामर्श से नई नीति निर्धारित कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आयुध नियमावली, 1962 में अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 1990 द्वारा किये गये संशोधन के पश्चात् जिला मैजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के आवेदकों को जिला/राज्य की सीमा के लिये वैध अनिषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस जारी कर सकते हैं । इस संशोधन के पश्चात् पूरे भारतवर्ष के लिए वैध लाइसेंस प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं ।

इस संशोधन के फलस्वरूप स्वचालित तथा अर्द्धस्वचालित शस्त्रों को छोड़कर अनिषिद्ध बोर के शस्त्रों के लाइसेंस का जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नवीनीकरण किया जाता है ।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में और खासकर वाराणसी जिले में जहां के मंत्री जी रहने वाले हैं, 5 वर्ष से लेकर, बल्कि उससे ऊपर आज तक हजारों लाइसेंस लेने के लिए दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं और जिला-धीश उनको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जानकारी कर लेंगे ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके यहां डकैतियां पड़ गयीं या आपसी रंजिश से जिनके घर पर मर्डर हो गया, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए, उनको प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस देने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 11 अप्रैल, 1990 को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि जिनके घरों में डकैतियां पड़ गयी हों या जो किसी गहन अपराध में पीड़ित पाये जायं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से आग्नेयास्त्र के लाइसेंस जारी किये जायं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह वाराणसी का मामला है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

यह मान्यवर, पूरे प्रदेश का मामला है ।

श्री कल्यान सिंह–

यह मामला मान्यवर, पूरे प्रदेश से संबंधित है ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा कि जिनके घरों में डकैतियां पड़ गयी हों, या जिनके घर डकैतियों में मृत्यु हो गयी हो, जिलाधिकारियों के आदेश दे दिये हैं कि उन्हें लाइसेंस दे दिये जायं ? क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है कि डकैती की फर्जी रिपोर्ट पुलिस थाने में की जाती है और उस फर्जी रिपोर्ट के आधार पर थाना और अपराधी मिल कर इस तरह के लाइसेंस लेते हैं और लाइसेंस किसी शरीफ आदमी को नहीं मिल पा रहा है? मान्यवर, यह नीति पुरानी सरकार के जमाने से चली आ रही है। क्या माननीय मंत्री जी इस नीति के सुधार लाने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय सदस्य, चिरई गांव (वाराणसी) को अगर ऐसी जानकारी है कि फर्जी रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस दिये जा रहे हैं, तो वह इसकी सूचना दें और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । या फिर इस तरह का कोई अपराध उसके खिलाफ किया गया हो कि वह सचमुच पीड़ित हो। तो जिलाधिकारियों को स्पष्ट तौर पर इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए कार्यवाही की जाय ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाइसेंस देने की सरकार की स्पष्ट नीति क्या है, मानक क्या है और सभ्रान्त नागरिकों को सर्वसाधारण को भी उनकी आख्या आने के बाद सभी को लाइसेंस देने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में 24 जनवरी, 1989 को भारत सरकार ने आयुध नियमावली में संशोधन करके यह प्रतिबन्ध लगा दिया था कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और पूरे देश में केन्द्र सरकार और राज्य अगर पूर्वानुमति ले लेती है (व्यवधान) उनके नवीनीकरण और उनके लाइसेन्स के लिए

एक नया प्रतिबन्ध लगाया था और उसके बाद मार्च, 1990 में जब यहां विधान सभा में सवाल उठा और सारे सदस्यों की भावना से केन्द्र सरकार को अवगत करा दिया गया तो यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया अब नवीनीकरण के संबंध में जिलाधिकारी जिला, राज्य और देश के पूरे देश के लिए नवीनीकरण का कार्य कर सकता है जहां तक नये लाइसेंस देने की बात है तो वह जिलाधिकारी राज्य स्तर तक लाइसेंस दे सकता है और देश के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनुमति लेकर कर सकती है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, सर्वसाधारण और सभ्रांत नागरिकों के लिए कब तक आने पर लाइसेंस देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह सर्वसाधारण के लिए ही उत्तर दिया है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

यह सर्वसाधारण के लिए उत्तर नहीं दिया है । मेरा प्रश्न दूसरा है और उत्तर दूसरा आ रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, सर्वसाधारण व्यक्ति को आप लाइसेंस देंगे या नहीं, बता दें ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, यह चुनावी भाषण न दें । आप क्या कह रहे हैं यह बता दें ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

सवाल पूंछ लिया है तो उत्तर सुनने का भी धीरज रखें ।

मान्यवर, अभी तक 4 तरह के नागरिकों को व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए सामान्य तौर पर निर्देश दिये गये थे । बैंक और अर्धशासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं की सुरक्षा के लिए, सेन्ट्रल इक्साइज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जो छापा डालने एवं तश्करों को पकड़ने के कार्य से सम्बद्ध हों । (व्यवधान) आप सुने तो विधान सभा, विधान परिषद् का सदस्य जिनका आपराधिक इतिहास न हो मान्यवर,, जिन व्यक्तियों के यहां डकैती पड़ चुकी है, लूट हो चुकी है, हत्या हो चुकी है या जघन्य अपराध हो चुका है या ऐसे लाइसेंसी जो अपनी वृद्धावस्था के कारण या शारीरिक असमर्थता के कारण अस्त्र चलाने में असमर्थ हैं या जिनको शासकीय कार्य हेतु आग्नेयास्त्र की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस देने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने पूरी श्रेणी पढ़ दी है । आप निकाल लीजिये ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, केवल मंत्रियों को संरक्षण न दें (व्यवधान) मेरा प्रश्न है कि सर्वसाधारण के लिए और सम्मानित नागरिकों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था करेंगे कि नहीं । क्या इस पर विचार कर रहे हैं । या तो कह दें कि कोई विचार नहीं कर रहे हैं । आप हमें संरक्षण दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप जिद कर रहे हैं । आपके प्रश्न का 3 बार उत्तर दे दिया गया है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

(व्यवधान के मध्य) सर्वसाधारण के लिए क्या करने जा रहे हैं ? आप संतुष्ट हों तो मैं बैठा जा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि आग्नेयास्त्रों का लाइसेंस देने के लिए इस सदन में एक दिन खुल कर चर्चा हो चुकी है । उसमें दो बिन्दुओं पर विचार हुआ था । लाइसेंसों के नवीनीकरण पर और सर्वसाधारण जनता को उनका चरित्र प्रमाणित करने के बाद उदारतापूर्वक लाइसेंस देने पर सरकार की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार से प्रतिबन्ध लगा है, इसलिए जब तक वहां से निर्देश नहीं मिल जाते तब तक कुछ नहीं कर सकते । यह भी आश्वासन दिया गया कि सदन की इन भावनाओं से केन्द्र को अवगत करायेंगे । उनमें से एक की आंशिक पूर्ति हुई है । जिलों के लाइसेंसों का जो नवीनीकरण किया जा रहा है, जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया गया है कि वे उत्तर प्रदेश की सीमा तक नवीनीकरण कर सकते हैं । पूरे भारत के नवीनीकरण के लिए अभी भी प्रदेश सरकार के पास आना पड़ेगा । यह आंशिक पूर्ति हुई है । मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि मुझे खेद है कि शतरुद्र प्रकाश जी जैसे स्पष्टवादी मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं और गोलमटोल उत्तर दे रहे हैं । उनसे ऐसी आशा नहीं करता था । इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के आवेदकों का लाइसेंस देने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, तो निर्धारित श्रेणी के लाइसेंस तो पहले भी मिल जाते थे । प्रश्न यह है कि किसी भी नागरिक की जान-माल की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है, लेकिन इसके साथ-साथ किसी भी अच्छे नागरिक को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेने का अधिकार है । इन श्रेणियों में तो जन-साधारण आता नहीं है । मूल प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के जन साधारण के लिए, जिनका चरित्र उत्तम हो, चाल चलन उत्तम हो, पुलिस द्वारा वेरीफिकेशन करा लिया गया हो, ऐसे आम नागरिकों के लिए पहले की भांति सरकार जिलाधिकारी को लाइसेंस देने का अधिकार देगी या नहीं । लिखित उत्तर में मंत्री जी ने कह दिया कि निर्धारित श्रेणी के लोगों को लाइसेंस देंगे । जो मौखिक उत्तर दिया उसमें जिक्र किया कि सभी नागरिकों को लाइसेंस देने का अधिकार दे दिए हैं । इन दोनों बातों से दुविधा की स्थिति पैदा कर दी है । क्या सरकार सर्वसाधारण जनता को, अच्छे नागरिकों को, जो अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, लाइसेंस देने पर विचार करेगी, जिलाधिकारी को इस आशय के अधिकार दिये जायेंगे ? मान्यवर, यह किसी एक पक्ष का सवाल है नहीं, मैं समझता हूं कि सभी सम्मानित सदस्य

इससे संबंधित हैं और इससे पीड़ित भी हैं । आम जनता को लाइसेंस देने का अधिकार जिलाधिकारियों को यह सरकार देगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय कल्याण सिंह जी ऐसा है कि जहां तक माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है उससे केवल यही बात स्पष्ट हुई है कि इन-इन श्रेणियों के लिए निर्देश दे दिए गये हैं और इनको लाइसेंस दिये जा सकते हैं । इसका तात्पर्य यह भी है कि इन श्रेणियों में जो नहीं आते हैं उनको लाइसेंस नहीं दिये जा सकते हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं । आपने एक प्रश्न किया, इसी से सम्बन्धित माननीय उपाध्याय जी ने भी प्रश्न पूछा था, तो उसका तात्पर्य मैंने बता दिया । माननीय मंत्री जी शासन के मंत्री हैं, शासन की क्या नीति है, इन प्रश्नों का उत्तर देते समय पुनः स्पष्ट कर दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सरकार की मंशा सदन में किसी भी ऐसे तरह के बयान देने की नहीं है जिससे कोई सदस्य गुमराह हो । माननीय कल्याण सिंह जी ने स्वीकार किया कि काफी विसंगति दूर हो गयी है । जहां तक प्रश्न हथियारों के लाइसेंस देने का है तो यह साफ कर दिया गया है कि हथियारों के लाइसेंस, जो पीड़ित हैं, जो किसी जुल्म के शिकार हुए हैं, किसी अपराध के शिकार हुए हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, इस तरह के तमाम लोगों को व्यक्तियों को लाइसेंस देने के मामले में स्पष्ट कर दिया गया है और इसके अलावा मान्यवर, अगर किसी तरह का सुझाव माननीय सदस्य देना चाहें तो सरकार उस सुझाव पर विचार कर सकती है ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आप या तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें या इसका स्पष्ट उत्तर दिलवा दें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर नहीं आया है, स्पष्ट उत्तर दिलवायें ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आप हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, आप इसे स्थगित करें या इसका स्पष्ट उत्तर दिलवा दें । यह उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों की सुरक्षा की बात है, मान्यवर, आप हम लोगों को संरक्षण दें । माननीय मंत्री जी ने इस पर स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है, इसलिए मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, एक अंतिम प्रश्न मेरा सुन लें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर नहीं आया है, सुन लें ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सुन तो लें, यह उत्तर इस बात से स्पष्ट है कि जो श्रेणी आपने बतायी है उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे । आप लोग मेरी बात तो सुनें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, हम लोगों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

एक ओर आपकी मान्यता है कि अध्यक्ष पीठ से जो निर्णय दिया जाय, उसे स्वीकार करना चाहिए । तो जब मैं एक निर्णय दे रहा हूं और मंत्री जी के उत्तर से बिल्कुल स्पष्ट है कि इस श्रेणी के अतिरिक्त अन्य के लिए लाइसेन्स मान्य नहीं है ।

(पुनः विरोध पक्ष के सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए आप इस पर चर्चा करा लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मंत्री जी ने स्पष्ट तो कर दिया है ।

(इस पर बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य एक साथ सदन के फ्लोर पर आ गये और जोर-जोर से बोलने लगे तथा इस पर चर्चा की मांग करने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा के लिए आप लिखकर दे दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

इस पर चर्चा होनी चाहिये । मैं मौखिक सूचना दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–49 के अंतर्गत जो बात लिखकर आप लोग दे देंगे, उस पर चर्चा करने के लिए विचार होगा । मौखिक देने का नियम नहीं है, आप लिखकर दे दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं लिखित सूचना देने की मौखिक सूचना दे रहा हूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस पर दो घंटे की चर्चा करा लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

विकल जी, आप भी लिखकर दे दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपको लिखकर दे रहा हूं ।

मान्यवर, चूंकि उत्तर स्पष्ट नहीं आया है, इसलिए आप इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दीजिए ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

जनपद मथुरा में इलेक्ट्रानिक कारखाने लगाने एवं ट्रेपीजियम की दूरी (परिधि) केन्द्र सरकार से कम करने सम्बन्धी कार्यवाही

*6–श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार की जानकारी में है कि ताज ट्रेपेंजियम के कारण आगरा से 74 कि0मी0 की परिधि में धुआं निकालने वाले उद्योग नहीं लगाए जा सकते हैं ? यदि हां, तो मथुरा जनपद के विकास के लिए उद्योग विभाग कौन-कौन से इलेक्ट्रानिक कारखाने लगाने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने ट्रेपेंजियम की दूरी (परिधि) 50 कि0मी0 किए जाने की संस्तुति केन्द्र सरकार से की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां ।

उद्योग विभाग द्वारा स्वयं कोई उद्योग नहीं लगाया जाता है वरन् उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है । मथुरा जनपद में दो निजी इकाइयों द्वारा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाने का उत्पादन कार्यक्रम उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

जी नहीं ।

आगरा-मथुरा ट्रेपेंजियम निर्धारण भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर किया जाता है । ट्रेपेंजियम की दूरी (परिधि) को कम करना अथवा बढ़ाया जाना भारत सरकार के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है ।

वेटनरी फार्मेसिस्ट संवर्ग उ0 प्र0 का वेतनमान स्वास्थ्य विभाग के फार्मेसिस्टों के बराबर किये जाने की मांग

*7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री उमा नाथ सिंह (अनुपस्थित)–

पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वेटनरी फार्मेसिस्ट संवर्ग उ0 प्र0 को सम्प्रति दिया जाने वाला वेतनमान स्वास्थ्य विभाग के फार्मेसिस्टों की तुलना में कम है जबकि दोनों संवर्गों के वेतनमानों में सन् 1962 से 1987 तक समानता चली आ रही थी ? दोनों संवर्गों में शैक्षिक योग्यता तथा कार्य दायित्व एक है, की समानता को देखते हुए क्या सरकार वेटनरी फार्मेसिस्टों को वही वेतनमान देने की कृपा करेगी जो स्वास्थ्य विभाग के फार्मेसिस्टों को दिया जा रहा है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

कृषि निदेशक के आदेश द्वारा खेती हेतु चिलेटेड जिंक क्रय किया जाना तथा शासन द्वारा खेती में प्रयोग पर कथित रोक

*8–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को चिलेटेड जिंक को क्रय करने का आदेश वर्ष 1989-90 में निर्गत किया था जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए की चिलेटेड जिंक सरकार ने खरीदी ?यदि हां, तो क्या उसका प्रयोग हुआ और उससे खेती में क्या सुधार आया ? क्या यह सही है कि शासन ने उक्त जिंक के खेती में प्रयोग पर रोक लगा दी थी ? यदि हां, तो इस रोक के बाद इतनी बड़ी खरीद किसलिए की गयी ? क्या सरकार इस अवैध खरीद और निरर्थक जिंक के क्रय के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

चिलेटेड जिंक कृषकों को वितरण हेतु कृषि विभाग के बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध कराया गया था । विस्तारित चिलेटेड जिंक के प्रयोग से खेती में लाभ का आंकलन उपलब्ध नहीं है ।

शासन ने चिलेटेड जिंक के खेती में प्रयोग पर रोक नहीं लगाई थी बल्कि इसका प्रयोग केवल प्रयोगात्मक तौर पर करने के निर्देश दिए थे ।

शासन द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराई जा रही है तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथास्थिति समुचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं श्री ऋषि राम शर्मा, कृषि निदेशक, उर्वरक नियंत्रक, उत्तर प्रदेश का एक आदेश संख्या एफ0 एम0/एफ0सी0 ओ/2712, दिनांक 17 जुलाई, 1985 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में भेजा गया है । उसमें लिखा है कि "निदेशालय स्तर पर जानकारी में आया है कि प्रदेश में जिंक का विक्रय चिलेटेड जिंक के नाम से विभिन्न प्रतिशत जिंक के साथ, जो 21 प्रतिशत से कम है, किया जा रहा है । भूमि में जिंक की कमी की पूर्ति हेतु सल्फेट उर्वरक, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1953 के अन्तर्गत अनुसूचित है । उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा–13(1)(ए) के अनुसार कोई भी उर्वरक जो निर्धारित मानक का नहीं है, उसकी बिक्री प्रतिबन्धित है । साथ ही उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा–13(ख)(1) के अनुसार भी उक्त जिंक सल्फेट उर्वरक की नकल, स्थानापन्न, मिथ्या या भ्रामक वस्तु का विक्रय करना प्रतिबन्धित है । उपरोक्तानुसार उक्त चिलेटेड जिंक का विक्रय व्यवसाय अनियमित है । इससे कृषकों को भ्रम उत्पन्न होता है एवं वांछित स्तर तक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है । अतः जनसाधारण के हित में चिलेटेड जिंक का विक्रय व्यवसाय उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाता है । इस आदेश के रहते हुए भी करोड़ों रुपये की चिलेटेड जिंक खरीदा गया है, जिसके इस्तेमाल से किसानों के खेतों की उर्वरक क्षमता नहीं बढ़ती है । इस-

लिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जिंक क्यों खरीदा गया ? जिन अधिकारियों ने, इस आदेश के रहते हुए, इसे खरीदा, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इसका माननीय मंत्री जी स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, गलती से प्रश्न संख्या–8 के बजाय प्रश्न संख्या-7 का जवाब दे दिया था । प्रश्न संख्या–8 का उत्तर यह है ।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जो मैंने पूछा है, मैं तो उसका उत्तर जानना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी प्रश्न को देखते नहीं हैं, उत्तर देने के लिए खड़े हो जाते हैं, यह बहुत ही दुख की बात है ।

(श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा प्रश्न संख्या–8 का लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय सदस्य की जो शिकायत है वह सही है लेकिन इसमें कहना इतना है कि यह आम कृषकों को देने के लिए नहीं था केवल प्रयोगात्मक रूप से इस्तेमाल के लिये खरीदा गया था किन्तु राज कृषि प्रक्षेत्रों तथा प्रदर्शनों में इस्तेमाल के लिये जितना खरीदा जाना चाहिए था, उससे कहीं भारी मात्रा में 3 करोड़ रुपये का वह खरीदा गया है । जांच चल रही है बहुत सी चीजें सामने आने की सम्भावना है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैंने आपके सामने अध्यादेश पढ़ा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चिलेटेड, जिसका प्रयोग प्रतिबंधित है, इनका प्रयोग राज्य की कृषि प्रक्षेत्रों में किया गया, उसका परिणाम नहीं आया लेकिन राज्य सरकार ने 3 करोड़ रु0 से अधिक का चिलेटेड खरीद लिया और जिला कृषि अधिकारियों के गोदामों में बिक्री के लिए दे दिया गया है, इस पर 50 प्रतिशत का अनुदान और है, 3 करोड़ रुपया वह और अनुदान की राशि, करीब 5 करोड़ रु0 का घपला है । आज प्रदेश के हर जिले में लाखों रुपए के चिलेटेड पड़ा हुआ है । किसान के नाम का अनुदान अधिकारी खा रहे हैं । इतने बड़े घपले के बाद उन अधिकारियों को बचाने का काम किया गया है या उनकी पदोन्नति की गयी ? नियंत्रक, जिसने यह आदेश जारी किया, उसके खिलाफ सस्पेन्शन की कार्यवाही क्यों नही की गयी ? आज 50 प्रतिशत अनुदान से लिया गया सामान हर जिले में पड़ा है, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि गम्भीर मामला है । पिछले वर्ष ही निर्णय लिया गया था, खरीफ की फसल जब दूसरी आयेगी तब अन्दाजा लग पायेगा कि स्थिति क्या है । मैंने अर्ज किया कि सतर्कता विभाग द्वारा जांच चल रही है । यह तो कहना सही होगा कि जांच की रिपोर्ट के लिए सिफारिश करें या जल्द आ जाय लेकिन समयबद्ध रूप से नहीं कह सकते हैं कि इतने समय में आ जायगी और कार्यवाही हो जायगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

यह तो स्पष्ट है कि आदेश जारी किये गये और चीज खरीदी गयी, बिक्री नहीं हुई, यह तो पेपर से ही स्पष्ट है, फिर उसको ससपेण्ड करने में क्या कठिनाई है ?

(घोर व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच कौन-कौन से बिन्दु पर चल रही है और जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं और जांच की रिपोर्ट कब तक लायी जायेगी । जो संबंधित अधिकारी खरीद में शामिल थे उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जांच का एक ही बिन्दु है कि इसके इतने अधिक मात्रा में खरीदे जाने की क्या आवश्यकता थी । जांच चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है । जांच का तो कोई समयबद्ध कार्यक्रम होता नहीं है । जांच की रिपोर्ट जल्द आने के लिए आदेश दिये गये हैं और खरीददारी करने वाले अधिकारी को हटा दिया गया है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी मा0 वर्मा जी ने कहा है कि जो बात स्पष्ट हो गयी है कि निदेशक के ही परिपत्र द्वारा खरीददारी की गई और उसी के आदेश द्वारा चिलेटेड जिंक कृषकों को वितरण हेतु कृषि विभाग के बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध कराया गया । इसके बावजूद दो करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया । जो बात सही है और मा0 मंत्री जी भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, जब उसी अधिकारी ने दोनों काम किया है तो फिर इसमें जांच कराने की कौन सी आवश्यकता है ? मैं जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी बिना लीपापोती किये हुए जो बात सत्य है उसके बावजूद निदेशक को निलम्बन के आदेश देंगे या नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मामला तो बहुत गम्भीर है, इस अधिकारी को पहले ही हटा दिया गया है । जांच सतर्कता विभाग द्वारा चल रही है और जब तक जांच सतर्कता विभाग द्वारा चल रही है तब तक उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती है । सतर्कता विभाग से रिपोर्ट आ जाने के बाद किसी तरह की कोई रियायत नहीं होगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया मुझे एक प्रश्न और पूछ लेने दें । माननीय मंत्री जी आपसे सिर्फ इतना सीधा सा सवाल है कि जो जिले के ट्रेडक्वाटर पर खाद पड़ी हुई है क्या आप उसकी बिक्री रोकेंगे ? जो जिंक जिलों में बिक्री के लिए पड़ा हुआ है उसको आप प्रतिबन्धित करेंगे या नहीं ? क्योंकि नहीं तो बाद में उसे फर्जी दिखा कर रद्द कर देंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बहुत कम मात्रा में खरीदी गयी है । मान्यवर, यह मामला भी दिखवा लेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

सीधा-सीधा सवाल है आप सीधी-सीधी बात करिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय सदस्यों की मांग बिल्कुल सही है, इसको दिखवा लेंगे ।

शहीद अक्षयवर मल्ल की हत्या की खुफिया जांच रिपोर्ट और उसकी विवेचना

*9–**श्री रविदास मेहरोत्रा (अनुपस्थित)–**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 29 दिसम्बर, 1988 को विधान भवन के समक्ष पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज में शहीद अक्षयवर मल्ल की हत्या की खुफिया जांच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी? क्या आयोग की इस संबंध में विधिक रिपोर्ट भी प्राप्त हो गयी? यदि हां, तो इन रिपोर्टों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । स्वर्गीय श्री अक्षयवर मल्ल के सम्बन्ध में प्राथमिक चिकित्सा करने वाले, शव विच्छेदन करने वाले चिकित्सकों तथा विसिरा विधि विशेषज्ञ से प्राप्त रपटों में विरोधाभास होने के कारण प्रश्नगत हत्या की विवेचना पुनः अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के केन्द्रीय अन्वेषण खण्ड (सी0 आई0 एस0) से कराई जा रही है ।

विवेचना अभी प्रचलित है ।

(प्रश्न संख्या 9 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री पंचानन राय–

अक्षयवर मल्ल को पुलिस ने बन्द कर दिया । पुलिस के खिलाफ सवाल उठाया जायेगा तो वर्तमान शासन में लाठी चलेगी? इसी बात से यह प्रश्न समाप्त हो गया ।

प्रदेश में बिजली की प्रति यूनिट उत्पादन व्यय

*10–**श्री कृष्ण कुमार नवमान–**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली का प्रति यूनिट उत्पादन व्यय क्या है तथा हिन्डालको तथा बिजली प्रदेश को बिजली किस दर पर दी जा रही है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

वर्तमान में प्रति यूनिट बिजली उत्पादन का औसत व्यय 62.22 पैसे है ।

मेसर्स हिन्डालको रेनूकूट के साथ विद्युत आपूर्ति हेतु 24-2-88 को पांच वर्षों के लिये एक अनुबन्ध किया गया है जो कि दिनांक 30-6-85 से 29-6-90 तक प्रभावी है । उक्त अनुबन्ध में "मेन सप्लाई" एवं स्टैण्डबाई इमर्जेन्सी असिस्टेन्स सप्लाई का प्राविधान है । उपरोक्त दो प्रकार की विद्युत आपूर्तियों की विद्युत दरें निम्नवत् हैं:–

(अ) मेन सप्लाई (10 मेगावाट)	**परिषद् के बड़े एवं भारी औद्योगिक उपभोक्ताओं पर समय-समय पर लागू दर (वर्तमान समय में एच0वी0-2) । डिमांड को किलोवाट से के0वी0ए0 में बदलने के लिये पावर फैक्टर 0.9 लिये जाने का प्राविधान है ।**

(1) डिमाण्ड चार्जेज	रुपए 95 प्रति के0 वी0 ए0 प्रति माह
(2) यूनिट दर	98 पैसे प्रति यूनिट ।
	(यह दर दिनांक 17-10-89 से प्रभावी है)
(ब) स्टैण्डबाई इमरजेन्सी असिस्टेन्स सप्लाई	परिषद् के सामान्य भारी औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू दर (वर्तमान समय में एच0 वी0-2) साप्ताहिक आधार पर डिमाण्ड को किलोवाट से के0 वी0 ए0 में बदलने के लिये पावर फैक्टर 0.9 लिया जायेगा ।
(1) डिमाण्ड चार्जेज	$95.00 \times 1/4 = 23.75$ (रुपये 23.75 प्रति के0 वी0 ए0 प्रति सप्ताह)
(2) यूनिट दर	98 पैसा प्रति यूनिट 6 पैसा प्रति यूनिट

वर्तमान अनुबन्ध में यह भी प्राविधान है कि स्टैण्डबाई इमर्जेन्सी सप्लाई के लिये मेसर्स हिन्डालको द्वारा 5.86 करोड़ रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष मिनिमम डिमाण्ड चार्जेज के रूप में देय होगी, एवं इस विद्युत आपूर्ति के अन्तर्गत 120 मिलियन्स यूनिट की विद्युत आपूर्ति प्रति वर्ष की जायेगी । इससे अधिक विद्युत आपूर्ति किये जाने पर 5 पैसे प्रति यूनिट उपरोक्त यूनिट दर के अतिरिक्त लिये जाने का प्राविधान भी है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त दोनों विद्युत आपूर्तियों पर अन्य बड़े एवं भारी औद्योगिक उपभोक्ताओं की भांति समय-समय पर प्रभावी ईंधन अधिभार, विद्युत कर आदि भी देय है । 132 के0वी0 वोल्टेज के प्रणाली पर विद्युत आपूर्ति होने के कारण डिमाण्ड चार्जेज एवं यूनिट दर पर 7.5 प्रतिशत छूट भी अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं की भांति हिन्डालकों को अनुमन्य है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिल्ली महानगर को विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती है ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

यह जो दर माननीय मंत्री जी ने बताई है, प्रति यूनिट व्यय की, यह पूरे देश में जो विद्युत उत्पादन व्यय है, उससे सर्वाधिक है, ऐसा क्यों है और क्या इतनी विद्युत उत्पादन व्यय होते हुये प्रदेश के विकास की आशा की जा सकती है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो प्रदेश में विद्युत दर है यह उत्पादन लागत है और इसमें ईंधन व्यय, अधिष्ठान व्यय, परिचालन व्यय, ह्रास एवं ब्याज सम्मिलित है । ईंधन व्यय, तापीय विद्युत में 43.18 पैसे प्रति यूनिट और जल तापीय विद्युत में 32.15 पैसे प्रति यूनिट । अधिष्ठान एवं प्रशासन व्यय जल विद्युत में 3.09 पैसे प्रति यूनिट, तापीय विद्युत में 4.63 पैसे प्रति यूनिट और जल तापीय विद्युत में 4.24 पैसे प्रति यूनिट । परिचालन एवं रख रखाव व्यय जल विद्युत में 3.68 पैसे प्रति यूनिट, तापीय विद्युत में 5.80 पैसे प्रति यूनिट और जल तापीय विद्युत में 5.26 पैसे प्रति यूनिट । ह्रास जल विद्युत में 3.31 प्रति यूनिट और तापीय विद्युत में 3.08 पैसे प्रति यूनिट और जल तापीय विद्युत में

3.14 पैसे प्रति यूनिट । ब्याज जल विद्युत में 20.59 पैसे प्रति यूनिट, तापीय विद्युत में 16.34 पैसे प्रति यूनिट और जल तापीय विद्युत में 17.43 पैसे प्रति यूनिट। इस प्रकार से कुल योग जल विद्युत में 30.67 पैसे प्रति यूनिट, तापीय विद्युत में 73.03 पैसे प्रति यूनिट और जल तापीय विद्युत में 62.22 पैसे प्रति यूनिट लागत आती है ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मैं यह सारा विवरण नहीं चाहता था । मैं यह जानना चाहता था कि हमारे प्रदेश की विद्युत उत्पादन लागत की दर सारे देश से अधिक है, तो इसका क्या कारण है और क्या इसके अधिक रहते प्रदेश का विकास संभव है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

जनपद ललितपुर के ग्राम भुचेरा के निवासी श्री वीर सिंह की पुत्री कु0 मीरा का ग्राम प्रधान चांदरा द्वारा अपहरण

*11–श्री अरविन्द कुमार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भुचेरा, जिला-ललितपुर, निवासी श्री वीर सिंह की पुत्री कु0 मीरा, जिसकी स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार आयु पन्द्रह वर्ष है, का अपहरण ग्राम प्रधान चांदरा द्वारा दिनांक 8 जून, 1989 की रात में किया गया? क्या स्थानीय पुलिस की उपेक्षा के कारण श्री वीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक ललितपुर को दिनांक 12-6-89 को एक प्रार्थना-पत्र देकर उस अवयस्क लड़की को मुक्त कराने की प्रार्थना की? यदि हां, तो उक्त घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? उक्त लड़की को अपहरण कर्ता से मुक्त कराकर कब तक उसके पिता को सौंप दिया जाएगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वीर सिंह निवासी भुचेरा थाना ताल बेहट जनपद ललितपुर ने दिनांक 12-6-89 को पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया कि दिनांक 8-6-89 की रात्रि में जब प्रार्थी की पुत्री मीरा, उम्र लगभग 15 साल, श्री राम सिंह के घर पर टी0 वी0 देखकर वापस अपने घर लौट रही थी, तो रास्ते में केहर सिंह तथा अन्य चार व्यक्ति उसे डरा धमकाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गये । इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी से करायी गयी जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी । जांच से पाया गया कि चीफ मेडिकल आफिसर झांसी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र में मीरा की उम्र 19 वर्ष अंकित है एवं उसने स्वेच्छा से श्री केहर सिंह निवासी ग्राम चान्दरा जनपद ललितपुर के साथ विवाह किया है, जिसका प्रमाण-पत्र जिला विवाह अधिकारी, झांसी द्वारा जारी किया गया है । मीरा ने अपने बयान में अपने पिता के यहां जाने से इन्कार किया है । ऐसी स्थिति में श्री वीर सिंह को उनकी पुत्री मीरा को सौंपना उचित प्रतीत नहीं होता ।

नोट:–ता0 प्र0 सं0 10 के पश्चात प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

*12–श्री रविकान्त गर्ग–

[4थे मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

[4थे मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*13–श्री मयंकर सिंह–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के मंत्रियों ने बाराबंकी जनपद के दौरे में कितनी बार हेलीकाप्टर का प्रयोग किया है? उस पर कुल कितना व्यय आया है? लखनऊ के पड़ोसी जिला बाराबंकी की यात्रा हेलीकाप्टर से किये जाने का क्या औचित्य है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय मुख्य मंत्री जी समेत वर्तमान सरकार के मंत्रियों ने बाराबंकी जनपद के दौरे में चार बार हेलीकाप्टर का प्रयोग किया । इन हेलीकाप्टर की यात्राओं में ईंधन पर कुल रु0 3596·25 (रुपए तीन हजार पांच सौ छियानवे तथा पैसे पच्चीस मात्र) का व्यय हुआ है । हेलीकाप्टर से उपरोक्त यात्राएं जनहित में की गयी हैं ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में विद्युत कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण

*14–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में विद्युत कर्मचारियों के वेतन पांच वर्षों के अन्तराल पर पुनरीक्षित किए जाने की, वेतन समिति की रिपोर्ट है? यदि हां, तो 1-4-89 से लम्य होने वाले विद्युत कर्मचारियों के वेतन कब तक पुनरीक्षित कर दिये जायेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन द्वारा चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री को बन्द करने की योजना

*15–श्री तीरथ राज–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन द्वारा संचालित चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी को बन्द करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलाहाबाद के माघ मेले में हुए बम विस्फोट

*16–श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जनवरी, 1990 में इलाहाबाद में माघ मेला में हुये विस्फोट के लिए कौन उत्तरदायी है ? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनवरी, 1990 में माघ मेला के दौरान (दिनांक 25-1-90 को रात्रि 19 बजे से 20.30 बजे तक) हुई बम विस्फोट की घटनाओं के संबंध में थाना शरागंज पर तीन अभियोग क्रमश: मु0 अ0 सं0 32/90 धारा 302/307 भा0 दं0 वि0 व 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट, मु0 अ0 सं0 33/90 धारा 307 भा0 दं0 वि0 व 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट तथा मु0 अ0 सं0 34/90 धारा 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किये गये हैं । विवेचना प्रचलित है ।

ग्राम मोंहदिया थाना सुबेहा, जनपद बाराबंकी में एक सिपाही व एक होमगार्ड की मृत्यु की जांच रिपोर्ट

*17–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मोंहदिया थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी में 3/4 फरवरी, 1990 की रात्रि में थाने के एक सिपाही व एक होमगार्ड की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो उनकी मृत्यु का कारण क्या है ? सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण आग से जलने से आई चोटें व सदमा है ।

अब तक की विवेचना से किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया है । अभियोग का चकअप अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद तम्बाकू की बिक्री पर कृषि मण्डी शुल्क तथा तम्बाकू व्यापारियों से लाइसेन्स शुल्क वसूल किया जाना

*18–श्री अमर नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय मेसर्स आई0 टी0 सी0 लिमिटेड बनाम स्टेट आफ कर्नाटका 1985 तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय मेसर्स राम निवास हरिश्चन्द्र एण्ड ब्रदर्स कायमगंज बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 1986 में (तम्बाकू) की बिक्री पर कृषि मण्डी शुल्क एवं तम्बाकू व्यापारियों से लाइसेंस शुल्क की वसूली को अवैध घोषित करते हुए मण्डी शुल्क वसूल न करने का निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो उ0 प्र0 सरकार किस वैधानिक आधार पर तम्बाकू की बिक्री पर कृषि मण्डी शुल्क तथा तम्बाकू व्यापारियों से लाइसेंस शुल्क वसूल कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने तम्बाकू पर मंडी शुल्क के संबंध में दायर रिट याचिका सं0-10356/86 मे0 राम निवास हरिश्चन्द्र इनाम कृषि उत्पादन मडी समिति, कायमगंज व अन्य में दिनांक 7-8-86 को निर्णय दिया है कि तम्बाकू के क्रय-विक्रय

पर मंडी शुल्क व लाइसेंस शुल्क न लिया जाय । मे0 आई0 टी0 सी0 लि0 बनाम स्टेट आफ कर्नाटक का संबंध कर्नाटक राज्य की मण्डियों से है ।

उक्त निर्णय के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0 एल0 पी0 में दिनांक 3-3-87 को अंतरिम व्यवस्था के रूप में यह आदेश हुए हैं कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7-8-86 का क्रियान्वयन इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि मडी समिति तम्बाकू के क्रय-विक्रय पर दौरान एस0 एल0 पी0 मंडी शुल्क की वसूली यथावत कर सकती है ।

यदि मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0 एल0 पी0/अपील में मंडी समिति के विरुद्ध निर्णय होता है तो वसूल किये गये इस मंडी शुल्क को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना होगा । मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अधीन तम्बाकू पर मंडी शुल्क वसूल किया जा रहा है । प्रकरण अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

*19–श्री राज किशोर सिंह–

[8वें गुरू में ता0 प्र0 सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

*20–श्री शारदानन्द अंचल–

[6वें मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जिला झांसी, विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर में विद्युतीकरण

1–श्री प्रागी लाल अहिरवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी विधान सभा क्षेत्र 330 मऊरानीपुर में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण हो गया है और कितने ग्राम अभी बाकी हैं ? शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर 330 से संबंधित विकास खण्ड मऊरानीपुर बंगरा तथा गुरसराय में 175 ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है और 97 ग्राम शेष हैं । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में जनपद के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अंतर्गत और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सम्भव हो सकेगा ।

भू0 पू0 निदेशक उद्यान एवं फलोपयोग विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा ज्येष्ठ कर्मचारियों के होते हुए कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति

2–श्री रविन्द्र कुमार सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि भू0 पू0 निदेशक उद्यान एवं फलोपयोग विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को पत्रांक-डी0 एच0-9695/स्था-2/पदोन्नति/वर्ग-1 दिनांक 22 मार्च, 1988 द्वारा उनसे ज्येष्ठ कर्मचारियों के होते हुए भी पदोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा ज्येष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पत्रांक-डी0 एच0 9695/स्था-2/प्रोन्नति वर्ग-1/दिनांक 22 मार्च, 1988 द्वारा उपयुक्त पाए गए कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी । जो कर्मचारी तत्समय विभागीय कार्यवाहियों में ग्रस्त होने अथवा उनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाए गए थे उन्हें प्रोन्नति नहीं दी गई थी ।

उक्त परिस्थितियों में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । कर्मचारियों की प्रोन्नति पर यथा समय नियमों के अंतर्गत विचार किया जायेगा ।

प्रोन्नति हेतु अवधि निश्चित करना संभव नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम-सोनारीकलां आदि को उर्जीकृत न किये जाने के संबंध में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3–श्री रविन्द्र कुमार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-सोनारीकलां के तिवारीपुरवा व लाला का पुरवा में 6 माह पूर्व केवल बिजली के खम्भे लगाये गए हैं परन्तु उन्हें अभी तक ऊर्जीकृत नहीं किया गया है, जबकि अभिलेखों में इन मजरों को उर्जीकृत दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करके इन मजरों को उर्जीकृत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । ग्राम सोनारी कलां के अंतर्गत शिवदीन का पुरवा (तिवारी पुरवा एवं लाला का पुरवा मिलाकर) है, जिसमें केवल 20 अदद पी0 सी0 सी0 के खम्भे खड़े किए गए हैं, अभिलेखों में विद्युतीकृत नहीं दिखलाया गया है । अस्तु किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । संसाधनों की उपलब्धता पर विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

वाराणसी जिलें में अपराधों पर नियंत्रण हेतु योजनाबद्ध अभियान

4–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में दिसम्बर, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक कितनी हत्यायें, डकैतियां, लूट तथा अन्य किस्म के अपराध थानावार हुए हैं ? उक्त अपराधों को रोकने हेतु अब तक क्या-क्या उपाय किये गए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नकर्ता द्वारा वांछित सूचना संलग्न है ।

अपराधों पर नियंत्रण हेतु एक योजनाबद्ध अभियान प्रारम्भ किया गया है । हत्या, बलवा, पुरानी शत्रुता, तनाव के मामलों में निरोधात्मक कार्यवाही की निरन्तर समीक्षा की जा रही है । विवाद के कारणों की त्वरित जानकारी एवं पूर्ववृत्त वाले अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 137 पर)

बांदा जनपद के थाना विसन्डा की पुलिस चौकी ओरन के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एक व्यापारी की हत्या के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाना

5—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-3-90 का पत्र श्री संतोष कुमार गुप्त अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, जनपद बांदा के पत्र के साथ जो बांदा जनपद के थाना विसन्डा की पुलिस चौकी ओरन के सिपाही द्वारा एक व्यापारी के हत्या के प्रयास के संबंध में है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रकरण के संबंध में थाना विसण्डा जनपद बांदा में चार पुलिस कानिस्टेबिलो के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-65/90 अंतर्गत धारा 324, 342, 323, 504, 352, 426 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ है । उक्त चारो पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन्स स्थानान्तरित किया जा चुका है । अभियोग विवेचनाधीन है ।

थाना नौहझील, जनपद मथुरा में श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता, लेखपाल कोलाहर द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र चौब सिंह के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर का आरोप

6—श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना नौहझील, जनपद मथुरा में एक रिपोर्ट गिर्राज प्रसाद गुप्ता, लेखपाल कोलाहर ने वीरेन्द्र सिंह पुत्र चौबसिंह नि0 छत्तागढ़ी के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर लेखपाल व तहसीलदार से बनाकर दस्तावेज तैयार करके कृषि ऋण लेने हेतु खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से स्टेट बैंक नौहझील के मैनेजर को भेजे जाने के सम्बन्ध में धारा 420/467/468/471 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 21-1-88 को थाना नौहझील, मथुरा में लिखायी थी ? इस पर दोषियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में थाना नौहझील, जिला मथुरा पर पंजीकृत अपराध सं0 11/88 अन्तर्गत धारा 420/467/468/471 भा0 द0 वि0 की विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्तों के हस्ताक्षर की प्रमाणिकता की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराई जा रही है । जांच के परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नरेश हरिजन ग्राम बूढ़ाडीह, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज की हत्यारों के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेश हरिजन ग्राम बूढ़ाडीह (छोटका टोला), थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज की हत्या दिन दहाड़े दिनांक 12-3-90

को कर दी गई जिसकी प्रथम सूचना सम्बन्धित थाने में दिनांक 13-3-90 को दर्ज की गई ? यदि हां, तो हत्यारे कौन थे तथा मृतक की पत्नी द्वारा नामजद रिपोर्ट लिखाने के बाद भी अभी तक हत्यारों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या मंत्री जी दोषी पुलिस कर्मियों एवं हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही कराने तथा मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

नरेश हरिजन को दो गुटों के बीच झगड़े में बीच-बचाव करते समय चोटें आयी थी जिसके कारण मेडिकल कालेज, गोरखपुर में उपचार के दौरान दि0 14-3-90 को उसकी मृत्यु हो गई ।

इस घटना के सम्बन्ध में थाना सिचलौल पर दि0 12-3-90 को ही प्रथम सूचना दोनों पक्षों की ओर से दर्ज करायी गयी ।

मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

मृतक की पत्नी द्वारा नहीं बल्कि मृतक के पुत्र भोला द्वारा अभियुक्त 1—रमाकान्त 2—सीरी पुत्रगण चौधरी व 3—शिव 4—सुरेश पुत्रगण बांके एवं 5—भोली पुत्र रामनाथ साकिनान बूढ़ाडीह के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी, जिसमें से दो व्यक्तियों की घटना के दूसरे दिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया एवं शेष तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और जेल भेजे गये ।

सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है । मामले में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया और मामला न्यायालय के विचाराधीन है । सी0 आई0 डी0 जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 को प्राविधानित कार्य

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री उमानाथ सिंह—

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 को क्या-क्या कार्य करना प्राविधानित है ? क्या उक्त कार्यों में बेटनरी फार्मेसिस्टों का पंजीकरण किया जाना भी शामिल है ? यदि हां, तो उपरोक्त परिषद् ने अपनी स्थापना से अब तक कितने फार्मेसिस्टों का पंजीकरण किया है ? यदि नहीं, तो पंजीकरण कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा संलग्नक में उल्लिखित कार्य करना प्राविधानित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 138 पर)

9—श्री नन्दन लाल गंगवार—

[मा0 सदस्य का स्वर्गवास होने के कारण हटाया गया]

जनपद बाराबंकी (कोतवाली) में गाड़ी नं0–9925 को ग्रामीण वृक्ष सुरक्षा अधिनियम में बन्द किया जाना

10–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी (कोतवाली) में दिनांक 7 जनवरी, 90 को गाड़ी संख्या यू0 एच0 जी0 9925 जिस पर लकड़ी लदी हुई थी, को ग्रामीण वृक्ष सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्द किया गया था ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, दिनांक 7-1-90 को प्रश्नगत गाड़ी कोतवाली पुलिस, बाराबंकी द्वारा पकड़ी गयी ।

उक्त ट्रक में आम की लकड़ी के 59 हरे बोटे थे, जिनमें से कई एक बोटों पर सम्पत्ति चिह्न अंकित नहीं था और परिवहन शुल्क रसीद पर सम्पत्ति चिह्न अंकित नहीं था । ट्रक पर लदी लकड़ी अवैध थी जो ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है । ट्रक ड्राइवर तथा मालिक को मय लकड़ी व ट्रक के गिरफ्तार किया गया । इसका अभियोग मु0 अ0 सं0–9/90 धारा 4/10/14 ग्रा0 वृ0 सं0 अधिनियम, थाना कोतवाली, बाराबंकी में पंजीकृत किया गया और विवेचनोपरान्त आरोप पत्र दिनांक 20-3-90 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र की संख्या तथा गोण्डा जनपद में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की योजना

11–श्री दशरथ सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् 1985 से सन् 90 तक प्रदेश में कितने नये औद्योगिक क्षेत्र किन-किन जिलों में बनाये गये ? क्या गोण्डा जिले में भी कहीं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कानपुर द्वारा कराया जाता है । उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा वर्ष 1985 से 1990 तक 33 औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित जनपदों में स्थापित किये गये :—

1–मथुरा, 2-आगरा, 3-फिरोजाबाद, 4-एटा, 5-मैनपुरी, 6-अलीगढ़, 7-बुलन्दशहर, 8-गाजियाबाद, 9-सहारनपुर, 10-देहरादून, 11-मुरादाबाद, 12-रामपुर, 13-बदायूं, 14-शाहजहांपुर, 15-कानपुर (देहात), 16-फर्रुखाबाद, 17-फतेहपुर, 18-जालौन, 19-बांदा, 20-हमीरपुर, 21-लखनऊ, 22-सीतापुर, 23-उन्नाव, 24-लखीमपुर, 25–सुल्तानपुर, 26-मऊनाथ भंजन, 27-बस्ती, 28-देवरिया, 29-जौनपुर, 30-पौड़ी, 31-चमोली, 32-नैनीताल, 33–टेहरी गढ़वाल ।

इस समय गोण्डा जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की योजना विचाराधीन नहीं है। इस जनपद में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की आवश्यकता निगम द्वारा अभी तक नहीं पाई गयी है। जिस कारण इस जनपद में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना अभी विचाराधीन नहीं है।

जनपद आजमगढ़ में जनसंख्या, अपराध संख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर पुलिस बल के अधिकारी/कर्मचारी की संख्या

12–श्री पंचानन राय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की जनसंख्या अपराध संख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर पुलिस बल में विभिन्न स्तर के कितने अधिकारी एवं कर्मचारी आवश्यक हैं? वर्तमान में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या वहां निर्धारित मानक से कम पुलिस बल तैनात है? यदि हां, तो शेष की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद आजमगढ़ में जनसंख्या अपराध संख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर पुलिस बल में विभिन्न स्तर पर कितने अधिकारी व कर्मचारी आवश्यक हैं, इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

वर्तमान में आजमगढ़ जनपद में 4 निरीक्षक 91 उप निरीक्षक, 50 हेड कान्स0 तथा 564 कान्स0 की स्वीकृति है।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा परीक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम पहाड़पुर ब्लाक असोहा में विद्युतीकरण योजना

13–श्री बसन्त लाल गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पहाड़पुर, ब्लाक असोहा, जनपद उन्नाव, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल था? यदि हां, तो विद्युत के खम्भे लगाकर लाइन बिछाने के उपरान्त विभाग द्वारा उपरोक्त गांव से तार तथा खम्भे हटाकर दूसरे गांव का विद्युतीकरण किये जाने का क्या कारण है? क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

इस ग्राम का विद्युतीकरण मार्च, 1985 में कर दिया गया था परन्तु एच0 टी0 लाइन के तार चोरी हो गये एवं कई खम्भे टूट गये। ग्राम में कोई अधिकृत कनेक्शन न होने तथा समुचित की कमी के कारण पुनः खम्भे एवं तार नहीं लगाये जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुलिस सेवा में उ0 प्र0 कैडर के अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारियों की संख्या

14–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय पुलिस सेवा (आई0 पी0 एस0) कैडर उत्तर प्रदेश के कुल कितने अधिकारी उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं? उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं? क्या उनके नाम तथा तैनाती का विवरण देने का कष्ट करेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा (आई0 पी0 एस0) कैडर के कुल 260 अधिकारी कार्यरत हैं। उनमें से 50 अधिकारी अनुसूचित जाति के तथा 5 अधिकारी अनुसूचित जनजाति के हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के इन अधिकारियों के नाम एवं तैनाती का विवरण संलग्न है।

(देखिर नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 139–141 पर)

जनपद शाहजहांपुर के थाना परौर में दिनांक 21-1-90 को दर्ज घटना की सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की मांग

15–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या थाना परौर जिला शाहजहांपुर में दिनांक 14-11-89 की घटना की रिपोर्ट 21-1-90 को दर्ज की गयी और उसकी अपराध संख्या 14/9 धारा 396 आई0 पी0 सी0 व 171 चुनाव एक्ट है? यदि हां, तो क्यों? क्या गृह मंत्री जी इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राकेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री राम निवास मिश्रा, जिला अध्यक्ष सहकारी मोर्चा भा0 ज0 प0 ग्राम खजुरी, थाना परौर, जिला शाहजहांपुर ने दिनांक 20-11-89 को थानाध्यक्ष परौर श्री राजपाल सिंह आदि के विरुद्ध दिनांक 14-11-89 की घटना के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी जलालाबाद से करायी गयी। क्षेत्राधिकारी की जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 21-1-90 को थाना परौर पर मुकदमा अ0 सं0 14/90 धारा 395/171 भा0 द0 वि0 श्री राजपाल सिंह थानाध्यक्ष परौर आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है।

जनपद वाराणसी के गांव सभा पूरा रघुनाथपुर थाना फूलपुर के प्रधान श्री शारदा प्रसाद गुप्त द्वारा थाना फूलपुर के एस0 आई0 के विरुद्ध कथित आरोप

16–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा पूरा रघुनाथपुर थाना फूलपुर के प्रधान शारदा प्रसाद गुप्त ने थाना फूलपुर के एस0आई0 कैलाश नाथ द्विवेदी के खिलाफ 3-2-90 को छन्नू, रामधनी, शिवधनी हरिजन को भूमि आवंटन के दखल दिहानी में प्रधान, उप प्रधान, सदस्यगण को गाली देने, धमकाने तथा हरिजनों को फर्जी मामला

बनाकर चालान करने के सम्बन्ध में एस0 पी0 आर0 ए0 वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया है और प्रश्नकर्ता ने चार पट्टे की नकल परगनाधीश उत्तरी वाराणसी के स्वीकृति आदेश व मेडिकल रिपोर्ट के साथ ता0 5-2-90 को अपने पत्र के साथ एस0 पी0 आर0 ए0 वाराणसी को दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । पत्र पर जांच क्षेत्राधिकारी चोलापुर जनपद वाराणसी से कराई गयी । पत्र में उल्लिखित आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी ।

जनपद जौनपुर के ग्राम-गौरा विकास खण्ड तथा तहसील बदलापुर के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

17–श्री लालता प्रसाद यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-गौरा विकास खण्ड बदलापुर तहसील-बदलापुर, जनपद-जौनपुर के हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो सका है? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है? और कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण विद्युतीकरण नहीं हो सका है ।

प्रश्नगत हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यह कार्य इसी वर्ष करने का प्रयास किया जायेगा ।

जनपद लखीमपुर खीरी, ग्राम सभा पढुआ के श्री छेदा द्वारा बोई गयी फसल को श्री खड़क सिंह द्वारा काटा जाना

18–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा पढुआ ब्लाक, पलिया जनपद लखीमपुर खीरी के पट्टेदारान जिन्हें कब्जा दिया जा चुका था की मौके पर खड़ी फसलों को श्री खड़क सिंह पुत्र श्री बाबा सिंह निवासी हरी नगर व श्री मक्खा सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह निवासी पढुआ ने जबरन काट लिया व जानवरों से चरवा दिया? यदि ह, तो क्या यह सच है कि पट्टेदार श्री छेदा इत्यादि बार-बार पुलिस चौकी परसपुर घटना की सूचना लिखाने जाते रहे किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई? यदि हां, तो क्या सरकार सूचना दर्ज न किये जाने के लिए दोषी पुलिस चौकी परसपुर जनपद लखीमपुर खीरी के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम सभा पटुवा, ब्लाक पलिया जनपद लखीमपुर खीरी में छेदा आदि को जो पट्टा मिला था उसमें छेदा ने लाही बोई थी, उसका कब्जा भी उसे मिल चुका था किन्तु उसकी पैमाईश दुबारा तहसील स्तर से खडक सिंह आदि ने कराई थी तो छेदा को जो पट्टे की जमीन मिली थी उसमें कुछ हिस्सा पुनः खड़क सिंह को तहसील स्तर से दिलाया गया और जो फसल छेदा ने बोई थी उसे खड़क सिंह आदि ने काट लिया ।

श्री छेदा पट्टेदार ने चौकी परसपुर पर कोई सूचना उपर्युक्त के सम्बन्ध में दर्ज नहीं कराई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी थाना पलिया के ग्राम ढाका के निवासी श्री ख्याली राम की फसल काटे जाने की सूचना स्थानीय थाने द्वारा न लिखे जाने के विरुद्ध कार्यवाही

19–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ख्यालीराम निवासी ढाका पुलिस थाना पलिया जनपद लखीमपुर खीरी मार्च, 90 में लगातार कई दिनों तक अपने सीलिंग के पट्टे की जमीन में खड़ी गन्ने की फसल को जबरन काटे जाने की सूचना अंकित कराने हेतु जाता रहा किन्तु थाना स्थानीय द्वारा सूचना अंकित नहीं की गयी? यदि हां, तो क्या सरकार सूचना के पंजीकरण में हिला हवाली के लिए दोषी पुलिस थाना पलिया जनपद लखीमपुर खीरी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार माह मार्च, 1990 में श्री ख्याली राम निवासी ढाका ने थाना पलिया में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई और अन्यत्र भी कोई शिकायत नहीं की।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, कुमारगंज स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हेतु ली गयी जमीन से सम्बन्धित परिवार के सदस्य का सेवा योजन

20–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद फैजाबाद में जिनकी जमीनें ली गयी हैं उनके परिवार के एक सदस्य को सेवायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त परिवार के सदस्यों को विश्वविद्यालय में सेवायोजित किये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु कृत आवश्यक कार्यवाही

21–श्री अनिल कुमार भारद्वाज–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-57 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी, कि नवम्बर, 85 से नवम्बर, 86 तक समिति के अध्यक्ष द्वारा उपयोग की गयी प्राइवेट टैक्सी के बिल उर्जा अनुभाग-1 के रजिस्टर के क्रमांक 2304 पी-1/87 पर तथा समिति के स्टाफ के यात्रा भत्ता बिल महंगाई भत्ता वृद्धि व वेतन पुनरीक्षण के एरियर तथा मैसर्स लारी आटो वर्क्स का बिल जून, 1989 ऊर्जा विभाग में लम्बित हैं? यदि हां, तो इनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बकाया राशि के भुगतान हेतु वर्ष 1987-88 व 88-89 में पुनर्विनियोजन द्वारा बचत की राशि के भुगतान की व्यवस्था न कर राशि समर्पित किये जाने के क्या कारण थे? प्रश्नगत भुगतान में विलम्ब के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भूतपूर्व अध्यक्ष, ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति द्वारा उपभोग की गयी प्राइवेट टैक्सी के रु0 1,38,000,00 धनराशि के बिलों का भुगतान किया जा चुका है।

समिति के स्टाफ के यात्रा भत्ता, बिल महंगाई भत्ता वृद्धि व वेतन पुनरीक्षण एरियर का भुगतान अवशेष है जिसके भुगतान के लिए वित्त विभाग से धनराशि मांगी जा रही है। वित्त विभाग से धनराशि प्राप्त होते ही इनका भुगतान किया जायगा। लारी आटो वर्क्स का जून 89 का कोई बिल प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है। वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में कतिपय मदों हेतु प्राविधानित धनराशि समर्पित की गयी। कुछ बिलों का भुगतान बिलों के समय से प्राप्त न होने तथा कुछ बिलों की राशि उस हेतु प्राविधानित धनराशि से अधिक होने आदि के कारण उनका भुगतान उक्त वर्षों में नहीं किया जा सका।

इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

यू0 पी0 एल0 इम्पलाइज यूनियन लखनऊ द्वारा दिये ज्ञापन पर कार्यवाही

22–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 आई0 एल0 इम्पलाइज यूनियन लखनऊ का ज्ञापन उन्हें 17-12-89, 23-12-89 तथा 31-12-89 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यू0पी0आई0एल0 इम्पलाइज यूनियन लखनऊ का ज्ञापन दिनांक 31-12-89 प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य रूप से यू0पी0आई0एल0 के वर्कशाप के कर्मचारियों को समता समिति की रिपोर्ट के अनुसार पुनरीक्षित वेतन तथा अन्तरिम सहायता दिये जाने की मांग की गयी। इस पर सम्यक परीक्षण किया गया और उसमें कोई बल नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में विद्युत उपभोक्ताओं को वास्तविक राशि का बिल भेजने हेतु कार्यवाही की व्यवस्था

23–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में विद्युत उपभोक्ताओं की वर्तमान पंजीकृत संख्या क्या है? मीटर की कमी के कारण अनमीटर्ड कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं की संख्या जिनसे फिक्स चार्ज लिया जाता है, क्या है? "बेसू" में कार्यरत मीटर रीडर कितने हैं? क्या सरकार बेसू में पर्याप्त मीटर उपलब्ध कराने, नियमित मीटर रीडिंग करवाकर यूनिट के आधार पर वास्तविक राशि का बिल भेजने की व्यवस्था हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नगरीय विद्युत वितरण मण्डल (बेसू) में मार्च, 1990 तक कुल उपभोक्ताओं की संख्या 1,02,909 है।

मीटर की कमी के कारण अनमीटर्ड कनेक्शन धारक उपभोक्ता, जिनसे फिक्सड चार्ज

लिया जाता है, की संख्या 3371 है । जेसू में वर्तमान में कार्यरत स्टाफ जो मीटर रीडिंग लेते हैं उनकी संख्या-68 है । जेसू में मीटर उपलब्ध करने हेतु परिषद् में बत्ती व पंखे हेतु 2000 मीटर का एलाटमेन्ट किया है । नियमित मीटर रीडिंग करवाकर यूनिट के आधार पर वास्तविक राशि का बिल भिजवाने हेतु मीटर रीडरों से माहवारी रीडिंग लेने से संबंधित महीने वार ब्यौरा लिखित रूप से देने हेतु नियम बना दिये गये हैं । अगले लगभग छः माह में प्रभावी सुधार सम्भावित है ।

जनपद फैजाबाद में मत्स्य पालन विकास अभिकरण के कर्मचारियों को मत्स्य विभाग में विलीन करने की मांग

24–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या मत्स्य विकास मंत्री को जानकारी है कि संयोजक मत्स्य पालन विकास अभिकरण संघ फैजाबाद ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी फैजाबाद को दिनांक 13-2-90 को कुछ मांगों के सम्बन्ध में दिया था? क्या जिलाधिकारी ने इस ज्ञापन को अपनी इस संस्तुति के साथ कि अभिकरण कर्मचारियों का विलीनीकरण मत्स्य विभाग में कर लिया जाय सचिव पशुपालन एवं मत्स्य को अपने पत्र दिनांक 27-3-90 के साथ संलग्न कर भेजा था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां । संयोजक मत्स्य पालन विकास अभिकरण संघ फैजाबाद द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को दिनांक 13-2-90 को कतिपय मांगों के सम्बन्ध में दिया गया ज्ञापन शासन में प्राप्त हुआ । अभिकरण कर्मचारियों को मत्स्य विभाग की सेवा में विलीन किये जाने के प्रस्ताव को सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया है ।

जनपद बांदा के थाना कालिंजर, ग्राम दोषपुर के श्री रामकिशोर की भैंस को मार डालने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

25–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-3-90 का संलग्न पत्र जो श्री राम किशोर ग्राम दोषपुर (गुढ़ा कला) थाना कालिंजर जनपद-बांदा के पत्र के साथ भैंस चुराकर काटकर मार डालने एवं भैंस काटने वालों से जान की सुरक्षा के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पूरे प्रकरण में अभी तक कितने दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रश्नगत प्रकरण में थाना कालिंजर जनपद बांदा से 6 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–11/90 धारा 379/429 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । अन्य तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । कुल 6 अभियुक्तों में से 5 अभियुक्तों का चालान किया जा चुका है । शेष एक अभियुक्त फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । श्री राम किशोर की सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियुक्तों के विरुद्ध 107/116 एवं 116 (3) दं0 प्र0 सं0 की एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम सभा बिलबारी खान आदि में विद्युतीकरण न किये जाने तथा बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें

26—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री को संबोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 11-1-90 तथा 25-1-90 का पत्र श्री दयाशंकर सिंह, निवासी ग्राम हरिवंशपुर, विकास खण्ड कटेहरी, जनपद-फैजाबाद के प्रार्थना पत्रों और अन्य संलग्नकों सहित जिनमें बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें की गई हैं, प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

शिकायत में उपभोक्ता के बिल का समायोजन न करने और ग्राम सभा बिलवारी खान, विकास खण्ड, मया, जनपद फैजाबाद का विद्युतीकरण न करने के आरोप हैं । पहले बिन्दु पर अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है तथा उनकी जांच आख्या अभी तक प्रतीक्षित है ।

दूसरे बिन्दु के संबंध में उल्लेखनीय है कि ग्राम बिलवारी खान विकास खण्ड, मया, जनपद फैजाबाद का विद्युतीकरण जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयनित नहीं हुआ है । चयनित होने पर उक्त ग्राम का विद्युतीकरण नियमानुसार कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री छेदी पुत्र रामदास तथा श्री साहब बख्श व श्री रामतीरथ पुत्रगण श्री छेदी निवासी पूरे सुमेरपुर जनपद फैजाबाद के विरुद्ध चोरी से फल तोड़े जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

27—श्री चेतराम तथा श्री गजराज सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1990 के द्वितीय बुधवार दिनांक 17-4-90 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-5 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि श्री राम नेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय पुलिस को क्या-क्या निर्देश दिये गये हैं ? क्या श्री राम नेवल द्वारा दिनांक 26-6-88 तथा 11-6-89 को विपक्षीगणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्टों के आधार पर विपक्षीगणों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री राम नेवल के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर मौखिक निर्देशों के अतिरिक्त दिनांक 11-8-89 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 7-1-90 को अपर पुलिस अधीक्षक ने तथा दिनांक 8-1-90 को क्षेत्राधिकारी, इनायतनगर ने लिखित आदेश थानाध्यक्ष कुमार गंज को दिए ।

श्री राम नेवल ने दिनांक 26-6-88 को गैर हस्तक्षेपीय रिपोर्ट सं0-108/88 धारा 504/506 भा0 दं0 वि0 थाना कुमार गंज पर श्री राम तीरथ तथा अन्य 4 के विरुद्ध लिखाई । इनमें दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर ली । श्री राम नेवल की दिनांक 11-6-89 को स्थानीय थाने पर जुबानी सूचना के आधार पर गैर हस्तक्षेपीय रिपोर्ट सं0-66/89 धारा 323/504 भा0 दं0 वि0 राम तीरथ तथा अन्य 3 के विरुद्ध लिखाई, जिसकी जांच की गयी । जांच से दोनों पक्षों के बीच कटहल के पेड़ को लेकर विवाद का होना पाया गया । शांति भंग की सम्भावना को देखते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही कर चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।

बाराबंकी जनपद में प्रक्षेत्र अधीक्षकों के विरुद्ध स्थानान्तरण का चार्ज न दिए जाने पर कार्यवाही

28–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में शासन के स्थानान्तरण की नीति के अनुसार प्रक्षेत्र अधीक्षकों का स्थानान्तरण वर्ष 1989-90 में हुआ था ? क्या आदेशानुसार नये प्रक्षेत्र अधीक्षकों द्वारा अगस्त, 1989 में योगदान कर लेने के पश्चात् पुराने प्रक्षेत्र अधीक्षकों द्वारा सम्पूर्ण चार्ज नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन व निदेशालय को की गई रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के केन्द्रीय कृषि रक्षा भण्डार के प्रभारी को अनियमितताओं तथा गबन के आरोप में निलम्बित किया जाना

29–श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी ''केन्द्रीय कृषि रक्षा भण्डार'' बाराबंकी के द्वारा वर्ष 1988-89 में गम्भीर अनियमितताओं व गबन करने पर उनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई थी तथा वह जेल भेजे गये थे ? यदि हां, तो इस संदर्भ में विभाग द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रभारी केन्द्रीय कृषि रक्षा भण्डार बाराबंकी श्री नर्वदेश्वर लाल श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं एवं गबन के संबंध में कोतवाली, बाराबंकी के यहां दिनांक 9-8-89 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई ।

जी हां ।

विभागीय कार्यवाही में श्री श्रीवास्तव को निलम्बित किया गया ।

जनपद बुलन्दशहर के थाना दनकौर में कांग्रेस (आई) के प्रत्याशी पर मतपेटी छीनकर भागने का आरोप

30–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 24-11-89 को थाना दनकौर जनपद बुलन्दशहर में कांग्रेस (आई) प्रत्याशी के विरुद्ध मतपेटी छीनकर भागने के सम्बन्ध में अपराध संख्या–176/89 कायम हुआ था ? यदि हां, तो इस मामले में 31 जनवरी, 1990 तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 24-11-89 को मतदान केन्द्र कासना 387/197 दादरी अंश पर मतदान में अव्यवस्था फैलाने के संबंध में थाना दनकौर जनपद बुलन्दशहर में कांग्रेस (आई) प्रत्याशी श्री रतिराम भाटी व अन्य 125 व्यक्तियों-नाम व पता अज्ञात के विरुद्ध अपराध संख्या-176/89 धारा 342/186 भा0 दं0 वि0 व 135 जन प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज हुआ था ।

दिनांक 31-1-90 तक पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के फलस्वरूप उक्त अभियोग में कोई प्रगति नहीं हुई । साक्ष्य एकत्रित कर विवेचना का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसीलदार तिलहर जनपद शाहजहांपुर के पुत्र द्वारा एक सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो की कथित पिटाई

31–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 31-3-90 को शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में कार्यरत एक सहायक रजिस्ट्रार कानूनगों की उसके कार्यालय में ही तहसील-दार तिलहर के पुत्र द्वारा पिटाई की गयी, जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना-तिलहर में 31-3-90 को दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-90 को श्री रामनरेश शुक्ल, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगों ने तहसीलदार, तिलहर के पुत्र कैलाश चन्द्र तथा उन्हीं के ड्राइवर हरपाल के विरुद्ध अप0 सं0 180/90, धारा 386/332, 353, 504, 506 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया । दिनांक 31-3-90 को ही तहसील-दार तिलहर के ड्राइवर श्री हरपाल सिंह ने श्री राम नरेश शुक्ल सहायक रजिस्ट्रार कानूनगों तहसील तिलहर के विरुद्ध अ0 सं0 180 (ए)/90 धारा 332/353/504 506 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया ।

सहायक रजिस्ट्रार कानूनगों, रामनरेश शुक्ल तथा विपक्षी हरपाल सिंह दोनों का डाक्टरी मुआयना प्रा0 स्व0 केन्द्र तिलहर में कराया गया है । सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई । मामला विवेचनाधीन है ।

जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर द्वारा लाइसेन्सधारियों के असलहे जमा कराया जाना

32–श्री मुईद अहमद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत आम चुनाव में शासन द्वारा चुनाव के दौरान कानून व व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से सभी जनपदों में लाइसेन्सधारकों के असलहे (बन्दूक, राइफल आदि) जमा कराने के आदेश पुलिस अधीक्षकों को दिए गए थे ?यदि हां, तो सुल्तानपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा कितने लोगों के असलहे जमा कराए गये और कितने लोगों के नहीं कराये गये थे ? सभी लाइसेंसधारकों के असलहे न जमा कराने के लिए दोषी पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गत आम चुनाव के दौरान सभी जनपदों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से शासन द्वारा समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को यह निर्देश निर्गत किए गये थे कि ऐसे लाइसेन्सियों के शस्त्र लाइसेन्स निलम्बित/निरस्त किए जा सकते हैं, जिनसे शान्ति व्यवस्था का खतरा होने की आशंका हो ।

जिला मैजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर द्वारा कुल 2266 असलहे जमा कराये गये तथा कुल 3016 असलहे नहीं जमा कराये गए थे ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी के शिकोहाबाद के विद्युत वितरण खण्ड के मृतक अवर अभियंता की पत्नी को उनके भविष्य निधि, ग्रेच्युटी तथा पेंशन का भुगतान

33–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 आर0 एच0 खान अवर अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् स्टेशन रोड, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी का दिनांक 1-1-89 को देहान्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनकी पत्नी फमीदा खातून, नि0 इसमाडीन लाज डिग्गी रोड सिविल लाइन अलीगढ़ को मृतक की भविष्य निधि ग्रेच्युटी तथा पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार आश्रित परिवार की देय धनराशि का भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्व0 आर0 एच0 खान नामक कोई अवर अभियन्ता नहीं है बल्कि स्व0 आर0 एस0 खान, अवर अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, शिकोहाबाद में कार्यरत थे । जिनका देहान्त दिनांक 1-1-89 को हुआ था ।

जी नहीं ।

स्व0 आर0 एस0 खान के सेवा संबंधी विवरण अपूर्ण है एवम मृत्यु पूर्व के चिकित्सा अवकाश का नियमितीकरण अभी नहीं हो पाया है । स्व0 खान के चिकित्सा अवकाश के नियमितीकरण एवं सेवा पुस्तिका संबंधी अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर उनके अवशेषों का भुगतान उनके विधिक उत्तराधिकारी को करना सम्भव होगा ।

जिला बाराबंकी में अप्रयुक्त गोदामों की मरम्मत व्यय का विवरण

34—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि बाराबंकी जनपद में जिला योजनान्तर्गत वर्ष 1982-83 से 1987-88 तक निर्मित गोदामों की स्थिति खराब है तथा निर्मित कुछ गोदामों का उपयोग भी नहीं हुआ किन्तु इस अवधि में इन गोदामों के मरम्मत कार्य हुए हैं ? यदि हां, तो वर्षवार कितना धन उक्त गोदामों की मरम्मत पर खर्च हुआ और कितने गोदामों की हालत अब भी खराब है ? क्या अप्रयुक्त गोदामों की मरम्मत पर व्यय करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्ष 1982-83 से 87-89 तक 18 गोदामों का निर्माण कराया गया जिनमें से केवल एक गोदाम का उपयोग नहीं किया जा सका । इस अवधि में इनकी मरम्मत नहीं कराई गई ।

चूंकि मरम्मत नहीं कराई गई । अतः व्यय का प्रश्न नहीं उठता है । इस समय 16 गोदाम मरम्मत योग्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विपणन विभाग द्वारा लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार लेने के बाद नियुक्त न किया जाना

35—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विपणन विभाग में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 28-8-88 को लिखित परीक्षा हुयी थी और दिनांक 29 व 30-12-88 को साक्षात्कार लेकर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थियों की अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गयी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन दिनांक 15-2-88 से हो जाने के फलस्वरूप चयन प्रक्रिया विधि विरुद्ध पायी गयी जिसके कारण नियुक्तियां नहीं की गईं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर (देहात) के ग्राम प्रधान पर दुर्व्यवहार करने का आरोप

36—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, कानपुर, देहात को दिनांक 6-9-1989 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्री चन्द्रभान चमार का उनकी स्त्री के साथ ग्राम प्रधान द्वारा दुर्व्यवहार विषयक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पुलिस द्वारा उक्त ग्राम प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच से ग्राम प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

जिला देवरिया के ग्राम-सठियांव, पोस्ट वैकुण्ठपुर का विद्युतीकरण करने की मांग

37–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-सठियांव, (पूर्व टोला), पोस्ट वैकुण्ठपुर, जिला-देवरिया में विद्युतीकरण किये जाने हेतु शारदानन्द अंचल, विधायक का पत्र दिनांक 12-12-89 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त गांव में अभी तक विद्युतीकरण न किये जाने का कारण क्या है? वहां कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन न होने के कारण प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हो सका है।

सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने के पश्चात् विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

जनपद अलीगढ़ के शमशाद मार्केट में नागरिकों की सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

38–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शमशाद मार्केट अलीगढ़ में गुण्डा तत्वों की निरन्तर वारदातों को देखते हुए वहां के नागरिकों की सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी स्थापित की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद अलीगढ़ के शमशाद मार्केट में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा एक अस्थाई पुलिस चौकी भमोला में स्थापित की गयी है। अतः शमशाद मार्केट में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में शमशाद मार्केट पर स्थायी पिकेट व स्पेशल स्क्वाड की जिप्सी में पुलिस फोर्स हर समय उपलब्ध रहती है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के अधिकारियों के कहने पर पुलिस चौकी हटाया जाना

39–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में जकारिया मार्केट, स्थित पुलिस चौकी हटाये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार वहां पुनः पुलिस चौकी स्थापित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अलीगढ़ में जकरिया मार्केट स्थित पुलिस चौकी अस्थाई रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थापित थी, जिसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कहने पर जिला पुलिस द्वारा हटा दिया गया है।

कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के कोनिया क्षेत्र में मुहर्रम के अवसर पर हुए साम्प्रदायिक दंगों के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

40–श्री अमर नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष मुहर्रम के अवसर पर वाराणसी के कोनिया क्षेत्र में हुए साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावितों को शासन द्वारा क्या सहायता दी गयी तथा दंगे के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 13-8-89 को मुहर्रम के अवसर पर वाराणसी के कोनिया क्षेत्र में हुए साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जी के कोष से स्वीकृत एक लाख रुपये की धनराशि का वितरण किया गया।

उक्त घटना के संबंध में जनपद के थाना आदमपुर में मु0 अ0 सं0-188/89 धारा 147/148/149/307/395/332/433/436/336/153 ए भा0 द0 वि0, 4 प्रिवेन्शन आफ पब्लिक प्रापर्टी एक्ट/128 रेलवे एक्ट/7 ला अमेण्डमेन्ट एक्ट पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचनोपरान्त 16 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–14 दिनांक 31-12-89 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलपति की सुरक्षा हेतु गनर की नियुक्ति

41–श्री दशरथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-2-90 जिसमें अवध विश्वविद्यालय के कुलपति को शेडो पुनः देने हेतु आग्रह किया गया है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उनको शेडो दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार अवध विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आर0 बी0 मिश्र की सुरक्षा हेतु शासनादेश दिनांक 20-2-90 के अनुसार दिनांक 25-2-90 से ही एक गनर नियुक्त किया जा चुका है।

42–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

[2रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर कोतवाली में श्री याकूब खां द्वारा दर्ज रिपोर्ट

43–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद की कोतवाली में दिनांक 4/5-8-89 को कोई रिपोर्ट श्री याकूब खां द्वारा धारा 398 एवं 304 बी0 आई0 पी0 सी0 में दर्ज करायी गयी थी? क्या उस घटना का चेक-अप, प्रतिवादीगण के प्रार्थना-पत्र पर सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 इलाहाबाद से कराया गया है? यदि हां, तो चेक-अप रिपोर्ट संबंधित थाने को भेजी गई? यदि नहीं, तो क्यों? सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 ने किन बिन्दुओं पर जांच करने की रिपोर्ट दी है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री याकूब खां द्वारा दिनांक 5-8-89 को तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक-फैजाबाद को दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना कोतवाली, अकबरपुर में मु0 अ0 सं0 419/89 अन्तर्गत धारा 498 ए/304 बी भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

जी हां।

चेक-अप रिपोर्ट दिनांक 5-4-90 को क्षेत्राधिकारी अकबरपुर (विवेचक) को प्राप्त हुयी थी। चेक-अप रिपोर्ट में सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 ने 10 बिन्दुओं पर जांच करने हेतु लिखा था।

जनपद फैजाबाद के ग्राम उसमापुर के निवासियों के घरों में पड़ी डकैती एवं कत्ल के संबंध में कार्यवाही

44–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी तथा श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवशंकर यादव पुत्र अलगू यादव, श्री मनीराम यादव पुत्र श्री राम अंजोर यादव, इत्यादि निवासी ग्राम उसमापुर, थाना मालीपुर, जिला फैजाबाद ने अपने घरों में पड़ी डकैती व कत्ल के सम्बन्ध में दिनांक 8-10-89 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को कोई प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?. यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

थाना-मालीपुर, जनपद फैजाबाद में पंजीकृत अपराध संख्या-124/89 की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से करवाई गई जिन्होंने कुछ विन्दुओं पर जांच कर अग्रिम विवेचना स्थानीय पुलिस से कराने की संस्तुति की है ।

जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

45–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के द्वितीय बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी से कराई गई ? क्या जांचकर्ता ने शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य का अवसर उपलब्ध कराया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पुनः शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य का अवसर प्रदान कर निष्पक्ष जांच करायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सन्दर्भित जांच अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी, सगड़ी से करायी गई । जांचकर्ता ने शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य का अवसर उपलब्ध कराया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

46–श्री भोला पाण्डेय तथा श्री अतीक अहमद–

[दिनांक 19-6-90 को अता0 प्र0 सं0 180 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ के डायमण्ड डेरी कालोनी, अनुरक्षण खण्ड द्वारा बनवाये गये स्टोर पर अवैध कब्जा

47–श्री भोला पाण्डेय तथा श्री अतीक अहमद–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि डायमण्ड डेरी कालोनी, लखनऊ में अनुरक्षण खण्ड द्वारा बनवाये गये अस्थायी स्टोर रूम पर वहां के एक निवासी द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज में इस वर्ष लिखाई गई रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और कब तक उक्त स्टोर खाली करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

थाना हुसैनगंज में संबंधित विवाद का कोई अभियोग किसी के द्वारा पंजीकृत नहीं कराया गया है न ही उपरोक्त के संबंध में किसी के द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र ही थाने पर प्रेषित किया गया है ।

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के ग्रामों का विद्युतीकरण न किये जाने का कारण

48–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एल0 टी0 मेन्स योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण कराने का क्या उद्देश्य है ? क्या जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के कनुवान, गोड़उर महेन्द्र सिलाईच, केशवपुर ग्रामों को वर्ष 88-89 की योजना में विद्युतीकरण करने हेतु चयनित किया गया था ? यदि हां, तो इन ग्रामों में अधूरा कार्य किये जाने का क्या कारण है ? विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्णकर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी निर्धारित अवधि में लक्ष्य पूरा करने में लापरवाही बरतने व अधूरा कार्य करके पूर्ण कार्य कर देने की गलत रिपोर्ट प्रेषित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्रामों में एल0 टी0 मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण करने से उस ग्राम के निवासियों को घरेलू उपयोग के लिये विद्युत उपलब्ध हो जाती है ।

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के प्रश्नगत ग्रामों में विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् है :–

(1) कनुवान–इस ग्राम का विद्युतीकरण मार्च 1988 में किया जा चुका है। ग्राम में लाइन का विस्तार कार्य सामग्री की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है ।

(2) गोड़उर–इसे वर्ष 1988-89 में विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया

था । 11 के0 वी0 लाइन खींचकर ट्रान्सफार्मर चालू कर दिया गया है । ग्राम में एल0 टी0 लाइन बिछाने का कार्य सामग्री की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है ।

(3) महेन्द्र—इस ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष 1976-77 में किया जा चुका है । ग्राम में लाइन का विस्तार कार्य सामग्री की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है ।

(4) सिलाइच—इसे वर्ष 1988-89 में विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया था । मार्च 1990 में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(5) केशवपुर—इसे वर्ष 1988-89 में विद्युतीकरण हेतु चयनित किया था। सामग्री की उपलब्धता के अनुसार विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है ।

उक्त ग्रामों में नियमानुसार मकानों की संख्या के 10 प्रतिशत खम्भे गाड़कर विद्युतीकरण कार्य किया जा रहा है । सीमित संसाधनों के कारण पूरे ग्राम में खम्भे गाड़कर लाइन बिछाने का प्राविधान नहीं है ।

संसाधनों की कमी के कारण ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य में बाधा पड़ी है । उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कोई गलत रिपोर्ट नहीं दी गयी है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद के विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों में विद्युतीकरण करने की मांग

49—श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र गाजियाबाद के जिन गांवों के अन्दर विद्युतीकरण नहीं किया गया है, उनका विद्युतीकरण कब तक कराने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

निर्वाचन क्षेत्र-गाजियाबाद के जिन गांवों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया है उनका विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में जनपद के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अन्तर्गत संभव हो सकेगा । यह विद्युत सलाहकार समिति द्वारा ग्रामों के चयन तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के श्री अशोक कुमार जीप चालक का अकस्मात लापता होने के संबंध में उसकी पत्नी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

50—श्री सूखवीर सिंह तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार, जीप चालक जो बाल विकास परियोजना अधिकारी, कार्यालय निगासन, लखीमपुर खीरी से बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामनगर, बाराबंकी कार्यालय को स्थानान्तरित हुए, के दिनांक 8-12-89 को योगदान करने के उपरान्त अकस्मात गायब होने के संबंध में उसकी पत्नी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24-12-89 थानाध्यक्ष, रामनगर, बाराबंकी तथा अन्य अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

थानाध्यक्ष, रामनगर द्वारा मामले की जांच की गयी । पुनः श्रीमती रश्मि के प्रार्थना-पत्र दिनांक 09-03-90 के आधार पर इनके पति श्री अशोक कुमार की गुमशुदी की रिपोर्ट उक्त थाना पर लिखी गयी । जांच एवं तलाश करने पर श्री अशोक कुमार का अभी तक पता नहीं चला है । इनकी तलाश की जा रही है ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र पर विचार

51–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार, नई दिल्ली से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या शासन ने उक्त निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण आदि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

1–राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण के संबंध में संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अग्रसारित मा0 विधायकगणों एवं जन प्रतिनिधियों के कुल चार पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ।

2–निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण विषयक प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के ग्राम डूवरिया पुरवा में पुलिस एवं जनता से संतोषा यादव गैंग के मध्य हुई मुठभेड़ में दो व्यक्तियों की मृत्यु

52–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के थाना पहाड़ी अन्तर्गत गांव रानीपुर के गुस्ता शिवरतन गूजर डूवरिया के रवीकरण यादव के लड़के ओम प्रकाश यादव को तत्कालीन उप निरीक्षक द्वितीय पहाड़ी तीन सिपाहियों एवं सत्रह नामजद बन्दूकधारियों ने दिनांक 4-3-88 को मार डाला है जिसकी सूचना श्री रवीकरण यादव ने रजिस्ट्री दिनांकित 5-3-88 व 7-3-88 को पुलिस कप्तान बांदा व मुख्य मंत्री को दी है है तथा स्मरण पत्र दिनांक 21-5-88, 20-8-88 तथा 16-9-88 को भेजे हैं ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में तत्कालीन नेता उ0 प्र0 लोकदल, विधान मण्डल दल एवं वर्तमान मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने धरना की लिखित सूचना अपने पत्रांक–अ-37/386, दिनांक 23-12-88 के द्वारा धरना के अपराधियों को पकड़ने एवं उनके असलहों को जब्त करने के लिए लिखा था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक

की कोई आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दिनांक 4-3-88 को थाना पहाड़ी जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम डुबरिया पुरवा में पुलिस एवं जनता से सन्तोषा यादव गैंग के मध्य मुठभेड़ हुई जिसमें जनता के दो व्यक्ति राम प्रसाद ब्राह्मण निवासी इटावा एवं ओम प्रकाश यादव निवासी शिवरतन का पुरवा थाना पहाड़ी जनपद बांदा घटनास्थल पर ही मारे गये । इस संबंध में थाना पहाड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या-74/88 धारा 147/148/149/307/302 भा0 दं0 वि0 का अभियोग विरुद्ध सन्तोषा यादव गैंग पंजीकृत हुआ । उक्त अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा और चेकअप अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किया जा रहा है । श्री रविकरण के प्रार्थना-पत्रों पर अन्य कार्यवाही वांछित नहीं पाई गई ।

मुठभेड़ में मारे गये प्रत्येक मृतक के परिवारजनों को आर्थिक सहायता 1316 रुपये स्वीकृत की गयी । मृतक राम प्रसाद की विधवा द्वारा यह धनराशि प्राप्त की गयी । मृतक ओम प्रकाश के परिवार द्वारा उक्त धनराशि स्वीकार नहीं की गयी । जिसे वापस दाखिल करा दिया गया । तत्पश्चात 3 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता मृतक राम प्रसाद की विधवा को प्रदान की गयी ।

जिला शाहजहांपुर के ग्राम पृथ्वीपुर से जबर्दस्ती मंगायी गयी घोड़ी विषयक थाना जैतीपुर में दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

53—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पृथ्वीपुर, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर की घोड़ी कुछ लोगों द्वारा 4-8-89 को जबरदस्ती छीनकर ले जाने की रिपोर्ट थाना जैतीपुर में दिनांक 9-8-89 को दर्ज हुई है ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9-8-89 को वादी श्री ओमकार सिंह पुत्र बाबू सिंह ठाकुर निवासी ग्राम पृथ्वीपुर थाना जैतीपुर की सूचना पर अप0 सं0 153/89 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 इन्द्रपाल आदि अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । विवेचना से अभियोग धारा 380 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया । इसमें अभियुक्तगण कप्तान सिंह, सत्य पाल सिंह, गवडू तथा हरिओम का नामांकन झूठा पाया गया । अभियुक्तगण इन्द्रपाल सिंह तथा महावीर को गिरफ्तार किया गया एवं वादी की निसानदेही पर दि0 2-1-90 को प्रभारी निरीक्षक, थाना मोहम्मदी ने फूल सिंह पुत्र छंगा सिंह निवासी खुमपुर द्वारा थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी के घर से घोड़ी बरामद की । दिनांक 2-1-90 को घोड़ी वादी मुकदमा की सुपुर्दगी में दी गई । शेष अभियुक्त हाजिर अदालत होकर जेल भेजे गये । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

जिला शाहजहांपुर में शस्त्र लाइसेन्स परिवर्तन संबंधी प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किये जाने का कारण

54–श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा शस्त्र लाइसेन्स के परिवर्तन बन्दूक से रिवाल्वर राइफल आदि पर भी कोई पाबन्दी लगाई गई है ? यदि नहीं, तो जिला शाहजहांपुर में शस्त्र लाइसेन्स परिवर्तन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

आयुध अधिनियम एवं शस्त्र नियमावली के अन्तर्गत लाइसेन्स की स्वीकृति के पश्चात यदि लाइसेन्सी अन्य शस्त्र प्राप्त करना चाहे और लाइसेन्सिंग प्राधिकारी को आपत्ति न हो तो शस्त्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि तक लाइसेन्स में तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकता है । लाइसेंस स्वीकृति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सामान्य प्रतिबन्धों के अतिरिक्त कोई पाबन्दी नहीं लगायी गयी है ।

जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर को विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

55–श्री सुरेश कुमार खन्ना—

[दि0 14-6-90 को अता0 प्र0 सं0 126 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा के हरैया सतधरवा एवं तुलसीपुर विकास खंडों में भूमि संरक्षण से संबंधित कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि

56–श्री रिजवान जहीर उर्फ रज्जू—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में हरैया सतधरवा एवं तुलसीपुर विकास खण्डों के अन्तर्गत वर्ष 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 में भूमि संरक्षण से संबंधित कितना कार्य किन-किन स्थानों पर किया गया एवं प्रत्येक कार्य पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त विकास खण्डों में कार्य कहां-कहां पर पूर्ण हो चुका है तथा किन-किन स्थानों पर कितना कार्य किया जाना शेष है ? शेष कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद गोण्डा में हरैया, सतधरवा एवं तुलसीपुर विकास खण्डों में किये गये कार्यों एवं उन पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है ।

वर्ष 1987-88 तक के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं । संलग्नक क–3 में अवशेष कार्यों का विवरण अंकित है ।

शेष कार्यों को पूरा करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 142-145 पर)

जनपद मऊ, थाना मधुबन, सा0-बेलौली, भोजीपुर के श्री राजदेव के निजी मकान से पुलिस चौकी न हटाया जाना

57–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 जनवरी, सन् 90 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ राजदेव पुत्र बेचू सा0-बेलौली, भोजीपुर, थाना-मधुबन, जनपद-मऊ का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उसके निजी मकान से रामपुर पुलिस चौकी को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी, हां ।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कार्यालय में पत्र प्राप्त हुआ है । अन्य उपयुक्त भवन न मिल पाने के कारण ही अभी तक मकान खाली नहीं किया जा सका ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के ग्रामों का विद्युतीकरण

58–श्री अकबर हुसैन बाजर—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के वर्ष 1990–91 में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूर्व वर्ष की तुलना में कितना है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी में कौन-कौन से ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? उनका विद्युतीकरण न किए जाने का क्या कारण है और इन ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक पूर्ण करके, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1990–91 में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूर्व वर्ष 1989-90 की तुलना में निम्नवत है :—

	वर्ष 1989-90	वर्ष 1990-91
1–निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण	20000	20000
2–ग्रामों का विद्युतीकरण		
(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार	2365	2550
(ख) एल0 टी0 लाइन बिछाकर	2365	3000
3–हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	2221	2870

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी में ऐसे 162 ग्राम हैं (सूची संलग्न है) जिनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ।

सीमित संसाधनों के कारण इन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । इनका विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में जनपद के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अन्तर्गत सम्भव हो सकेगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 146-147 पर)

जनपद सुल्तानपुर विकास खण्ड कूडवार, में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की स्वीकृति

59–श्री मुईद अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड कुडवार, जनपद-सुल्तानपुर में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र के स्थापना की स्वीकृति पिछली सरकार ने दी थी? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ कराया गया? इस स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका । वर्ष 1990-91 में कार्य प्रारम्भ कराना प्रस्तावित है, जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बांदा जनपद के थाना व ग्राम बदौंसा के ग्राम प्रधान श्री लालचन्द्र पुत्र श्री गोरेलाल द्वारा फर्जी हरिजन प्रमाण-पत्र का लाभ उठाये जाने की जांच

60–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक, थाना-बदौंसा के ग्राम-बदौंसा के ग्राम प्रधान श्री लालचन्द्र पुत्र श्री गोरेलाल द्वारा फर्जी हरिजन जाति का प्रमाण-पत्र लेकर अनुचित लाभ उठाये जाने के सम्बन्ध में है, 3 फरवरी, 1990 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र की जांच किस उच्च अधिकारी ने की और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। पत्र में उल्लिखित प्रकरण की जांच परगनाधिकारी अतर्रा द्वारा की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

61–श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कृषि विपणन विभाग में रिक्त पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करने की मांग

62–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री इन्द्रपाल सिंह व श्री ईसम सिंह अधीनस्थ कृषि विपणन सेवा वर्ग प्रथम संवर्ग के कर्मचारियों को श्रेणी-2 में पदोन्नति कर कृषि विभाग में नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों अधिकारियों को कृषि विपणन विभाग के उन रिक्त पदों पर नियुक्त करेगी जिनका प्रभार कृषि विभाग में नियुक्त अधिकारियों के पास है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। परन्तु यह दोनों कर्मचारी अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 के हैं न कि अधीनस्थ कृषि विपणन सेवा वर्ग प्रथम संवर्ग के ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

क्योंकि सर्वश्री इन्द्रपाल सिंह एवं श्री ईशम सिंह की उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 (वनस्पति शाखा) में पदोन्नति कृषि विभाग की अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 (वनस्पति) की ज्येष्ठता के आधार पर की गयी है तथा अधीनस्थ कृषि विपणन सेवा वर्ग प्रथम का संवर्ग कृषि विभाग से अलग है।

कृषि निदेशालय के कनिष्ठ लिपिक श्री विनोद यादव को नियमित न करने पर कार्यवाही

63–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विनोद यादव कनिष्ठ लिपिक, कृषि निदेशालय, को नियमित न करने आदि के सम्बन्ध में दिनांक 22-1-90 पत्रांक-सी0 एम0/(वि0 को0) एम-1-व/59-87/90, कृषि सचिव को भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र पर अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) द्वारा जांच की गयी। जांच में शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार पाई गई। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

फैजाबाद के चौधरी राइस मिल्स, में बिजली द्वारा मृतक/घायलों को मुआवजा दिये जाने की मांग

64–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदपुर फैजाबाद में बिजली के स्पर्श से मृतक/घायलों को मुआवजा दिये जाने संबंधी पत्र उनके कार्यालय से पत्रांक-सी0 एम0 (वि0 को0)/एम-1-न/52/36/90 दिनांक 22 जनवरी, 1990 द्वारा सचिव, ऊर्जा को भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। इस दुर्घटना की जांच विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा की गई जिसमें चौधरी राइस मिल्स, महमूदपुर, जिला फैजाबाद के प्रांगण में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ट्रान्सफार्मर को बदलने की कार्यवाही के दौरान विद्युत करेन्ट ट्रान्सफार्मर में आ जाने के कारण उक्त दुर्घटना होने का तथ्य प्रकाश में आया। इस आख्या पर उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

जिला कृषि अधिकारी, खीरी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी न किये जाने के सम्बन्ध में बलिया निवासी श्री जयनाथ यादव के पत्र पर कार्यवाही

65–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशक के अधीन यांत्रिक पद पर चयन के बावजूद नियुक्ति आदेश न दिए जाने संबंधी श्री जयनाथ यादव, निवासी बलिया का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय से दिनांक 29-3-90 के पत्रांक सी0 एम0/(वि0

का0) एम-1 क्र0/258-393/90 के द्वारा कृषि निदेशक को भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जिला कृषि अधिकारी, खीरी ने दिनांक 2-4-90 को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में सहकारी दुग्ध उत्पादन सचिव संघ के मांग पत्र शासन स्तर पर कार्यवाही

66–श्री राम वचन धुसिया–

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी दुग्ध उत्पादन सचिव, संघ जनपद-बलिया का दि0 30-1-90 का मांग पत्र शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संघ की मांगों पर शासन स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हुई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के अमीनगर सराय कस्बे में प्रस्तावित बिजली घर का निर्माण

67–श्री साहब सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के अमीनगर सरांय कस्बे में प्रस्तावित बिजली घर कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? क्या मंत्री जी तब तक किसानों को बिजली आपूर्ति की सुविधा सुनिश्चित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मेरठ के अमीनगर सराय कस्बे में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है । उपकेन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है । उपकेन्द्र का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

किसानों को विद्युत आपूर्ति 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिंघावली से की जा रही है ।

जनपद आगरा, ग्राम कंकरठा के श्री कनही सिंह पुत्र श्री वंशीलाल की विद्युत विभाग द्वारा अधिग्रहीत जमीन के बदले नौकरी के संबंध में कार्यवाही

68–श्री विजय सिंह राणा तथा श्री बहादुर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-1-90 जो श्री कनही सिंह पुत्र श्री वंशीलाल निवासी–ग्राम ककरंठा, आगरा को विद्युत विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गयी उनकी जमीन के बदले उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी

नौकरी दिए जाने के संबंध में है, और जिसकी प्राप्ति सूचना अनुसचिव ने अपने पत्रांक–180 सी0 एम0/पी0-2/90-23-4 (11) ई/90, ऊर्जा अनुभाग-2, दिनांक 15 फरवरी, 1990 के द्वारा दी है के संबंध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री कनहीं सिंह पुत्र श्री बंशीलाल निवासी ग्राम ककरेठा, आगरा की भूमि वर्ष 1975 में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी और उसका कब्जा दिनांक 11 जून, 1976 को लिया गया था । तत्सम्बन्धी परिषदादेश संख्या–1787-जी/राविप-1-153ए/78, दिनांक 27-6-79 तथा सं0–2132-जी/राविप-1-153ए/78, दिनांक 18-7-1979 के प्राविधानों के अनुसार 27-6-1979 के पूर्व के मामले पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे । अतः श्री कनही सिंह पुत्र श्री बंशीलाल निवासी ग्राम ककरैठा, आगरा के परिवार का कोई भी सदस्य विद्युत परिषद् में नौकरी पाने का अधिकारी नहीं है ।

गोण्डा जिले के बभनजोत विकास खण्ड में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

69–श्री दशरथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत सन् 1985 से 90 तक गोण्डा जिले में कुल कितने विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये गये ? क्या बभनजोत विकास खण्ड में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

गोण्डा जिले में 1985 से 1990 तक दो 32 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के छोटा चांदगंज की निवासी श्रीमती विमला की रहस्यमय हत्या की जांच

70–श्री सुखवीर सिंह तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9-5-89 को स्वर्गीय विमला पत्नी मुन्ना लाल, निवासी छोटा चांदगंज, लखनऊ की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई हत्या की सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ? सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

अपराध अनुसंधान विभाग की जांच प्रगति पर है । कार्यवाही में विलम्ब नहीं हुआ है जांच पूरी होने पर यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

जनपद फैजाबाद के अमानी बाजार में विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव

71–डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद में अमानी गंज बाजार, में विद्युत सब-स्टेशन खोला जाना प्रस्तावित था तथा वहां इसके लिए भूमि भी उपलब्ध करा दी गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक स्वीकृत कार्य प्रारम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र के लिए अभी भूमि उपलब्ध नहीं हुई है । अस्तु कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद के हुपरगन्टनगंज में थाना खन्डासा तथा देव ग्राम में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

72–डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद हुपरगन्टनगंज में थाना खन्डासा तथा देव गांव में पुलिस चौकी की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद फैजाबाद के थाना खंडासा में हुपरगन्टनगंज नहीं है, बल्कि थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद में हरीटनगंज है । हरीटनगंज में 1983 से ही पुलिस चौकी कार्यरत है । देव गांव भी थाना खण्डासा के अन्तर्गत नहीं है, बल्कि यह थाना कुमारगंज, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत है । देवगांव में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु शासन में श्री निर्मल खत्री, संसद सदस्य का अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिस पर पुलिस मुख्यालय से सूचनाएं शासन द्वारा मांगी गयी हैं, जो अभी प्रतीक्षित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के दाउदगंज के निवासी श्री राम प्रताप की बम मारकर हत्या

73–श्री मुईद अहमद—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 25/26 दिसम्बर, 1989 की रात्रि में श्री राम प्रताप, निवासी–दाउदगंज, थाना सोमाईगंज, जिला सुल्तानपुर की मृत्यु बम मारने के कारण दिनांक 28 दिसम्बर, 1989 को मेडिकल कालेज, लखनऊ में हो गयी ? क्या इस सम्बन्ध में अपराध संख्या–323/89 धारा-459 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया ? यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी हां ।

श्री राय प्रताप की मृत्यु की सूचना के उपरान्त प्रश्नगत अभियोग धारा 460 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया । अभियुक्तों की तलाश की जा रही है । विवेचना जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत मजदूर संगठन, उ0 प्र0 द्वारा अभियन्ताओं द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही

74–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 दिसम्बर, 1989 को उनके वाराणसी आगमन पर विद्युत मजदूर संगठन, उ0 प्र0 के एक प्रतिनिधि मंडल ने सर्किट हाउस में उनसे मिलकर परिषद् की कार्य प्रणाली तथा अभियंताओं द्वारा की जा रही अनियमितताओं से संबंधित एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत मजदूर संगठन, उ0 प्र0 का प्रश्नगत ज्ञापन ऊर्जा विभाग/राज्य विद्युत परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा नगर में 11000 वाट की विद्युत लाइन से सुरक्षा के उपाय

75–श्री दशरथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा नगर में 11000 वाट की लाइन बिना गार्ड (जाली) के बिछाई गयी है जिसके फलस्वरूप गोण्डा में विगत वर्षों में एक बस दुर्घटना में कई लोग मरे? यदि हां, तो उक्त विद्युत लाइन से सुरक्षा के क्या उपाय किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गोण्डा नगर में 11000 वाट की लाइन का अधिकांश भाग गार्ड लाइन के सहित है।

विगत वर्ष में एक दुर्घटना इस कारण हुई थी कि एक सीमेंट के पोल को रात्रि के समय एक निजी ट्रक चालक ने धक्का मार दिया जिसके कारण तार ढीले हो गये और गुजरती हुए बस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी।

लाइन के जिस भाग में गार्ड नहीं लगा है और नियमानुसार आवश्यक है उसमें गार्ड लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गोण्डा के कस्बे श्रीनगर व रेहरा बाजार में ट्रांसफार्मर दगने से जलकर कई लोगों की मृत्यु

76–श्री दशरथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोण्डा के कस्बे श्रीनगर व रेहरा बाजार में 11000 वाट की लाइन का डबल पोल बीच कस्बे में मकान से सटा लगा है जिसके

फलस्वरूप वर्ष, 89 में ट्रांसफार्मर दगने से रेहरा में कई लोग जलकर मर गये थे? यदि हां, तो उक्त डबल पोल को आबादी से बाहर न किये जाने का क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गोण्डा के कस्बे श्रीनगर ब रेहरा में 11000 वाट की लाइन का डबलपोल, जिस पर ट्रांसफार्मर लगा है, बहुत पहले से लगा हुआ है और इससे सटा कर मकान बाद में बना लिया गया है। दुर्घटना डबल पोल के मकान से सटा होने के कारण नहीं हुयी थी बल्कि निकट स्थित एक निजी कार्यशाला में ट्रांसफार्मर की मरम्मत करते समय हुयी थी।

उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण डबल पोल को हटाया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद जौनपुर, ग्राम राजेपुर के श्री अमरजीत सिंह के घर में लूटपाट एवं मारपीट

77–डा0 सरजीत सिंह डंग–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 दिसम्बर, 1989 को जौनपुर जनपद के थाना-सरायख्वाजा के अन्तर्गत ग्राम-राजेपुर के निवासी अमरजीत सिंह के घर में घुसकर लूटपाट एवं मारपीट की सूचना पुलिस को मिली? यदि हां, तो सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने अपने यहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज किया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद जौनपुर के सरायख्वाजा थानान्तर्गत ग्राम राजेपुर के निवासी श्री अमरजीत सिंह द्वारा 7-12-89 को पुलिस अधीक्षक जौनपुर के यहां एक आवेदन पत्र दिया गया जिसमें दिनांक 6-12-89 को उसके घर पर कुछ लोगों द्वारा धावा बोलकर लूटपाट एवं मारपीट करने का आरोप लगाया गया था।

पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जांच के पश्चात्, जांच आख्या के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, बिजली विभाग की हाईटेन्शन लाइन को हटाने की मांग

78–श्री राम कुमार शुक्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0-सी0 एम0/वि0को0-एम-1-ल/3-291/89 जो लखनऊ के त्रिवेणी नगर के बीच से जाने वाली बिजली विभाग की हाईटेन्शन लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, मिला? यदि हां, तो उक्त लाइन को अभी तक न हटाये जाने के क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत 11 के0 वी0 लाइन लगभग 20 वर्ष पूर्व बनाई गयी थी। उस समय त्रिवेणीनगर नाम की कोई कालोनी नहीं थी। यह कालोनी लगभग 10 वर्ष पूर्व बननी प्रारम्भ हुई। यह एक अविकसित कालोनी है और लोगों ने मकानों का निर्माण इस लाइन के नीचे अनियमित रूप से बिना विभाग को सूचित किये करा लिया है। लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित करने में लगभग 5.75 लाख का व्यय होने का अनुमान है जो परिषद् द्वारा वहन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर नगर में फल तथा सब्जी मण्डी बनाने की मांग

79–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में फल तथा सब्जी मण्डी बनने का प्रस्ताव सरकार के पास पिछले पांच वर्ष से विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कृषि उत्पादन मंडी समिति, शाहजहांपुर के फल सब्जी मंडी स्थल निर्माण हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव वर्ष 1987 में प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत धारा 4/17 की अधिसूचना जारी हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश में अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारियों तथा उच्च अधिकारियों की रिक्तियों का विवरण

80–श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में अग्निशमन सेवा विभाग के अग्निशमन अधिकारी तथा उच्च अधिकारियों के कितने पद कब से रिक्त हैं? इन रिक्तियों पर अब तक नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं? नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में अग्निशमन अधिकारी एवं उससे उच्च अधिकारियों के निम्नलिखित पद उनके सम्मुख उल्लिखित विवरण के अनुसार रिक्त हैं :–

क्रमांक	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	पद कब से रिक्त हैं, उनका वर्ष
1–	अग्निशमन अधिकारी	16	1989
2–	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	6	1 पद वर्ष 1986 से 1 पद वर्ष 1987 से 1 पद वर्ष 1988 से 2 पद वर्ष 1990 से
3–	सहायक सेनानायक, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र	1	1988
4–	उप निदेशक (प्राविधिक)	1	1985

क्रमांक 1 पर उल्लिखित अग्निशमन अधिकारी के रिक्त सभी 16 पदों पर विभागीय प्रोन्नति हेतु उपयुक्त/पात्र अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं। उपयुक्त/पात्र अधिकारियों की उपलब्धता पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

क्रमांक 2 तथा 3 पर उल्लिखित मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा सहायक सेनानायक, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र के सभी रिक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं, जिन्हें भरने हेतु आयोग को संदर्भ भेजा गया है । आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

क्रमांक 4 पर उल्लिखित उपनिदेशक (प्राविधिक) का एक रिक्त पद, एक वरिष्ठ मुख्य अग्निशमन अधिकारी के स्थायीकरण का मामला विवादित होने के कारण नहीं भरा जा सका है। इस अधिकारी के स्थायीकरण के मामले में अंतिम निर्णय होने के उपरान्त यह पद भरा जायेगा।

उपरोक्त सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की कोई निश्चित अवधि अंकित करना सम्भव नहीं है।

आगरा महानगर की सब्जी मण्डी को छीपी टोला स्थान से हटाकर सिकन्दरा क्षेत्र में स्थापित करने की योजना

81–श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर के वर्तमान सब्जी मंडी को छीपी टोला से हटाकर सिकन्दरा क्षेत्र में स्थापित करने की योजना स्वीकृत है तथा उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है? यदि हां, तो यह योजना कब से स्वीकृत है तथा छीपीटोला स्थित सब्जी मण्डी के जमीन का क्या उपयोग होगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

परिषद् के पत्रांक-भू0 अ0/आगरा 420/89-3818, दिनांक 22-9-1989 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान छीपी टोला सब्जी मंडी आगरा विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति है, इसका उपयोग विकास प्राधिकरण के निर्णय पर निर्भर होगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधिष्ठान में संवायोजित श्री दयाराम चपरासी के वेतन का भुगतान

82–श्री अमर मणि–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधिष्ठान में संवायोजित श्री दयाराम रनर/चपरासी के वेतन का भुगतान संबंधित अधिकारी के उपस्थिति प्रमाण-पत्र के बाद भी रोके जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-4-90 मुख्य मंत्री तथा मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) व अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री दयाराम चपरासी को कार्यालय अध्यक्ष ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के साथ राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सम्बद्ध किया गया था अतः समिति के कार्यकाल में उसके द्वारा की गयी सेवाओं का वेतन भुगतान करने के आदेश राज्य विद्युत परिषद् को दे दिए गए हैं ।

जनपद फैजाबाद, ग्राम देवेरा कटरा के कथित अराजक तत्वों द्वारा हरिजनों को उत्पीड़ित करने के सम्बन्ध में किये गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही

83–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हनोमान तथा श्री जंग बहादुर अनुसूचित जाति आदि निवासी-ग्राम-देवेरा कटरा, थाना-अमानीगंज (खण्डासा) जनपद-फैजाबाद का उक्त ग्राम के असामाजिक तत्वों द्वारा हरिजन उत्पीड़न करने विषयक शिकायती प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय सांसद श्री मित्रसेन यादव के पत्र के साथ दिनांक 27-3-90 एवं 28/30-3-90 जिला अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद-फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर जांच कराकर अराजक तत्वों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा0 सांसद श्री मित्रसेन यादव के पत्र दिनांक 25-3-90 के साथ श्री हनोमान व जंगबहादुर आदि का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ।

शिकायत हरिजनों को मुकदमें में झूठा फसाने के बारे में थी । प्रार्थना-पत्र पर क्षेत्राधिकारी से जांच करवाई गई । झूठा फसाने के अभिकथन की पुष्टि नहीं हुई, बल्कि प्रार्थना-पत्र अभियोग की पेशबन्दी में दिया जाना पाया गया । अभियोग में विवेचना के पश्चात आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

जनपद चमोली के औद्योगिकीकरण हेतु योजना तथा कार्यक्रम बनाने की मांग

84–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग शून्य जनपद-चमोली के औद्योगिकीकरण हेतु कोई ठोस योजना एवं कार्यक्रम शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद चमोली औद्योगिकीकरण हेतु अलग से कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । इस जनपद के औद्योगिकीरण हेतु कई औद्योगिक नीति में राज्य पूंजी उत्पादन, अतिरिक्त राज्य पूंजी उपादान, विशेष पूंजी उपादान, पायनियर व प्रेस्टिज इकाइयों के लिए तथा ब्लाक स्तरीय पायोनियर इकाइयों को विशेष राज्य पूंजी उपादान, परिवहन उपादान तथा बिक्रीकर की निश्चित की गई सीमा में बढ़ी हुई अवधि तक छूट जैसी सुविधाओं का प्राविधान किया गया है ।

जनपद फर्रुखाबाद के साधन सहकारी समिति अमृतपुर विकास खण्ड राजेपुर में हुये वित्तीय घोटाले की जांच

85–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-12-87 को प्रसाशक, साधन सहकारी समिति अमृतपुर विकास खण्ड राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद ने थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट समिति में हुये वित्तीय घोटाले के संबंध में लिखाई थी ? यदि हां, तो इस मामले में जांच के उपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अभियोगों की विवेचना प्रचलित है ।

जनपद लखीमपुर खीरी के तिकुनिया एवं निधासन में अवर अभियन्ता (विद्युत) की तैनाती

86–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री जनहित में जनपद लखीमपुर खीरी के तिकुनिया एवं निघासन में लम्बे अर्से से अभियन्ता (विद्युत) के रिक्त पदों पर तत्काल तैनाती सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन में अवर अभियन्ता पहले से तैनात है । तिकुनिया में अवर अभियन्ता की तैनाती मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा स्थानान्तरित अवर अभियन्ताओं के लखनऊ क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने पर कर दी जायेगी ।

जनपद कानपुर थाना बिठूर के उपनिरीक्षक श्री विजय बहादुर सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी श्री सत्येन्द्र शर्मा के विरुद्ध दिये गये आवेदन पत्र पर कार्यवाही

87–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1986-78 में उप निरीक्षक विजय बहादुर सिंह जो थाना-बिठूर, जनपद कानपुर नगर में तैनात थे, ने एक आवेदन-पत्र दिनांक 16-5-90 को तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी श्री सत्येन्द्र शर्मा के विरुद्ध दिया था, जिसकी जांच ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र संख्या-142/87, दिनांक 21-5-87 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक नगर श्री ए0 के0 गुप्ता से करायी ? यदि हां, तो जांच अधिकारी के पत्र संख्या-41/87 दिनांक 19-1-88 पत्र दिनांक 16-5-87 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर श्री शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर जांच किए जाने हेतु जांच अधिकारी के कथित पत्र दिनांक 19-1-88 की प्रति उनको उपलब्ध करा दी गयी है । अपराध अनुसन्धान विभाग की जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गाजियाबाद के कस्बा मोदीनगर में मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल बन्द होने से हजारों मजदूर भुखमरी के शिकार

88–श्री सुखबीर सिंह गहलौत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा मोदी नगर जनपद-गाजियाबाद में मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल कई वर्षों से बन्द पड़ी है जिससे हजारों मजदूर भुखमरी के कगार पर है ? क्या शासन इस मिल का अतिशीघ्र चलाये जाने के आदेश पारित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल की तीन इकाईयां मेसर्स माडर्न स्पिनर्स लि0, (बी यूनिट) दिनांक 5-8-83 से, मेसर्स विशाल सिन्टेक्स लि0, (सी यूनिट) दिनांक 3-10-84 से एवं मोदी टेक्सटाइल लि0, (सिल्क यूनिट) दिनांक 22-3-85 से बन्द पड़ी है ।

शासन ने सेवायोजकों द्वारा उक्त मिलों को बन्द करने से संबंधित प्राथना-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया था । इसके विरोध में सेवायोजकों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया । फलस्वरूप वर्तमान में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के ग्रामों में विद्युतीकरण का शेष कार्य पूर्ण किया जाना

89–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपा जनकारी है कि विधान सभा क्षेत्र–31-कुन्दरकी, मुरादाबाद में ग्रामों में आर0 ई0 (स्कीम) के द्वारा विद्युतीकरण किया गया जिनमें अधिकांश ग्रामों में

केवल विद्युत पोल खड़े हैं और उन पर तार व कन्डक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों में कन्डक्टर व तारों की पूर्ति के लिए कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, विधान सभा क्षेत्र–31 कुन्दरकी मुरादाबाद में विकास खण्ड डींगरपुर व बिलारी में आर0 ई0 सी0 योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण किया गया । 49 ग्रामों में एल0 टी0 मेन्स डाल कर विद्युतीकरण किया गया और 44 ग्रामों में केवल पोल ही खड़े किये जा सके, तार उपलब्ध न होने के कारण नहीं खींचा जा सका, इन 44 ग्रामों में 39 ग्राम ऐसे थे जो पहले से विद्युतीकृत थे तथा योजना के अंतर्गत इनमें एल0 टी0 लाइन का विस्तार कार्य होना था । उक्त ग्रामों में तार की पूर्ति के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और तार उपलब्ध होते ही विद्युतीकरण का शेष कार्य पूरा किया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, प्रधान प्रबन्धक को, उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगमों का प्रबन्धक निदेशक नियुक्त किया जाना

90–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि अनुभाग-2 के पत्र संख्या–5597/12/2-3बी-एस/87, दिनांक 8-9-988 द्वारा श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, प्रधान प्रबन्धक, उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिये संविदा के आधार पर उक्त निगम का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 18-2-86 होते हुए उनके अभी तक इस पद पर बने रहने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । शासनादेश का सही संदर्भ 5579/12-2-88-एस0 51/87 दिनांक 8-8-88 है । इस शासनादेश के अनुपालन में डा0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह ने 9-8-1988 को कार्यभार ग्रहण किया । अत: 8 अगस्त, 1991 को उनका कार्यकाल समाप्त होगा । 9-8-1988 के पूर्व डा0 सिंह स्थानापन्न प्रबंध निदेशक 18-2-86 से थे, न कि प्रबंध निदेशक ।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्धारित स्थानान्तरण नीति

91–श्री ओम प्रकाश–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ कृषि सेवा कर्मचारियों के एक जनपद में कितने समय तक व गृह जनपद में रहने के नियम हैं ? बाराबंकी में कितने कर्मचारी अपनी निर्धारित अवधि से ज्यादा समय से हैं और क्यों ? उनमें से कितने गृह जनपद में तैनात हैं ? कितने कर्मचारी स्थानान्तरण होने के उपरान्त एक वर्ष के अन्दर ही पुन: बाराबंकी जनपद में तैनात किये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1990-91 की स्थानान्तरण नीति से संबंधित जारी शासनादेश संख्या-2376/12-1-90-2128/90, दिनांक 20-4-90 में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1, 2, 3 के कर्मचारी एक जनपद में 9 वर्ष तक रह सकते हैं । गृह जनपद में रहने का कोई प्राविधान नहीं है ।

बाराबंकी जनपद में वर्ग-1 का कोई भी कर्मचारी निर्धारित अवधि से ज्यादा समय से कार्यरत नहीं है । वर्ग-2 के 3 कर्मचारी निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके थे जिनमें से दो कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है और कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त भी कर दिया गया है । मात्र एक कर्मचारी को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अभी स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है । अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के कुल 5 कर्मचारी निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके थे जिनका स्थानान्तरण किया जा चुका है और कार्यमुक्त किये जाने के आदेश भी दे दिये गये है । इन कर्मचारियों में से कोई कर्मचारी गृह जनपद में तैनात नहीं है ।

केवल एक ।

निरीक्षक, सी0 बी0, सी0 आई0 डी0, गोरखपुर द्वारा उ0 प्र0 राज्य कताई मिल, अकबरपुर में हुई चोरी की घटना की जांच रिपोर्ट तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

92–डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 के0 मलिक निरीक्षक, सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल अकबरपुर की किसी चोरी की घटना की जांच वर्ष 1984-85 में की थी, जिसकी रिपोर्ट मु0 अ0 सं0–528/88-यू0 एस0/20 बी-408/201/218/167 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत अकबरपुर जिला–फैजाबाद कोतवाली में लिखाई गयी है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अपराध अनुसंधान शाखा की जांच आख्या के आधार पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर ली गई है ।

93–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला–फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में घटी घटना की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0, गोरखपुर द्वारा होने के बाद अपराध संख्या-528/85 यू0 एस0 धारा-120-बी/408/201/218/167, आई0 पी0 सी0 की रिपोर्ट अकबरपुर जिला–फैजाबाद में दर्ज कराई गयी थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त अपराधी कर्मचारी व अधिकारी अब भी उ0 प्र0 राज्य कताई मिल के अन्तर्गत चल रही मिलों में कार्यरत है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अपराध शाखा द्वारा अपराध संख्या-528/85 यू0 एस0 धारा-120 बी/408/218/201/167 भा0 दी0 वि0 की0 रिपोर्ट थाना अकबरपुर जिला फैजाबाद में दर्ज कराई गई थी ।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 विभाग द्वारा विस्तृत जांच की गई थी और उक्त जांच के निष्कर्षों के आधार पर कतिपय अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चार्जशीट में नामित व्यक्तियों में से केवल श्री बाबूराम त्रिपाठी, सुरक्षा रक्षक मिल में कार्यरत है क्योंकि मुकदमें में अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

जनपद गाजियाबाद में विकासशील औद्योगिक नगरी सूरजपुर में नया थाना स्थापित करने का प्रस्ताव

94–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकासशील औद्योगिक नगरी, सूरजपुर, जनपद–गाजियाबाद में एक नया थाना बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह थाना कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक नगरी सूरजपुर, जनपद गाजियाबाद में तो नहीं, किन्तु एस्कोर्ट यामाह फैक्ट्री, जो वर्तमान थाना दादरी क्षेत्र के ग्राम सूरजपुर में नोएडा–दादरी मार्ग पर स्थित है, में पुलिस चौकी की स्थापना की स्वीकृति जनवरी, 1990 में दी गयी है । थाना बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । अतः क्यों का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज के ग्राम अतरौली के असामाजिक तत्वों द्वारा श्री राम औतार यादव को उत्पीड़ित करने विषयक प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

95–श्री राधेश्याम भारतीय, श्री मूल चन्द्र तथा श्री फौजदार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम औतार यादव पुत्र श्री शिवचरन निवासी ग्राम-अतरौली, थाना–मोहनलालगंज, जनपद–लखनऊ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-1-90 थानाध्यक्ष, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ को तथा दिनांक 2-4-90 का प्रार्थना-पत्र मा0 सदस्य श्री रामचन्द्र बख्श सिंह एवं श्री राजकिशोर सिंह के उपरिपत्र के साथ क्षेत्राधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ को उक्त व्यक्ति के गांव के ही असामाजिक व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़ित करने के संबंध में, जांच करके कार्यवाही करने विषयक प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सन्दर्भित पत्र प्राप्त नही हुए प्रतीत होते हैं । प्रश्न की प्राप्ति पर मामले की जांच वरिष्ठ उप निरीक्षक से करवाई गई । मामूली वाद दीवानी प्रकृति का होने के कारण पुलिस कार्यवाही अपेक्षित नहीं पाई गई ।

जिला फैजाबाद, अकबरपुर के विद्युत वितरण खण्ड द्वारा निजी नलकूपों को कनेक्शन न दिया जाना

96–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ब्लाक भीटी में निजी नलकूप लगवाने हेतु 1 जून, 1989 से अब तक कितने एग्रीमेन्ट हुए तथा उनमें से कितने को कनेक्शन प्रदान किया गया ? क्या यह सत्य है कि उक्त हेतु एग्रीमेन्ट एवं पूर्ण शुल्क जमा करने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ब्लाक भीटी में निजी नलकूपों के कनेक्शन हेतु 1-6-89 से 31-3-90 तक 66 अनुबन्ध हुए तथा उनमें से 28 नलकूपों को कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है ।

जी हां । शेष 38 आवेदकों को जिन्होंने अनुबन्ध करके पूर्ण शुल्क जमा कर दिया है संसाधनों की कमी के कारण अभी तक कनेक्शन नहीं दिया जा सका है ।

जनपद कानपुर देहात, थाना सट्टी, ग्राम अपसरिया के श्री आबिद अली द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 को थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

97–श्री रामस्वरूप वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 को दिनांक 27-12-89 को भेजा गया श्री आबिद अली ग्राम–अपसरिया, थाना-सट्टी, जिला कानपुर देहात का शिकायती पत्र जो संबंधित थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मामले की जांच करायी गयी । जांच से थानाध्यक्ष सट्टी श्री राम मूरत राम एवं उपनिरीक्षक श्री लज्जा राम यादव, थाना मुसानगर के विरुद्ध अपराध संख्या 64/89 के न्यूनीकरण किये जाने का मामला पाये जाने पर उनके विरुद्ध पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 478-ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा थानाध्यक्ष सट्टी श्री राममूरत राम को थानाध्यक्ष पद से स्थानान्तरित कर दिया गया है । साथ ही उक्त मुकदमा धारा 395/397 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित कर विवेचना की जा रही है ।

98–श्रीमती सरस्वती तिवारी–

[दि0 15-6-90 को अता0 प्र0 सं0 137 द्वारा उत्तारित]

पिकप द्वारा ऋण स्वीकृत और वसूली का विवरण

99—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिकप द्वारा पांच वर्षों में कितने करोड़ रुपयों का ऋण स्वीकृत किया गया ? विगत पांच वर्षों में वर्षवार कितने रुपये की ऋण की डिमान्ड लगायी गई तथा इसमें से कितनी-कितनी धनराशि की वसूली हुई ? कितना ऋण वसूला नहीं जा सका ? वर्षवार लगायी गयी डिमान्ड के अनुसार ऋण की वसूली न होने के लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पिकप द्वारा विगत 5 वर्षों में 550.25 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण स्वीकृत किया गया है .

विगत 5 वर्षों में वर्षवार ऋण की डिमाण्ड तथा इसमें से वसूल की गई धनराशि के विवरण निम्नवत् हैं :—

(लाख रु0 में)

वर्ष	ऋण की डिमाण्ड (ओवरड्यूज शामिल करके)	वसूल की गयी धनराशि	ऋण की वसूली का प्रतिशत (शुद्ध मांग पर)
1985-86	3075.10	1387.84	45.13%
1986-87	4153.43	2103.65	50.65%
1987-88	6029.20	3216.05	53.34%
1988-89	7806.84	4463.50	57.17%
1989-90	10222.64	5893.78	57.65%

दिनांक 31-3-90 को निगम के ऋणों की कुल स्थिति 43.29 करोड़ रु0 (17.39 करोड़ मूलधन तथा 25.90 करोड़ ब्याज) थी ।

इकाइयों के मामले में न्यायालय एवं बी0 आई0 एफ0 आर0 आदि में लम्बित होने के कारण डिमाण्ड के अनुसार ऋण की वसूली नहीं की जा सकी और जिसके लिए किसी को दोषी ठहराना न्यायोचित न होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में स्थित बटलर पैलेस कालोनी का नाम बदलकर राममनोहर लोहिया कालोनी रखे जाने का प्रस्ताव

100—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में स्थित बटलर पैलेस कालोनी का नाम बदलकर डा0 राम मनोहर लोहिया कालोनी रखा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

लखनऊ स्थित बटलर पैलेस कालोनी का नाम बदलकर डा0 राम मनोहर लोहिया कालोनी रखे जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ।

इस प्रस्ताव पर यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के शहर बांदा में विद्युत स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव

101—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के शहर बांदा में 220 के0 वी0 का विद्युत स्टेशन बनना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इस प्रस्तावित विद्युत स्टेशन का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

उक्त विद्युत सब स्टेशन का निर्माण भूमि न मिलने के कारण अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । भूमि मिलने के पश्चात आगामी 2-3 वर्षों में इसका निर्माण पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ।

जनपद गाजीपुर में अन्धऊ से नन्दगंज तथा अन्धऊ से जाँहरगंज के बीच की विद्युत आपूर्ति रोके जाने के कारण

102—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्धऊ विद्युत उप केन्द्र से नन्दगंज व अन्धऊ से जाँहरगंज को विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अन्धऊ विद्युत उपकेन्द्र से की जा रही थी ? यदि हां, तो अन्धऊ से नन्दगंज व अन्धऊ से जाँहरगंज के बीच के तार कटवा कर विद्युत आपूर्ति रोके जाने के क्या कारण है ? उक्त क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति कब तक पुनः स्थापित कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । 132 के0 वी0 अन्धऊ (गाजीपुर) उपकेन्द्र से 33 के0 वी0 नन्दगंज उपकेन्द्र द्वारा नन्दगंज को तथा 33 के0 वी0 सैदपुर उपकेन्द्र द्वारा जाँहरगंज को विद्युत आपूर्ति की जा रही थी ।

जाँहरगंज में 132 के0 वी0 उपकेन्द्र चालू होने के पश्चात् इस उपकेन्द्र से 33 के0 वी0 सैदपुर तथा 33 के0 वी0 नन्दगंज उपकेन्द्र को विद्युत आपूर्ति की जा रही है । कोई तार कटवाकर आपूर्ति रोकी नहीं गयी है बल्कि अन्धऊ से नन्दगंज के बीच की 33 के0 वी0 लाइन जिसके द्वारा अब आपूर्ति नहीं की जा रही है, के कुछ स्थानों का तार चोरी हो गया है ।

उक्त क्षेत्रों को 132 के0 वी0 जौहरगंज उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति चल रही है परन्तु कभी-कभी जौहरगंज से नन्दगंज की 33 के0 वी0 लाइन के ओवरलोड हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। इस समस्या को दूर करने और नन्दगंज उपकेन्द्र को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु अन्धऊ से नन्दगंज की 33 के0 वी0 लाइन को पुनः चालू करने की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था मार्च 1991 तक हो जाने की सम्भावना है।

जनपद मऊ के ब्लाक रसड़ा में ग्रामों का विद्युतीकरण

103—श्री राम बचन धुसिया—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लाक व जनपद-बलिया के रसड़ा ब्लाक के कौन-कौन से गांव वर्ष 1989–90 तक विद्युतीकरण हेतु चयनित किये गये थे? उनमें से कितनों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा कितने शेष हैं? शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लाक में मार्च 1989 तक 56 ग्राम विद्युतीकृत थे, तथा वर्ष 1989–90 में 32 ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया (सूची संलग्न है) इनमें से 6 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा 26 शेष हैं।

बलिया जनपद के रसड़ा ब्लाक में मार्च 1989 तक 45 ग्राम विद्युतीकृत थे तथा वर्ष 1989–90 में निम्न 5 ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया :—

1—नसीरपुर

2—सहबलपुर

3—सण्डलपुर

4—प्रधानपुर

5—रसूलपुर

संसाधनों की कमी के कारण उक्त ग्रामों में से किसी का विद्युतीकरण नहीं हो सका।

शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत सम्भव हो सकेगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 148 पर)

जनपद बांदा के मानिकपुर विकास खण्ड के ग्रामों का विद्युतीकरण

104—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के मानिकपुर विकास खण्ड में कौन-कौन से ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है? इनका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद बांदा के मानिकपुर विकास खण्ड में ऐसे 87 ग्राम हैं जिनका विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है। इन ग्रामों की सूची संलग्न है।

इनका विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में जनपद के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अन्तर्गत सम्भव हो सकेगा जो ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 149–150 पर)

जनपद मेरठ में किसानों के हितार्थ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

105—श्री साहब सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के हितार्थ एवं कृषि अनुसंधानों की नवीनतम जानकारी देने हेतु मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बड़ौत के जनता वैदिक कालेज (कृषि) को कृषि संस्थान का स्वरूप प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं।

क्योंकि पंडित गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल में स्थित है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के हितार्थ कृषि शोध एवं प्रसार का कार्य कर रहा है। इसके कार्यक्षेत्र में जनपद मेरठ भी आता है। अतएव मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचारार्थ नहीं है।

106—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[दिनांक 14-6-90 को अता0 प्र0 सं0 189 द्वारा उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद, थाना दक्षिण के चंदवार गेट थाना फिरोजाबाद दक्षिण के अंतर्गत कार्यकर्ता श्री अशोक कुमार जोशी की असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या

107—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 26-1-90 को 9 बजे सुबह नगर फिरोजाबाद स्थित चंदवार गेट थाना फिरोजाबाद दक्षिण के अंतर्गत मो0 जोशियान के युवा जनता दल कार्यकर्ता श्री अशोक कुमार जोशी पर असामाजिक व्यक्तियों ने चाकुओं से हमला किया जिससे श्री अशोक कुमार जोशी की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो अब तक शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अशोक कुमार जोशी की हत्या के संबंध में दिनांक 26-1-90 को अपराह्न 12.05 बजे श्री बहोरी लाल पुत्र मुवा राम जोशी द्वारा दी गयी सूचना पर थाना दक्षिण फिरोजाबाद पर अ0 सं0 108/90 अंतर्गत धारा 147/148/302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में विवेचनोपरान्त नामांकित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

जनपद बरेली, थाना कैन्ट के श्री चन्द्र पाल की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत

108–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि एक युवक चन्द्रपाल पुत्र शिव प्रसाद थाना कैन्ट, बरेली की 10 अगस्त, 1988 को पुलिस की हिरासत में संदिग्ध रूप से मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार यह सही नहीं है कि चन्द्र पाल नामक युवक की दिनांक 10-8-88 को पुलिस हिरासत में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई । दिनांक 10-8-88 को चन्द्रपाल पुत्र शिव प्रसाद द्वारा थाना कैन्ट बरेली पर अभियुक्तगण प्रेमपाल, लाला-राम, गेंदनलाल व धर्मपाल के विरुद्ध अपने साथ मारपीट करने की सूचना अंकित कराई गयी । इस सूचना के आधार पर अ0 सं0 125/88 धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । श्री चन्द्रपाल जिला अस्पताल में भर्ती हुआ जहां दिनांक 14-8-88 को उनकी मृत्यु हो गई । तदुपरान्त अभियोग को धारा 304 504/506/भा0 द0 वि0 में परिवर्तित करके विवेचनोपरांत सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 30-8-88 को न्यायालय प्रेषित किया गया है, जहां विचाराधीन है ।

जनपद बरेली के आजमनगर के निवासी श्री राकेश पुत्र श्री रामचन्द्र का गायब होने विषयक प्रश्न कर्ता के पत्रपर कार्यवाही

109–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को राकेश पुत्र श्री राम चन्द्र निवासी 585 आजमनगर बरेली के गायब होने के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 10 जनवरी, 1990 का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मामले में जांच करने पर मालूम हुआ है कि श्री मुकेश बंसल ने दिनांक 8-5-89 को थाना कोतवाली पर अपने कार ड्राइवर राकेश पुत्र राम चन्द्र के विरुद्ध कार गायब करने के संबंध में अभियोग अ0 स0 554/89 धारा 406 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया । विवेचना से अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त सबूत मिलने के बाद मफरूरी में आरोप पत्र दिनांक 27-1-90 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है । अभियुक्त की तलाश जारी है। राकेश के अपहरण की घटना प्रमाणित नहीं होती है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद ललितपुर में भारी उद्योग स्थापित करने की मांग

110–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद उद्योग शून्य जनपद है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त जनपद में कोई दो भारी उद्योग स्थापित किए जाने की कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

ललितपुर जनपद में एक भारी उद्योग मेसर्स भारत एक्स्पलोसिव लि0 स्थापित है तथा दूसरा भारी उद्योग स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पिपरौला में खाद के कारखाने हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा

111–श्री सुरेन्द्र कुमार खन्ना–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के संबंध में शासन द्वारा भूमि स्वामियों को 55000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या रोड साइड की भूमि के स्वामियों को 55,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अन्तरिम मुआवजा अदा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?तथा कब तक किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम पिपरौला में सड़क के किनारे (रोड साइड) की भूमि का प्रतिकर अंकन 55,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से निर्धारण हो रहा है । इसी के अनुसार अंतरिम प्रतिकर 80 प्रतिशत की दर से कई कृषकों को भुगतान भी कर दिया गया है और शेष खातेदारों के संबंध में विधिवत कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

112–श्री राम कुमार शुक्ला–

[दिनांक 14-6-90 को अता0 प्र0 सं0 190 द्वारा उत्तरित]

वाराणसी महानगर स्थित दोषीपुरा में कब्रों को हटाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन

113–श्री अमर नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी महानगर स्थित दोषीपुरा में कब्र को हटाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 1983 द्वारा दोषीपुरा स्थित कब्रों को हटाने के संबंध में आदेश दिया था जो निम्न प्रकार है :–

(क) लाल मोहम्मद एवं श्रीमती सकीना की दोनों कब्रों को अपनी मूल स्थिति से हटाकर हकीम बदरूद्दीन की कब्र के दक्षिण पुनर्स्थापित कर दिया जाय और

तीनों कब्रों की दीवाल से तीन तरफ से इस प्रकार घेर दिया जाय, जिससे इन कब्रों के पश्चित तरफ स्थित सड़क की ओर से ही इन कब्रों तक पहुंचा जा सके ।

(ख) शेष आठ प्लाटों में उपलब्ध खुले स्थान को (प्लाट नं0–246 जिस पर मस्जिद है को छोड़कर) पक्की दीवाल से चारों तरफ से इस प्रकार घेर दिया जाय, जिससे उक्त भूखण्ड पर सुन्नी सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा कोई अतिक्रमण न किया जा सके ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कालान्तर में अपने आदेश दिनांक 7 मार्च, 1986 द्वारा कब्रों को हटाने संबंधी अपने आदेश दिनांक 23.9.83 तथा 2.2.84 का क्रियान्वयन अगले दस वर्षों की अवधि अर्थात् दिसम्बर, 1995 तक के लिए स्थगित कर दिया । अन्तरिम व्यवस्था के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28-9-84 एवं 7-5-85 द्वारा विवादित स्थल पर शिया सम्प्रदाय द्वारा अपने परम्परागत त्यौहारों के आयोजन तथा हकीम बदरुद्दीन की मजार पर सुन्नी सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा चढ़ाने एवं फातिहा पढ़ने के कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन मौके पर अक्षरसः किया जा रहा है । पुनः अपने आदेश दिनांक 7-3-86 द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अन्तरिम व्यवस्था हेतु जारी किए गए उपरोक्त प्रयोगात्मक आदेशों में कतिपय संशोधन कर दिया गया जिसके अनुसार कटीले तारों के स्थान पर लाल मोहम्मद एवं श्रीमती सकीना की कब्रों को अलग-अलग 12 फीट ऊंची दीवालों से चारों तरफ से घेर कर सील कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गोण्डा के ग्राम मझौआ तांग विकास खण्ड बभनजोत में विद्युत लाइन चालू करने की मांग

114–श्री दशरथ सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि घारी घाट जिला गोण्डा से ग्राम मझौआ तांग विकास खण्ड बभनजोत में विद्युत लाइन कब बिछाई गयी थी तथा उसे अब तक चालू न करने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

ग्राम मझौआ तांग विकास खण्ड बभनजोत से घारी घाट की लाइन के खम्भे वर्ष 1975–76 में गाड़े गये थे । इस लाइन के शेष कार्य पूर्ण करके चालू न करने के कारणों के संबंध में छानबीन की जा रही है ।

गोण्डा जिले के विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लाइन बिछाने की मांग

115–श्री दशरथ सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंण्डा जिले के विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर में वर्ष 89–90 की विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में विद्युत लाइन नहीं बिछाई गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

गोण्डा जिला के विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर में वर्ष 1989–90 में विद्युतीकरण हेतु दो ग्राम प्रस्तावित थे, जिनमें संसाधनों की कमी के कारण विद्युत लाइन नहीं बिछाई जा सकी ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर की ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण

116–श्री दशरथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर जिला गोण्डा में वर्ष 1984-1985 से 1989-90 तक विभिन्न योजनाओं में कुल कितने ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण होना था और उनकी कार्यपूर्ति की स्थिति वर्षवार क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर जिला गोण्डा में वर्ष 1984-85 से 1989-90 तक विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों तथा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्षवार निम्नवत है:–

वर्ष	विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1984–85	1	1
1985–86	7	7
1986–87	7	7
1987–88	7	7
1988–89	4	4
1989–90	2	शून्य

मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, देहरादून द्वारा क्षेत्र की विस्तारता को देखते हुये विद्युत उपखण्ड का निर्माण 'सतपुली' के स्थान पर 'स्यूसी' में किया जाना

117–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान सतपुली में विद्युत उपखंड की स्थापना के लिए स्व0 श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के अ0शा0पत्र संख्या एल0/डी0/7190/88 दिनांक 21-7-88 तथा पत्र संख्या,एल0 डी0/9179/2/88 दिनांक 11-10-88 के द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री से अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो सतपुली के उपखंड की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? कब तक सतपुली में विद्युत उपखण्ड की स्थापना किये जाने की सम्भावना है?

श्री मुलायम सिंह–

जी हां । राज्य विद्युत परिषद् द्वारा देहरादून क्षेत्र के विद्युत वितरण संगठन के पुनर्गठन के आदेश सं0-687-एम.पी.आई. (08)/रा0वि0प0-88/100/4एम.पी.आई./87 दिनांक 22-7-88 द्वारा पारित करते समय उसमें "सतपुली" में विद्युत वितरण उपखण्ड की स्वीकृति की गयी थी, किन्तु क्षेत्र की विस्तारता को देखते हुये मुख्य क्षेत्रीय

अभियन्ता, देहरादून द्वारा इस उपखण्ड के मुख्यालय को "स्यूसी" कर दिया गया जहां इसकी भौगोलिक परिस्थिति वश उपयोगिता अधिक है और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा सम्भव है ।

गढ़वाल जनपद के कोटद्वार (गढ़वाल) में 132 के0 वी0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाने का प्रस्ताव

118–श्री भारत सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद की विद्युत आपूर्ति को देखते हुए कोटद्वार गढ़वाल में 132 के0 बी0 का विद्युत सब स्टेशन प्रस्तादित है? यदि हां, तो कब तक उक्त सब स्टेशन बन जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । 132 के0वी0 सब स्टेशन कोटद्वार (गढ़वाल) को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा योजना विभाग भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने के पश्चात् आर्थिक संसाधनों के आवंटन एवं उपलब्धता पर ही उक्त सब स्टेशन का निर्माण सम्भव हो सकेगा जिसके बारे में कोई निश्चित समय की घोषणा कर पाना संभव नहीं है ।

जनपद गोण्डा में मछली गांव के जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री राज कुमार के विरुद्ध अनियमितता तथा भ्रष्टाचार का आरोप

119–श्री केदार नाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राज कुमार, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल मछली गांव विकास खण्ड मनकापुर, जनपद गोण्डा के विरुद्ध अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गबन सम्बन्धी आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान ग्राम सभा करोहामान, थाना कोतवाली, मनकापुर जनपद गोण्डा ने एक रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-3-1990 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा को दिया गया था? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर सम्बन्धित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, संदर्भित रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 01-03-90 प्राप्त हुआ था । प्रार्थना-पत्र की जांच मनकापुर थाना की पुलिस द्वारा कराई गई । जांच से श्री राज कुमार पुत्र श्री पाटेश्वरी, प्रधानाध्यापक के विरुद्ध ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला जिसके आधार पर पुलिस कार्यवाही की जा सके ।

जनपद आजमगढ़ में क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर थानों की आवश्यकता

120–श्री पंचानन राय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जनसंख्या तथा क्षेत्रफल को देखते हुए कितने थानों की आवश्यकता है ? वर्तमान में कितने थाने हैं? शेष को कब तक स्थापित करने का प्रस्ताव है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आजमगढ़ जनपद में जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने थाने आवश्यक हैं, के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

वर्तमान में कुल 24 थाने स्वीकृत हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

121–श्रीसुन्दर लाल (बाराबंकी)–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद सोनभद्र के म्योरपुर बमनी और दुद्धी विकास खण्डों के ग्रामों में निःशुल्क रोशनी की व्यवस्था

122–श्री विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सोनभद्र के म्योरपुर बमनी और दुद्धी विकास खण्ड के उर्जीकृत ग्रामों में से कितने ग्रामों में निःशुल्क रोशनी की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सोनभद्र के म्योरपुर, बमनी और दुद्धी विकास खण्डों में एल0 टी0 मेन्स द्वारा क्रमशः 39, 18 और 49 ग्राम ऊर्जीकृत हैं और सभी में ऊर्जीकरण के प्रारम्भ से ही निःशुल्क रोशनी की व्यवस्था कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के टीकापुर के निवासी श्री इन्द्रासन राय को जिला जेल गाजीपुर में बन्द किया जाना

123–श्री अफजाल अंसारी–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रासन राय पुत्र श्री रमाशंकर राय निवासी टीकापुर थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर प्रवक्ता डा0 एम0 ए0 अंसारी इण्टर कालेज यूसुफपुर गाजीपुर थाना भांवरकोल के अपराध सं0–92/84 दिनांक 14-7-84 धारा-307 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दिनांक 23-7-84 से 6-9-84 तक जिला जेल गाजीपुर में हवालाती बन्दी के रूप में बन्द थे ? यदि हां, तो उक्त केस की विवेचना में क्या तथ्य प्रकाश में आया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विवेचना में आरोप सिद्ध पाया गया ।

जनपद लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी कालोनी को ओ0 सी0 आर0 कालोनियों जैसी सुविधा दिया जाना

124–श्री राम आंतार मिश्र, श्री भोला पाण्डेय तथा श्री अतीक अहमद–

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी, लखनऊ स्थित कालोनी के 28 आवास टाइप–4 के आवासों में रखे गये हैं जबकि वास्तव में उनका कुर्सी क्षेत्रफल टाइप–4 के आवासों से कम है और राजभवन, डालीबाग, ओ0 सी0 आर0 स्थित टाइप-4 को कालोनियों जैसी सुविधा इन आवासों में नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इन आवासों में डबलडोर, 4 पंखे इग्जास्ट, बरामदों में जाली, आलमारियों में दरवाजों की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

59 वर्गमीटर से 159.4 वर्गमीटर तक की सीमा के कुर्सी क्षेत्रफल के आवास टाइप–4 के आवास हैं । डायमण्ड डेरी के प्रश्नगत आवासों का कुर्सी क्षेत्रफल इसी सीमा के भीतर है ।

जी हां ।

प्रश्नगत आवास बने बनाये क्रय किये गये हैं, अतः संरचनात्मक कारणों से डबलडोर की सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है । एक्जास्ट फैन की सुविधा अनुमन्य नहीं है । बरामदों में जाली की सुविधा अध्यासी के अनुरोध पर किराये में अतिरिक्त वृद्धि पर कर दी जाती है । कथित 28 आवासों में से अधिकांश आवासों में 4 पंखों की सुविधा उपलब्ध है । अलमारियों में दरवाजों की व्यवस्था शीघ्रताशीघ्र कराये जाने पर विचार किया जायेगा ।

जनपद गोण्डा की महिला चिकित्साधीक्षक श्रीमती मालती सिंह के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों में कार्यवाही

125–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्साधीक्षक गोण्डा श्रीमती मालती सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर, गोण्डा में अपराध संख्या 386/89 धारा 304 भा0दं0वि0 17/13(2) के अन्तर्गत 20 जुलाई, 1989 को मुकदमा पंजीकृत हुआ था? यदि हां, तो उक्त पंजीकृत मुकदमें में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रश्नगत मुकदमों की जांच पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जा रही है । जांच से अभी तक श्रीमती मालती सिंह के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है । विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भू0पू0 अध्यक्ष जिला परिषद् बस्ती के निवास पर हुयी लाखों की चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

126–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद में कोतवाली थाना अन्तर्गत स्व0 दया शंकर पाण्डेय, भूतपूर्व अध्यक्ष जिला परिषद् बस्ती के निवास पर दिनांक 13-12-88 को चोरी हुयी जिसमें लाखों रुपये की कीमती जेवरात व एक लाइसेन्सी रिवाल्वर चोर उठा ले गये, जिसकी प्राथमिकी थाना कोतवाली बस्ती में 14-12-88 को दर्ज हुयी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद बस्ती, थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-797/88 अन्तर्गत धारा 457/380भा0दं0वि0 पंजीकृत कर पुलिस द्वारा माल की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । सम्प्रति विवेचना प्रचलित है ।

मऊ जनपद के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लदुही इण्टर कालेज पोलिंग स्टेशन पर मृत कांग्रेसी कार्यकर्ता के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

127–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 22 नवम्बर, 89 को हुए मतदान में मऊ जनपद के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लुदुही इण्टर कालेज पोलिंग स्टेशन पर गोली से मृत कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री राम सूरत यादव घटना काण्ड के विरुद्ध घोसी थाने में दर्ज मुकदमें से सम्बन्धत अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

मुकदमें की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0, लखनऊ को सौंप दी गयी, जो सम्प्रति प्रचलित है ।

जनपद मऊ साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित होने के कारण पुलिस बल की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

128–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ में मानक से कम पुलिस बल है? यदि हां, तो पुलिस बल की संख्या मानक के अनुसार क्या है तथा मौजूदा समय में पुलिस बल की संख्या क्या है? क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि यह जनपद साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित जनपद है? क्या विशेष परिस्थिति में पुलिस बल की संख्या मानक से अधिक स्थायी रूप से बढ़ाए जाने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नव सृजित जनपदों हेतु पुलिस बल की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्धारित मानक के अनुरूप उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय से जनवरी 1989 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । उक्त प्रस्तावानुसार शासनादेश संख्या 470/आठ-1-63/88, दिनांक 4 मई, 1989 तथा शासनादेश संख्या 11505/छः पु-1-150(3)/89, दिनांक 12 जनवरी, 1990 द्वारा पुलिस बल की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

मौजूदा समय में पुलिस बल की संख्या निम्नवत् है:-

कान्सटेबिल	55	
हेड कान्सटेबिल	06	
उप निरीक्षक	3	
कान्सटेबिल	128	
हेड कान्सटेबिल	33	सशस्त्र
उप निरीक्षक	4	पुलिस
रिजर्व निरीक्षक	1	
एस0आई0एम0	4	मिनिस्ट्रियल
ए0एस0आई0एम0	14	स्टाफ
निरीक्षक	1	
उप निरीक्षक	5	
हेड कान्सटेबिल	8	अभिसूचना
कान्सटेबिल	7	इकाई
एस0आई0एम0	1	
निरीक्षक	1	
हेड कान्सटेबिल	1	विशेष
कान्सटेबिल	2	अभिसूचना शाखा

इस आशय का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है ।

क्यों का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के गांव उसरासहीद के श्री रमा शंकर गिरि की भैंस को विद्युत तार द्वारा मारे जाने की घटना की जांच तथा मुआवजे की मांग

129-श्री ऊदल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रमाशंकर गिरि गांव उसरासहीद पिंडरा जिला वाराणसी की कीमती भैंस विद्युत तार के ऊपर गिर जाने से मर गयी और उसका पोस्ट मार्टम 4-7-89 को किया गया? यदि हां, तो क्या यह सही है कि भैंस के मालिक को विद्युत विभाग वाराणसी ने जांच करने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने सभी कागजात के साथ अपना पत्र मुख्य मंत्री को 18-1-90 को दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मुख्य अभियन्ता, वाराणसी, क्षेत्र को निर्देशित किया गया है कि वे मृत भैंस के मालिक को नियमानुसार अनुग्रह धनराशि स्वीकृत करने हेतु अपनी संस्तुति परिषद् को तुरन्त उपलब्ध करायें । जी हां। इस संबंध में परिषद् द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को उपरोक्तानुसार निर्देशित कर दिया गया है ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् पर कनिष्ठ सांख्यकीय सहायक को पदोन्नति दिये जाने का आरोप

130–श्री जयराज गौतम–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में वर्ष 85 में वरिष्ठ सांख्यकीय सहायकों के उपलब्ध रहते हुए एक कनिष्ठ सांख्यकीय सहायक को संख्याधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गयी? यदि हां, तो इस पदोन्नति का क्या औचित्य था?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में लागत लेखा कोष्ठ में स्वीकृत सांख्यकी अधिकारी के पद पर वर्ष 1985 में एक सांख्यकीय सहायक की तदर्थ रूप से पदोन्नति की गयी थी परन्तु यह सत्य नहीं है कि वरिष्ठ सांख्यकीय सहायक के उपलब्ध रहते एक कनिष्ठ सहायक को सांख्यकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गयी थी ।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के संकलनकर्ता तथा सांख्यकीय सहायक के लिए पदोन्नति के अवसर तथा समयबद्ध वेतनमान दिया जाना

131–श्री जयराज गौतम–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत संकलनकर्ता तथा सांख्यकीय सहायक के पद धारकों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं है तथा न ही उनको समयबद्ध वेतनमान दिया गया है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पद धारकों को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के आदेश पारित किये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत संकलनकर्ता पद धारकों को सांख्यकीय सहायक पद पर प्रोन्नति का अवसर उपलब्ध है तथा कार्यहित में आवश्यक होने पर सांख्यकीय सहायकों को सांख्यकीय अधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी जाती है । परिषद् में सभी सेवकों को (ड्राइंग संवर्ग के पदों को छोड़कर) समयबद्ध वेतनमान की सुविधा अनुमन्य है ।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

132–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के पिछड़े क्षेत्र विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत कितने गांवों में अब तक विद्युतीकरण किया गया है तथा कितने गांवों में अधूरा विद्युतीकरण हुआ? सभी गांवों में विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत अब तक 69 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है तथा 1 ग्राम में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है । सभी ग्रामों का विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में वार्षिक लक्ष्यों के अन्तर्गत संभव हो सकेगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जिला बाराबंकी के ग्राम पड़री की श्रीमती सरजू देवी की सम्पत्ति हड़पने के सम्बन्ध में कार्यवाही

133–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सरजूदेवी ग्राम-पड़री तह0 फतेहपुर बाराबंकी की सम्पत्ति को हड़पने की जांच विषयक उनके प्रेषित कार्यालय से पत्रांक सीएम (वि0 को0) एम-1-ब/29-30/89 दिनांक 1-1-90 जो गृह सचिव को भेजा गया है, पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त श्रीमती सरजू देवी के प्रार्थना पत्र पर थाना कुर्सी के उप निरीक्षक द्वारा जांच करायी गयी । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड कारखाना रामपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा परसही का विद्युतीकरण

134–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया, विकास खण्ड कारखाना रामपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पसरही (विशुनपुर चकराधूस) में वर्ष 1986-87 में विद्युतीकरण कराये जाने के लिए खम्भे गिरा दिये गये और आधे ग्राम सभा में विद्युतीकरण भी करा दिया गया है लेकिन आधे ग्राम सभा में अभी तक खम्भे तक नहीं गाड़े गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त ग्राम सभा के शेष भाग में तत्काल विद्युतीकरण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। जनपद देवरिया के विकास खण्ड कारखाना रामपुर के अंतर्गत ग्राम सभा पसरही के एक ग्राम चकराधूस (कोड सं0 746) का विद्युतीकरण मार्च 1989 में कर दिया गया है और उक्त ग्राम सभा के दूसरे ग्राम विशुनपुर खुर्द (कोड सं0 745) में केवल खम्भे पहुंचाये जा सके हैं । संसाधनों की कमी के कारण ग्राम विशुनपुर खुर्द के विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है । संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद गोरखपुर कमिश्नरी में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत चोरी रोकने हेतु प्रवर्तन दल की तैनाती

135–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर कमिश्नरी में विद्युत चोरी को पकड़ने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रवर्तन दल की तैनाती कब से की गयी है तथा उस प्रवर्तन दल पर वेतन टी0ए0 पेट्रोल आदि के व्यय में वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 में कितना खर्च हुआ तथा इन वर्षों में परिषद् को प्रवर्तन दल के कार्यों से कितने राजस्व की प्राप्ति हुयी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गोरखपुर कमिश्नरी में विद्युत चोरी को पकड़ने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रवर्तन दल का गठन 1977 में किया गया था । 1984-85 से 1989-90 तक प्रवर्तन दल से संबंधित वेतन, टी0ए0, पेट्रोल तथा रख-रखाव में व्यय की गई धनराशि का विवरण तालिका-1 में दर्शायी गयी है । कथित वर्षों में प्रवर्तन दल से राज्य विद्युत परिषद् को हुए लाभ तथा प्रवर्तन दल पर परिषद् द्वारा किये गये खर्च का विवरण तालिका-2 में अंकित है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 151 पर)

कृषि विभाग के उप निदेशक, कृषि रक्षा द्वारा पाबन्दी के बावजूद दैनिक श्रमिकों तथा अल्पकालीन कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना

136–श्री मूल चन्द–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा दैनिक श्रमिकों अल्पकालीन व अन्य प्रकार की सेवा नियुक्तियों पर पाबन्दी के बावजूद कृषि विभाग के कृषि रक्षा अनुभाग में अधिकारियों ने विगत तीन वर्षों में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अल्प अवधि के लिए नियुक्त किये और उनमें से कितनों की सेवा जारी है? उक्त नियुक्तियों के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कृषि विभाग के कृषि रक्षा अनुभाग में विगत तीन वर्षों में 315 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अल्प अवधि के लिए नियुक्त किए गये । वर्तमान में उनमें से किसी भी कर्मचारी की सेवा जारी नहीं है । उक्त नियुक्तियां उप निदेशक, कृषि रक्षा (मुख्यालय) की स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित जनपद तथा मण्डलों में कृषि रक्षा अधिकारियों द्वारा की गयी है । उप निदेशक कृषि रक्षा का स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकार द्वारा उ0प्र0 के दस्यु पीड़ित जनपद ललितपुर के कृषि विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना

137–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकार ने उत्तर प्रदेश दस्यु पीड़ित जनपदों में कृषि विकास हेतु विशेष धनराशि आवंटित की है? यदि हां, तो जनपद ललितपुर को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जनपद ललितपुर को भविष्य में शासन द्वारा धन आवंटित किए जाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के आठ दस्यु पीड़ित जनपदों में बीहड़ सुधार एवं उसमें कृषि विकास की योजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर चलाई जा रही है । उपरोक्त योजना में ललितपुर शामिल नहीं है । अतः ललितपुर को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

जी नहीं । ललितपुर जनपद दस्यु पीड़ित होने के बावजूद बीहड़ की समस्या से ग्रस्त नहीं है । अतः ललितपुर को उपरोक्त योजना में शामिल किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड धनीपुर के ग्राम मीरपुर का विद्युतीकरण

138–श्री कल्याण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–मीरपुर, विकास खण्ड-धनीपुर, जनपद–अलीगढ़ के विद्युतीकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड प्रथम अलीगढ़ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-2-90 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। इस संबंध में माननीय विधायक का पत्र दिनांक 22-5-89 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, अलीगढ़ को प्राप्त हुआ था । तद्नुसार प्रधान मीरपुर को सूचित किया गया कि ग्राम के जो निवासी कनेक्शन लेना चाहते हैं वह अपने प्रार्थना-पत्र प्रेषित करें परन्तु अभी तक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । उस समय यह ग्राम स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं था । अब विकास खण्ड–धनीपुर की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत हो गयी है और ग्राम मीरपुर उसके अंतर्गत सम्मिलित है । वर्ष 1990-91 में ग्राम मीरपुर के विद्युतीकरण का प्रयास किया जायेगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम सभा एतमपुर के लोगों द्वारा सूत मिल के पास प्लाटों पर अवैध कब्जा की शिकायत

139–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सर्वश्री इन्द्रपाल सिंह, भू0 पू0 विधायक, मंजर आर0 पी0 मधोक, डा0 एस0 एस0 गुप्ता और प्रोफेसर यू0 एस0 पाराशन निवासीगण अलीगढ़ ने दिनांक 29 मार्च, 1989 को अलीगढ़ के एस0 एस0 पी0/डी0 आई0 जी0 और जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें नगरपालिका अलीगढ़ के अन्दर की सीमा से सूत मिल के पास उनके प्लाटों पर श्री बद्री प्रसाद ग्राम सभा एतमपुर, तहसील कोल, जिला अलीगढ़ की शह पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो शिकायती प्रार्थना-पत्र पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि ग्राम एलेमपुर तहसील कोल से संबंधित है जिसके स्वामित्व के प्रति ग्राम सभा एलेमपुर, नगरपालिका, अलीगढ़ तथा विभिन्न व्यक्तिगत पक्षों के मध्य विवाद न्यायालय में विचाराधीन है । प्रधान श्री बद्री प्रसाद के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि वे अनाधिकृत रूप से उक्त भूमि पर झोपड़ियां डलवा रहे हैं । अतः संबंधित झोपड़ियों को हटवा दिया गया है तथा प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । संबंधित थानाध्यक्ष को इस संबंध में सतर्कता तथा यथास्थिति बनाये रखने के प्रति निर्देश दे दिये गये हैं । वर्तमान समय में प्रधान श्री बद्री प्रसाद निलम्बित हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नराला पीपरिया के श्री कमल सिंह के घर पर डाकुओं द्वारा डकैती

140–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फिरोजाबाद के थाना टूण्डला के ग्राम नराला पीपरिया के श्री कमल सिंह पुत्र गीतम सिंह के पर दि0 22/23-1-90 की रात को हथियार बन्द डाकुओं ने डाका डाला जिसमें श्री कमल सिंह उसकी पत्नी के सख्त चोटें आईं तथा डकैत उसका हजारों रुपया का नकदी जेवर कपड़ा आदि लूट कर ले गये? यदि हां, तो क्या डकैती पुलिस द्वारा दर्ज की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के संबंध में थाना टुण्डला पर अ0 सं0 39/90 धारा 382 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया । इस अभियोग में विवेचना से माल व मुल्जिम का कुछ पता न चलने पर विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की जा चुकी है । वादी की पत्नी के प्रश्नगत घटना में कोई चोट नहीं आई । प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सही अभियोग पंजीकृत हुआ है अतएव शेष के प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सेवला के श्री जसवंत सिंह को थानाध्यक्ष अवागढ़ द्वारा जेल भेजा जाना

141–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के थाना अवागढ़ की पुलिस चौकी तजापुर की पुलिस दिनांक 3 जनवरी, 1990 की शाम को जनपद फिरोजाबाद के थाना नारागी के ग्राम सेवला निवासी श्री जसवन्त सिंह को उसके घर से जबरन उठा ले गयी और उसे एक झूठे अभियोग में थानाध्यक्ष अवागढ़ ने जेल भेज दिया ? यदि हां, तो क्या श्री जसवन्त सिंह के परिवार जनों की शिकायत की जांच डी0 आई0 जी0 पुलिस, आगरा ने अतिरिक्त पुलिस कप्तान एटा से करायी ? यदि हां, तो जांच के उपरांत क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों? जांच परिणाम क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दि0 8-1-90 को श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री राजवीर प्रसाद निवासी सेवाला थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ने वरिष्ठ पु0 अ0, एटा को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया कि चौकी तजापुर थाना अवागढ़ जनपद एटा की पुलिस ने श्री जसवन्त सिंह निवासी ग्राम सेवाला थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद की दि0 3-1-90 की सायंकाल गांव से पकड़कर ले गयी और उसी दि0 3-1-90 की रात्रि की एक राहजनी की घटना में थाने लाया गया । इस शिकायती पत्र पर व0 पु0 अ0 एटा ने अपर पु0 अ0 को गहराई से जांच और आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये । अपर पु0 अ0 द्वारा की गयी जांच से थाना अवागढ़ के तत्कालीन थानाध्यक्ष, राहजनी अभियोग के विवेचक तथा चौकी तजापुर के उपनिरीक्षक को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना एवं अग्रिम कार्यवाही करने की संस्तुति की गई । व0 पु0 अ0 द्वारा जांच आख्या का अध्ययन करने के बाद थानाध्यक्ष अवागढ़ एवं दो विवेचकों को पुलिस लाइन स्थानान्तरित करने के आदेश दिये गये और प्रतिवादी श्री अशोक कुमार शर्मा के शिकायती पत्र के आधार पर थाना अवागढ़ में उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत सम्बन्धित पुलिस जनों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना के आदेश दिये गये । इन आदेशों के परिपेक्ष्य में अभियोग अपराध संख्या 7/90 धारा 218/323/325/466/471 भा0 द0 वि0 तथा 5 (2) भ0 नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी । मामले की गम्भीरता को देखते हुए उपरोक्त अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ठ कर दी गयी है ।

142–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

[दि0 14-6-90 को अता0 प्र0 सं0 191 द्वारा उत्तरित]

देहरादून जनपद के विकास खण्ड डोईवाला रायपुर सहसपुर में प्रस्तावित विद्युतीकरण

143–श्री रणजीत सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जनपद के विकास खण्ड डोईवाला, रायपुर, सहसपुर एवं नगर पालिका ऋषीकेश, मंसूरी तथा टाउन एरिया डोईवाला में विद्युतीकरण प्रस्तावित है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्नगत स्थानों का विद्युतीकरण समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निश्चित अवधि में पूर्ण कराने हेतु तार आदि सामान की व्यवस्था हेतु निर्देश दिए गए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

देहरादून जनपद के विकास खण्ड डोईवाला (रायपुर सहित) एवं विकास खण्ड सहसपुर में जो ग्राम विद्युतीकरण के लिये शेष हैं उनका विद्युतीकरण वर्ष 1990-91 एवं अगले वर्षों में प्रस्तावित है । नगर पालिका ऋषिकेश, मंसूरी तथा टाउन एरिया डोईवाला पहले से ही विद्युतीकृत हैं ।

जी हां । उपरोक्त कार्यों के सम्पादन हेतु सामान की व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है ।

144–श्री भारत सिंह रावत–

[दि0 14-6-90 को अता0 प्र0 सं0 192 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम मुडिया थाना जैतीपुर के एक शिल्पकार का कत्ल

145–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुडिया थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर में एक शिल्पकार का कत्ल 22-11-89 को कर दिया गया था जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना जैतीपुर में दर्ज है ? क्या उसका एक नामजद मुलजिम जिला कारागार बरेली में सरकारी सेवा में है ? यदि हां, तो उसकी गिरफ्तारी न करने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21-11-89 को थाना जैतीपुर में वादी श्री राम स्वरूप पुत्र खंजन ग्राम मुड़िया थाना जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर ने अभि0 (1) गंगा सिंह, (2) गुड्डू (3) रघुवीर निवासीगण मुड़िया थाना जैतीपुर के विरुद्ध अ0 सं0 214/89 अन्तर्गत धारा 308 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया । वादी के पुत्र की जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर ले जाते समय मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप अभियोग धारा 304 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किया गया । अभियुक्त गामा उर्फ देवेन्द्र सिंह पुत्र नन्हू सिंह व गुड्डू पुत्र रघुवीर सिंह ने दिनांक 11-12-89 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । इस अभियोग का एक अभियुक्त रघुवीर पुत्र नन्हू सिंह जो जिला कारागार में वार्डन के पद पर नियुक्त था, को दिनांक 2-11-86 को जिला कारागार बरेली से दो अभियुक्तों के फरार हो जाने पर निलम्बित कर दिया गया था । निलम्बन के दौरान अभियुक्त रघुवीर फरार हो जाने के कारण उसके मकान पर दबिश दिए जाने के बावजूद भी गिरफ्तार न हो सका । दि0 9-4-90 को उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया ? विवेचनाधिकारी के विरुद्ध अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त प्रयास न किए जाने के कारण, विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है । अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं ।

जनपद शाहजहांपुर के समस्त वकीलों द्वारा पुलिस के विरुद्ध आयुक्त, बरेली मण्डल को ज्ञापन

146–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 8-1-90 को शाहजहांपुर दौरे पर आये आयुक्त, बरेली मण्डल को शाहजहांपुर के सभी वकीलों ने पुलिस की शिथिलता, भले लोगों को फंसाने एवं वकील के घर में जबरदस्ती घुसने के विषय में ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-2-90 को, न कि दिनांक 8-1-90 को, प्रश्न में उल्लिखित ज्ञापन आयुक्त बरेली मण्डल की उपस्थिति में, अध्यक्ष सेन्ट्रल बार एसोसियेशन शाहजहांपुर ने, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को दिया था। जांच से पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही विधि संगत पाई गयी है।

बांदा जनपद की अतर्रा तहसील के काश्तकारों को कृषि उत्पादन मण्डी द्वारा मुआवजा का भुगतान

147–श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद की अतर्रा तहसील के अन्तर्गत बुजुर्ग के काश्तकारों की 109 बीघा कृषि मण्डी समिति अतर्रा के लिए 1977 में अधिगृहीत करके कब्जा हासिल किया जा चुका है ? क्या इस संबंध में तत्कालीन राजस्व मंत्री ने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट को मुआवजा दिया जा चुका है कितने काश्तकारों का भुगतान होना शेष है ? मुआवजा भुगतान में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुलायम सिंह यादव--

बांदा जनपद की कृषि उत्पादन मण्डी समिति अतर्रा के लिये 46.17 एकड़ कृषकों की भूमि वर्ष 1976 में अधिगृहीत कर कब्जा लिया जा चुका है।

ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं है ।

समस्त काश्तकारों को मुआवजा दिया जा चुका है ।

चूंकि नियत तिथियों पर कृषकगण मुआवजा प्राप्त करने नहीं आये अतः प्रस्तुत प्रकरण में कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है ।

जनपद बांदा के थानाध्यक्ष रैपुरा के विरुद्ध आत्महत्या की गलत सूचना अंकित करने के संबंध में कार्यवाही

148–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में थाना रैपुरा के थानाध्यक्ष सुभाष त्रिपाठी द्वारा चन्दा चौकीदार निवासी बैंक खण्डेहा साधन सहकारी समिति लि0 को 8 सितम्बर, 1989 की रात्रि में पकड़ा गया तथा रैपुरा थाने में बन्द रखा

गया–क्या अभिलेखों में 20 सितम्बर, 1989 को उक्त मामले में आत्म हत्या करना दिखाया गया ? क्या यह सही है कि इस घटना की सुभाष त्रिपाठी एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध थाना कबीं में धारा 302 ता0 हि0 का मुकदमा नामजद प्रथम सूचना दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में सुभाष त्रिपाठी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी चल रही है ? यदि हां, तो क्या अपराधी दरोगा को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री चुन्ना, निवासी खण्डेहा, थाना मऊ जनपद बांदा को 8 सितम्बर, 1989 की रात्रि में पकड़े जाने तथा रैपुरा थाने में बन्द रखने का कोई उल्लेख अभिलेखों में नहीं है श्री चुन्ना द्वारा दिनांक 20-9-89 को कुंयें में कूद कर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत निवासी रामनगर द्वारा थाना रैपुरा पर दी गयी सूचना के आधार पर मु0 अप0 सं0-163/89, धारा 309 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ ।

इस घटना के संबंध में श्रीमती रामकुमारी, निवासी खण्डेहा जनपद बांदा की तहरीर पर दिनांक 21-9-90 को थाना रैपुरा मु0 अप0 सं0 163ए/89 धारा 147/323/342/302 भा0 दं0 वि0 का अभियोग श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी थानाध्यक्ष रैपुरा तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । दोनों अभियोगों में विवेचना प्रचलित है ।

इस प्रकरण में मैजिस्टीरियल जांच भी प्रचलित है । उक्त घटना के संबंध में श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा रही है । अभियोग के विचारण के पश्चात् वांछित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद रामपुर में पिछले दस वर्षों में उद्योगों की स्थापना

149–श्री शिव बहादुर सक्सेना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रामपुर में पिछले 10 वर्ष से कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई गई है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद रामपुर में पिछले 10 वर्षों में आठ नये बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। जिनमें लगभग 2140 व्यक्तियों को सीधा रोजगार मिला है ।

जनपद प्रतापगढ़ में उपनिरीक्षकों की तैनाती की अवधि तथा उनके रद्द किये जाने के कारण

150–श्री संगम लाल शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कितने पुलिस सब इन्सपेक्टर ऐसे हैं जो 6 वर्ष से ज्यादा समय से उक्त जनपद में तैनात हैं ? उक्त जिले में कितने ऐसे सब इन्सपेक्टर हैं जिनके स्थानान्तरण वर्तमान सरकार द्वारा किये गये तथा उनमें से कितने स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये? उनका स्थानान्तरण रद्द किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान समय में जनपद प्रतापगढ़ में कुल 5 उप निरीक्षक 6 वर्ष से ज्यादा समय से तैनात हैं । उक्त जनपद के 7 उप निरीक्षकों क्रमशः सर्वश्री देव प्रसाद सिंह, सर्वदेव सिंह, रमेश कुमार मेहता, मुइन अहमद, विमल किशोर श्रीवास्तव, बृजभान सिंह, एवं दिनेश त्रिपाठी के स्थानान्तरण वर्तमान सरकार के निर्देश पर जनपद प्रतापगढ़ से बाहर किये गये और उनमें से किसी का स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया है । उक्त समस्त पुलिस उप निरीक्षकों को जनपद प्रतापगढ़ से कार्य-मुक्त किया जा चुका है ।

151—श्री रामरती बिन्द—

[2रे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर देहात के थाना बिल्हौर के अन्तर्गत हुए अपहरण काण्ड की संख्या

152—श्री मोती लाल दहेलवी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात के अंतर्गत वर्ष 1987-88 व वर्ष 1988-89 में कितने-कितने अपहरण काण्ड हुए हैं ? अपहृत हुए लोगों के नाम और पते क्या हैं ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने भू0 पू0 विधायक की हैसियत से वर्ष 1988 में तत्कालीन गृह मंत्री को एक पत्र अपहृत लोगों की सूची के साथ दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 व वर्ष 1988-89 में क्रमशः 3 व 2 लोगों के अपहरण के अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं । अपहृत लोगों के नाम और पते निम्नवत हैं:—

1—श्री रामतीर्थ पुत्र श्री त्रियुगी नारायण कटियार सा0 बरण्डा थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात ।

2—श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम खिलावन गुप्ता सा0 मकनपुर थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात ।

3—श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री फूलचन्द कटियार सा0 मुसाहिबपुर थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात ।

4—श्री सूरज प्रसाद कटियार पुत्र श्री जमुना प्रसाद कटियार सा0 हाशिमपुर थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात ।

5—श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री सूबेदार सा0 बरण्डा थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात ।

जी हां ।

पत्र पर जांच पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा करायी गयी । जांचोपरान्त संदिग्ध आचरण वाले पाये गये 3 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पु0 रे0 के प्रस्तर 478 ए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई । विभागीय कार्यवाही में दोष सिद्ध न होने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया ।

153–श्री शिवकरन सिंह–

[2रे मंगल में अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उद्यान निदेशालय, लखनऊ के लेखा वर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

154–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान निदेशालय, लखनऊ में लेखा वर्ग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो लगभग 10 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं ? क्या ये कर्मचारी स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत आते हैं ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को अभी तक स्थानान्तरित न किए जाने का क्या कारण है ? क्या इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत आगामी स्थानान्तरण सत्र में कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मात्र चार ऐसे कर्मचारी हैं ।

जी हां ।

/आय–व्ययक एवं लेखा सम्बन्धी तकनीकी कार्यों में दक्ष एवं पर्याप्त अनुभव होने के कारण राजकीय कार्य के हित में उक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण उचित नहीं समझा गया था । दिनांक 14-6-90 को उक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद में अमृतपुर थाना के भवन का निर्माण कार्य

155–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में अमृतपुर थाना स्थापित हो गया है? यदि हां, तो इस नवीन थाने के भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण प्रश्नगत थाने के भवन का निकट भविष्य में निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है । वर्तमान समय में कथित पुलिस चौकी अमृतपुर के भवन में कार्यरत है ।

जनपद फर्रुखाबाद को उद्योग शून्य घोषित करने की मांग

156–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इस जनपद को उद्योग शून्य घोषित करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

किसी भी जिले को उद्योग शून्य घोषित केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है । उद्योग शून्य जनपद की श्रेणी में केवल वे जनपद आते हैं जिनमें जिला उद्योग केन्द्र की वर्ष 79-80 की वार्षिक एक्शन प्लान के अनुसार कोई मध्यम या भारी उद्योग नहीं था । जनपद फरुर्खाबाद इस श्रेणी में नहीं आता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के मटसैना क्षेत्र पर कम वोल्टेज के कारण 33 के0वी0 सब स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग

157–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के मटसैना क्षेत्र पर विद्युत आपूर्ति हेतु 35 राजकीय नलकूप और करीब 450 काश्तकारों के निजी नलकूप सम्बद्ध है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि आये दिन लो वोल्टेज के कारण नलकूप नहीं चल पाते हैं और मोटर जल जाने की शिकायत बनी रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार मटसैना पर स्थापित निर्धारित 33 के0 वी0 सब-स्टेशन का निर्माण तत्काल पूरा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद फिरोजाबाद के मटसैना क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु 22 राजकीय नलकूप तथा लगभग 490 निजी नलकूप कनेक्टेड हैं । मटसैना क्षेत्र सम्बन्धित 33 के0वी0 उपकेन्द्र के 11 के0वी0 फीडर के सबसे अंतिम छोर पर स्थित है, जिसके फलस्वरूप अक्सर कम वोल्टेज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इस कार्य का संपादन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों की संख्या एवं विद्युत आपूर्ति

158–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांवों का चयन किया गया था ? इनमें कितने गांवों में विद्युत आपूर्ति की जा रही है और कितने शेष हैं ? सभी गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? चयनित गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बांदा जनपद में विगत तीन वर्षों (1987-88 से 1989-90) में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 69 ग्रामों का चयन किया गया था । इनमें से 26 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति की जा रही है और 43 शेष हैं । संसाधनों की कमी के कारण सभी ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1990-91 एवं अगले वर्षों में जनपद के वार्षिक लक्ष्यों के अन्तर्गत किया जा सकेगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जिला बांदा के ग्राम उन्नाथ-बनई के श्री राजकुमार सिंह के मकान पर लूट की घटना के संबंध में मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

159–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 17 जून, सन् 1989 को तत्कालीन सदस्य विधान सभा श्री राम सजीवन बांदा का मुख्य मंत्री को सम्बोधित शिकायती पत्र जिसकी प्राप्ति की सूचना 27 अगस्त, 1989 को पत्रांक अर्द्ध शा0 प0 सं0 271 ख वि/आठ-4-1989 उ0 प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-4 द्वारा दी गयी है तथा जिसमें राज कुमार सिंह आत्मज शिव मोहन सिंह ग्राम उन्नाथ-बनई थाना रैपुरा, जिला बांदा के मकान पर सामान लूटने संबंधी घटना को दिनाक 25-3-89 पर जांच की गई थी तथा जिलाधिकारी, बांदा को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए जाने की सूचना दी गयी थी, के संदर्भ में जिलाधिकारी, बांदा ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में संदर्भित शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गयी । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

बांदा जनपद के अंतर्गत थाना बदौसा के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही

160–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत थाना बदौसा के तत्कालीन थानाध्यक्ष को अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) कर्वी न विवाद संख्या 22 धारा 17 आयुक्त अधिनियम सरकार बनाम भुजबल यादव में अपने निर्णय दिनांक 23-6-89 के अन्तर्गत सिद्ध दोष पाया है तथा उसे पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बांदा को विभागीय कार्यवाही के लिए प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कर्वी के आदेश तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष, बदौसा, जनपद बांदा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 24-7-89 पर सम्यक विचारोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट, बांदा के आदेश दिनांक 25-8-89 के अनुसार उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध किसी भी विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता नही पायी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के ग्राम हरिहरपुर जनपद गोरखपुर में जैविक प्रशिक्षण केन्द्र बनाने पर विचार

161–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के ग्राम-हरिहरपुर में प्रस्तावित जैविक प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । इसके लिये भूमि उपलब्ध करा दी गई है तथा चाहार दीवारी भी बन गई है । प्रयोगशाला व अन्य भवनों के निर्माण हेतु भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान (आई0 वी0 आर0 आई0) से प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

162–श्री अमर नाथ यादव–

[3रे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य संग्रहालय लखनऊ में प्राणिशास्त्र वीथिका के निर्माण में वास्तविक व्यय का विवरण

163–श्री हनुमन्त सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य संग्रहालय लखनऊ में प्राणिशास्त्र वीथिका निर्माण के लिए शासन द्वारा 6 लाख रुपये की स्वीकृति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त धन का उपयोग प्राणि शास्त्र वीथिका के निर्माण में हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राणिशास्त्र वीथिका के पुनर्गठन के लिए आंकलन 6 लाख रुपये का था किन्तु वास्तविक व्यय रु0–5,86,250 मात्र हुआ है ।

खीरी, पीलीभीत उप निवेशन क्षेत्र के किसानों को भूमिधरी का हक दिये जाने के संबंध में कार्यवाही किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

164–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खीरी, पीलीभीत उप निवेशन क्षेत्र के किसानों को भूमिधरी हक दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र 1989-90 में शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में लिखित मामले में अपेक्षित कार्यवाही हुयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

भूमिधरी हक प्राप्त होने पर पुनर्वासित अपनी भूमि बेचकर अन्यत्र पलायन न करें, इस लिए भूमिधरी हक दिये जाने का औचित्य स्थापित नहीं हुआ है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले मुझसे मिल लें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, जिस दिन से सदन चला है, यहां पर प्रश्नव्वज में पत्रकार दीर्घा खाली पड़ी रही, इसका हम कारण जानना चाहते हैं । इससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है । . . . (व्यतधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जांय ।

(समय–12 बजकर 20 मिनट)

नियम 301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अंतर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर 7 सूचनायें स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) की जनपद वाराणसी के रामनगर थाना में ग्राम मुड़ियाडीह में हुई हरिजन की हत्या के संबंध में, दूसरी [illegible] श्री [illegible] की वाराणसी शहर में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में [illegible] श्री [illegible] सिंह की जनपद वाराणसी में पंचकोशी मार्ग पर [illegible] रामेश्वर पुल के नव निर्माण कराये जाने के संबंध में, छठी श्री [illegible] की जनपद ललितपुर में लघु सिंचाई विभाग में बोरिंग मशीनों को [illegible] हो रही कठिनाई के संबंध में, सातवीं सूचना श्री अकबर [illegible] की तहसील अकबरपुर में ग्राम सारपुर में अग्निकांड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

दूसरी और तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री दीप नारायण की अनुपस्थिति में प्रतीक्षा सूची से श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सहकारी प्रबन्ध शोध संस्थान से डिप्लोमा धारकों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में तथा श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की जनपद बांदा की अतर्रा तहसील की [illegible] कोठी से अतर्रा कोठी तक की पटरियां टूटी होने से रजबहों पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी गई सूचनाओं को स्वीकार किया गया है और उन्हें पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

बाराबंकी जिलान्तर्गत रामनगर थाना के ग्राम मुड़ियाडीह में हुई हरिजन की हत्या के सम्बन्ध के नियम 301 के अंतर्गत सूचना

***श्री सुन्दरलाल (बाराबंकी)–**

[मान्यवर, बाराबंकी जिले के ग्राम [illegible] निवासी [illegible] पुत्र पंचम (हरिजन) थाना-रामनगर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने दिनांक 5-6-90 को बुरी तरह से निर्दयता-पूर्वक पिटाई किये जाने के कारण [illegible] अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट थाने में की उक्त हरिजन की शारीरिक दशा बिगड़ते देखकर रामनगर थाने की पुलिस ने जिला चिकित्सालयों में 6-6-90 को भर्ती करा दिया उसी रात में उक्त हरिजन जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गयी अभी तक थाने की पुलिस नामजद अभियुक्तों को जो सरे आम घूम रहे हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकी ।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर [illegible] का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वाराणसी शहर में जलभराव से उत्पन्न अव्यवस्थित के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अमर नाथ यादव–

[माननीय, वाराणसी [illegible] यहां मंदिरों का शहर है । यहां की गलियां व सड़कें [illegible] । थोड़ी बारिश के समय सारा जल निचले इलाकों में जाकर एकत्रित हो जाता है । वहां पर लगभग 7-8 फीट पानी लग जाता है जिसके कारण [illegible] । सारे और दुकानों में पानी का प्रवेश हो जाता है । इससे [illegible] होती है । महीनों पानी जमा रहने के कारण अनेक [illegible] । इससे जन की भी क्षति होती है । दालमंडी में [illegible], जैसान गंज, राजापुरा, पीलीकोठी, हनुमान फाटक [illegible] अन्य क्षेत्रों में भी जल जमाव होता है जिसका निराकरण [illegible] ।]

वाराणसी जल जमाव के निराकरण का प्रश्न जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व का है । सारा के संज्ञान में लाकर [illegible] करने का मांग करता हूं ।]

जनपद वाराणसी के पंचकोशी मार्ग पर [illegible] पुल के नव निर्माण के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह–

[माननीय, वाराणसी जनपद अंतर्गत पंच कोशी मार्ग पर रामेश्वर के पास वरुणा नदी पर सैकड़ों वर्ष पूर्व बना पुल जीर्ण-शीर्ण [illegible] हो गया है । इस पुल के ध्वस्त हो जाने का हर क्षण [illegible] है जिसके परिणाम स्वरूप निरीह जानें भी जायेंगी । रामेश्वर एक धार्मिक और [illegible] । जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु [illegible] । पंच कोशी मार्ग पर स्थित उक्त पुल पर यातायात का [illegible] । जीप व मोटर कार चलने पर पुल में भारी कम्पन होने लगता है । हर समय भय बना रहता है ।

शासन की ओर से उक्त पुल के नव निर्माण का प्रस्ताव बहुत पहले स्वीकृत हुआ किन्तु लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं की [illegible] तथा उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण सर्वेक्षण तक नहीं हुआ ।

प्रस्तावित नये पुल के निर्माण का [illegible] होने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर रामेश्वर के नये पुल का तत्काल निर्माण कराये की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद ललितपुर में लघु सिंचाई विभाग में बोरिंग मशीनों की कमी से किसानों को कठिनाई होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

* श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[मान्यवर, जनपद ललितपुर पिछले तीन वर्षों से भंयकर सूखा की स्थिति से जूझ रहा है। जनपद में लघु सिंचाई विभाग के पास वर्तमान में मात्र एक रिंग मशीन तथा पांच इनवैल मशीन होने के कारण किसानों की समय पर बोरिंग नहीं हो पा रही है, जिससे जनपद का सैंकड़ों किसान बोरिंग के लिए परेशान घूम रहा है। तथा हजारों किसान इनवैल तथा रिंग बोरिंग कराने को पैसा विभाग में जमा करने के बाद भी घूम रहा है। एक मशीन होने के कारण किसान की बोरिंग वर्ष भर में ही नहीं हो पाती है। किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसान आन्दोलन पर उतारू हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि शासन जनपद ललितपुर में लघु सिंचाई विभाग को एक डी0 टी0 एच0 रिंग मशीन तथा पांच इनवैल मशीन तुरन्त उपलब्ध करायें।]

फैजाबाद जिला अंतर्गत तहसील अकबरपुर के ग्राम लारपुर में भीषण अग्निकाण्ड से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

* श्री अकबर हुसैन बाबर–

[मान्यवर, ग्राम लारपुर तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद में भीषण अग्निकाण्ड की दुर्घटना हुई थी। जिसमें लगभग 30 घर पूरी तरह से जल कर राख हो गये थे। खलिहान में रखी फसल जल गयी थी तनों में कोई खाद्यान्न जलने से बाकी नहीं रह गयी थी। ग्राम वासियों के समक्ष जीविका एवं अतिरिक्त आवास का भी संकट उत्पन्न हो गया था। जिला प्रशासन फैजाबाद द्वारा इनकी कुछ सहायता दी गयी जिससे उनकी कोई आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि ग्राम लारपुर तहसील अकबरपुर फैजाबाद के अग्निपीड़ित लोगों को पर्याप्त भरपूर सहायता दी जाय। जिससे यह अपनी अगली फसल तक बच्चों की देखरेख कर सकें व भवन मुहैया करो।]

सहकारी प्रबन्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ से डिप्लोमाधारकों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर सहकारी एवं कारपोरेट प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत प्रथम प्रशिक्षण सत्र 1986-87 के सफल प्रशिक्षार्थी जिनको एक वर्षीय डिप्लोमा इन कापरेटिव मैनेजमेन्ट (डी0 काम) की उपाधि दी गई थी। 24 लोग उत्तीर्ण घोषित किए गए थे। जिनमें से 16 लोगों को विभिन्न सहकारी संस्थानों,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयोगों तथा मण्डी परिषद् में ट्रेनिंग पर भेजा गया इस पाठ्यक्रम की प्रवेश योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लेकर स्नातक उपाधि है । तथा प्रवेश अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है ।

इसके सफल प्रशिक्षार्थियों में से सेवा हेतु चयन करने के लिए 6 अक्टूबर, 1987 को सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सात आई0 एस0 अधिकारी तथा दो अन्य सहकारी क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों का चयन बोर्ड बनाकर 16 अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? जिनमें से असाधारण गजट उत्तर प्रदेश सरकार सं0 4843/ 12-सी-2-130-1987 दिनांक 22 फरवरी, 1989 के अंतर्गत 11 सफल अभ्यर्थियों को सेवा में ले लिया गया, परन्तु जिन 5 प्रशिक्षार्थियों ने चयन समिति के आदेश के अधीन मण्डी परिषद् में प्रशिक्षण प्राप्त किया था उनको तीन वर्ष बीतने पर भी अभी तक उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् ने काफी प्रयास करने के बाद भी अपने यहां सेवा में नहीं लिया है और न ही वो लेने को तैयार है ।

इस संबंध में संयुक्त सचिव सहकारिता उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 5 मई, 1990 को निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर इन प्रशिक्षार्थियों को सेवा में लिए जाने का आदेश दिया तथा यहां तक भी छूट दी गयी कि आवश्यक हो पद सृजित कराकर शासन के आदेशों का अनुपालन कराया जाय ।

इसकी प्रति निदेशक मण्डी परिषद् को भी पृष्ठांकित है । विशेष बिन्दु यह भी है कि वर्तमान मुख्य सचिव जी ने 4-10-88 को जब वह कृषि उत्पादन आयुक्त थे भी पत्र लिखा था ।

श्रीमन् शासन की इस लापरवाही और उपेक्षा पूर्ण रूख के कारण अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से चयनित न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से स्नातक योग्यता एवं एक वर्षीय डी0 काम उपाधि प्राप्त तथा उच्च अधिकार सम्पन्न समिति द्वारा चयनित इन डिप्लोमा धारियों में से 5 तीन वर्ष बीतने के बाद भी सड़क पर है, इनमें से कुछ की आयु सीमा 30 वर्ष भी समाप्त होने वाली है ।

अतः मैं नियम 301 के अंतर्गत माननीय सदन का उपरोक्त स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से सत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

बांदा जिलान्तर्गत अतर्रा तहसील की पनगरा कोठी से अतर्रा कोठी तक की पटरियां टूटी होने से रजबाहों में पानी की कमी से किसानों में आक्रोश के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

***श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–**

[मान्यवर, बांदा जनपद की केन नहर अतर्रा ब्रांच की पनगरा कोठी से अतर्रा कोठी तक दुबरी माइनर लोधौरा रजबहा महुटा, बसरेही रजबहा आदि की पटरियां टूटी फूटी होने के कारण तथा ब्रांच, रजबहों माइनरों की पूर्ण रूपेण सफाई न होने के कारण पूरे गेज से नहर न चलाने से सिंचाई न होने से तथा गर्मियों के दिनों में जानवरों के पीने के लिए तालाबों में पानी न भर जाने से जनपद के किसानों में रोष एवं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट :* [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

असंतोष व्याप्त है । गर्मी के दिनों में नहर की पटरियाँ टूटी होने से पानी बहकर गड़रा नाला में चले जाने से पूरा पानी [illegible] हो तथा माइनरों, राजबहों की टेलों तक पानी नहीं पहुंच पाता है । किसानों द्वारा लगातार मांग करने पर अभी तक पूरी तरह से तो सफाई न हो पाई है और न ही पटरियों का शुद्धीकरण कराया गया है ।

अतः मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही करवाते हुए ब्रांच माइनरों राजबहों की पटरियों की मरम्मत कराई जाय तथा टेलों की पूरी तरह सफाई की जाय । एक बनचरा कोठी से लेकर गोखिया तक एक तरफ की ब्रांच की पटरी पक्की कराई जाये और शासन इन कार्यों के लिए तुरन्त धनराशि अवमुक्त करे ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज औचित्य के प्रश्नों की पांच सूचनायें आना हुई हैं । यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है, अतः अस्वीकार की [illegible] । यहां तक श्री पंचानन राय की प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न दिये जाने संबंधी सूचना का संबंध है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अपेक्षा करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रश्नों का संतोषजनक एवं पूर्ण उत्तर दिया जाय । जहां तक श्री शंकर सिंह वेगी की सदन के परिसर में असलहा लाये जाने से संबंधित सूचना का संबंध है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश देता हूं कि वे इन [illegible] सुनिश्चित करें ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री ईश्वर शरण [illegible]थी–

मान्यवर, मैं भी औचित्य की एक [illegible] थी...

(कई सदस्य औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं के संबंध में खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला साहनी द्वारा सदर अस्पताल बस्ती के डाक्टर आदि के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार का उल्लंघन की सूचना (जारी)

*** श्रीमती कमला साहनी–**

माननीय अध्यक्ष जी मैंने एक विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है । मेरे गांव की एक हरिजन महिला भिनकी देवी दरती अस्पताल में भर्ती की गयी उससे ए0 के0 दूबे और एक नर्स लक्ष्मी देवी ने पैसे लिए [illegible], जो कि अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी से इस संबंध में बात करने गयी तो नर्स लक्ष्मी देवी भी उस समय आ गयी और मेरे से उल जलूल बोलने लगी । मैंने उससे कहा कि तुमने भिनकी देवी से पैसे क्यों लिये तो उसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और मेरा अपमान किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, क्या आपने कोई सूचना दी है ? (व्यवधान) आपकी कोई सूचना नहीं है ।

श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, सूचना नियम के अंतर्गत दी है पिछले सत्र में भी दी थी लेकिन वह व्यपगत हो गयी थी इन्होंने उसे फिर पुनर्जीवित करा दिया है । यह विशेषाधिकार का सीधा मामला बनता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह सीधा मामला है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है प्राप्त हो गया है मैं इसका परीक्षण करके इस पर कार्यवाही करूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कार्यवाही करने से पहले इस पर एक निवेदन सुन लें । यह विशेषाधिकार के अलावा एक महिला सदस्या का अपमान हुआ है उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है । इस पर विचार करना जरूरी है । मैं अपेक्षा करूंगा कि इस पर आप सुन लें (व्यवधान) जिसको चाहे पुकार लें ।

पासी संस्कृति के ऐतिहासिक किलों पर एल0 डी0 ए0 द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप संबंधी मामला उठाये जाने प्रयास

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मामला है लखनऊ का मामला है ।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मामला है एक मिनट सुन लें । लखनऊ नगर में यहां से 10 कि0 मी0 की दूरी पर बंगला बाजार के पास बिजली पानी का पासी संस्कृति का एक ऐतिहासिक किला है। सन् 1987 में एल0 डी0 ए0 ने उस पर कब्जा करने का प्रयास किया था तो उस समय मैंने नियम 301 में प्रश्न उठाया था और तत्कालीन नगर विकास मंत्री के और प्रशासन के हस्तक्षेप से उसे रुकवा दिया था उस ऐतिहासिक किले को मैंने पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग को देने की बात कही थी। उस पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है (व्यवधान के मध्य) इसलिये मेरा अनुरोध है कि उस पासियों की कालोनी को एल0 डी0 ए0 को कब्जा करने से रोकें अन्यथा पासियों के इतिहास को मिटाया गया तो यह सरकार नहीं चल पायेगी।

(घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती कमला साहनी द्वारा सदर अस्पताल, बस्ती के डाक्टर आदि के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी आप कृपया बैठ जायं। श्री प्रमोद कुमार जी आप कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, श्रीमती कमला साहनी इस सदन की वरिष्ठ सदस्या हैं। वरिष्ठ सदस्या का अपमान नहीं सहा जायेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं। (व्यवधान)

मैं श्रीमती कमला साहनी को समय दे रहा हूं, वह बोलें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वह बोल चुकी हैं। आपने मुझे समय दिया था। इसलिये मुझे समय दें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, आप बोलें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं क्योंकि यह ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर सम्पूर्ण सदन दुखी है। श्रीमती कमला साहनी इस सदन की वरिष्ठ सदस्या हैं और किसी वरिष्ठ सदस्य एवं सदन के किसी भी सदस्य का यदि अपमान होता है तो वह सम्पूर्ण सदन का अपमान माना जाता है। यह मामला और भी गम्भीर हो जाता है जब एक ऐसी वरिष्ठ महिला सदस्या का इस शासनकाल में अपमान और उत्पीड़न किया जाये जो एक बार नहीं तीन-तीन बार यहां चुनकर आयी हों तो इस शासन के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है।

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि यह महिला सदस्या के अपमान की बात है इसलिए आप अपने विभाग के कारनामों पर पर्दा डालने का काम न करें। मान्यवर, यूं तो किसी भी सदस्य के अपमान को सम्पूर्ण सदन का अपमान माना जाता है लेकिन विशेष रूप से जब वह सम्मानित सदस्य इस सदन की वरिष्ठ महिला सदस्या हों जो एक बार नहीं तीन-तीन बार लगातार चुनकर आयी हों। मान्यवर, वह एक हरिजन महिला को लाई थीं। चिकित्सालय में भर्ती कराया और वहां डाक्टर अरुण कुमार एवं एक अन्य कर्मचारी ने 100 रुपये लेकर उसका इलाज शुरू किया। उससे और रुपये की मांग की गयी और जब उसने और रुपये देने से मना किया, क्योंकि वह और पैसा देने के लिए गरीब होने के कारण मजबूर थी, तो उसका इलाज बन्द कर दिया गया। इस पर यह माननीय सदस्या साहनी जी खुद वहां गईं और डाक्टर से अनुरोध किया कि हरिजन महिला की चिकित्सा की

श्वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाए। लेकिन इस पर उसका इलाज शुरू करने के बजाए कमला साहनी जी के प्रति अशोभनीय और अभद्र व्यवहार किया गया और उनसे गलत बातें कही गईं। तो जब एक महिला सदस्य के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो, इस तरह का भ्रष्ट आचरण हो और उस आचरण के लिए विभागीय मंत्री जी खेद प्रकट करने के बजाय, बैठे हंसते रहें, तो मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं और मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि सदन की और माननीय सदस्या की प्रतिष्ठा बनी रह सके।

श्री उपाध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष जी पहले ही कह चुके हैं, नोटिस प्राप्त हो गई है, वह परीक्षण करा लेंगे।

(व्यवधान)

(श्रीमती कमला साहनी, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री प्रमोद कुमार आदि दर्जनों कांग्रेसी सदस्य प्राय: सभी महिला सदस्यों के साथ वेल आफ दि हाउस में विरोध स्वरूप आ गये और नारे लगाने लगे)

(श्रीमती कमला साहनी (वेल आफ दि हाउस से ही)–मान्यवर, इलाज के अभाव में उस हरिजन महिला का निधन भी हो गया। वह मर गई। इस गम्भीर मामले में कार्यवाही अवश्य सुनिश्चित की जाए। इस तरह से सदन नहीं चलेगा। जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकी वह सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार हमें बदलनी है।)

(इसी शोर शराबे और व्यवधान के मध्य राजस्व मंत्री श्री राम शरण दास वेल आफ दि हाउस में आए और अपने साथ समझाते बुझाते हुए श्रीमती कमला साहनी को अपने स्थान तक ले गये। शोरगुल बढ़ता गया और अंत में . . .)

श्री उपाध्यक्ष–

इस अव्यवस्था की स्थिति में मैं सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

(तत्पश्चात् 12 बजकर 37 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 7 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी। 1 बजकर 7 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन के स्थगन 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। तदोपरान्त 1 बजकर 22 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई।)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

सब लोग बैठ जायं । माननीय कमला साहनी जी बोलें ।

श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, यह हरिजन महिलाओं का प्रश्न है । झिंनकी देवी, जो हरिजन महिला थी वह मेरे गांव की रहने वाली थी । मैंने उसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, झिंनकी देवी से जो वहां डा0 अरुण कुमार दुबे थे उन्होंने उससे 100 रुपये लिये,

और लक्ष्मी देवी जो वहां पर नर्स थी उसने 50 रुपये लिए, इन लोगों ने भिंनकी देवी के इलाज के लिए रुपये तो ले लिए लेकिन उसका इलाज नहीं किया और उसको वहां से भगा दिया उसके बाद वह मेरे पास मेरे गांव में आई और सारे प्रकरण से मुझे अवगत कराया मैं उसको सदर अस्पताल लेकर गई और वहां सी0एम0ओ0, अग्रवाल से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर के लोग भी एम0एल0ए0 और एम0पी0 हैं, जो बकवास करनी है उसको विधान सभा में जाकर करो ; भिनकी देवी खड़ी रोती रही। मान्यवर, सी0एम0ओ0 ने भी कुछ नहीं किया । मान्यवर, सी0एम0ओ0 अग्रवाल, नर्स लक्ष्मी देवी और डा0 अरुण कुमार दुबे ने सदन की अवमानना की है और हमारा भी अपमान हुआ है, इससे हमारे अहम को ठेस पहुंची है । इस प्रकरण को इस विशेषाधिकार के प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाना चाहिए । ताकि हरिजन महिला भिंनकी देवी को जो उन्होंने इलाज नहीं किया और उसका निधन हो गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके । और भिंनकी देवी की आत्मा को शान्ति मिल सके । चूंकि सदन की अवमानना हुई है और हमारा भी अपमान हुआ है इसलिए इन लोगों को निलम्बित कराकर इस मामले को विशेषाधिकार के सुपुर्द किया जाना चाहिए ।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, हमारा पहले भी मत रहा है और आज भी है कि माननीय सदस्यों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे चाहे वह कमला साहनी जी हों या अन्य कोई सदस्य हों । मान्यवर, यह जो मामला है यह 1988 का मामला है । माननीय साहनी जी ने यह मामला विशेषाधिकार को सुपुर्द करने के लिए दिया था उसका परीक्षण हो रहा था । मैं चाहूंगा कि विशेषाधिकार समित से इस मामले का आप जल्दी निस्तारण करा दें । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार से जो सूचना चाहेंगे वह पुनः सरकार उपलब्ध करा देगी ।

श्रीमती कमला साहनी–

यह एक अहम मसला है इसको मान्यवर टाइम बाउन्ड कर दिया जाय । यह अधिकारियों के चक्रव्यूह में घिरा है इसको सरकार अतिशीघ् करावे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है–

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनको मौका दे रहे हैं तो सबको मौका देना पड़ेगा ।

श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, अगर सब लोग इस मसले पर बोलना चाहते हैं तो इस पर चर्चा करा दीजिए ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

सब लोग कृपा करके बैठ जायं । सदन को आगे चलने दीजिये । माननीय राणा जी आपने तो बहुत बोला है । इस मामले को शान्त होने दीजिए । राणा जी क्या आप यह भूल गये हैं कि जगह का परिवर्तन हो गया है । आज सामान्य बजट पर चर्चा होनी है । आपका ही समय बरबाद हो रहा है । आप लोग कृपया बैठिये । माननीय राणा जी अब आप सत्तापक्ष में बैठते हैं अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गयी है । आप बैठ जायं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जीरो आवर चल ही रहा है तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी जो माननीया साहनी का प्रकरण उठा था उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि शीघ्रातिशीघ्र इसका निस्तारण करवा दिया जायगा ।

श्री सत्य प्रकाश विकल द्वारा श्रम मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले मैं उसका परीक्षण करवा लूं ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं, माननीय कल्यान सिंह तथा माननीय सत्य प्रकाश विकल जी, दोनों में से कोई एक अपनी बात संक्षेप में कह दें ।

*श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, सन् 88 के प्रकरण को आपने सुना, अच्छा किया । मैं नहीं कहता कि इतने पुराने प्रकरण को आपने सुनने की अनुमति क्यों दी । जो कुछ कहीं घटित होता है और माननीय सदस्य उसकी सूचना देते हैं तो उसकी सुनवायी होनी चाहिये । उसके लिये सदन सबसे सक्षम कोरम है । डा0 दिनेश जौहरी और अन्य माननीय सदस्यों ने श्रम मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना आपको दी है । जब सन् 88 का मामला सुना जा सकता है तो मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि श्रम मंत्री जी के विरुद्ध माननीय सदस्यों ने जो विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है उस पर भी आप उनको दो मिनट का समय दे दें, उसको सुन लें । फैसला आपको करना है । आपका फैसला शिरोधार्य होगा । लेकिन मान्यवर, सुन लें, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय कल्यान सिंह इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से हैं और जितने भी पुराने सदस्य हैं उन सबको जानकारी होगी कि विशेषाधिकार की सूचनायें अध्यक्ष को प्राप्त होती रही हैं और उनको परीक्षण करने के बाद ही निर्णय होता रहा है । कमला साहनी जी के मामले से इस मामले को जोड़ना उचित नहीं होगा । उनका पुराना मामला है, अध्यक्ष जी ने उसको ग्राह्य किया था और उसका परीक्षण हो रहा है । उसमें विलम्ब हो रहा है । उसमें विलम्ब हो रहा था तो विलम्ब के लिये कमला साहनी जी ने आक्रोश जताया है । तत्काल जो सूचना दी जाती है उस पर परीक्षण के उपरान्त ही कोई निर्णय होता रहा है, तत्काल सुनवायी नहीं हुयी है । मेरा यह अनुरोध है कि जो परम्परा रही है उसी परम्परा का निर्वाह किया जाय ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसी विषय को लेकर माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उन्होंने सिद्ध किया था कि ऐसे मामले नियम 300 में नहीं आ सकते, नियम 56 में नहीं आ सकते हैं परन्तु किसी सदस्य के आचरण का मामला विशेषाधिकार के रूप में उठाया जा सकता है । मैं उन सारी चीजों को उद्धरित नहीं कर रहा हूं, सदन का समय बेकार जायगा । लेकिन उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुये, माननीय सदस्यों ने जो श्रम मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका दें । परीक्षण तो आप करा ही लेंगे । सदस्यों को अधिकार है अपनी बात कहने का । माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें अन्यथा कहीं इससे यह गंध न निकले कि किसी गलत आदमी को संरक्षण दिया जा रहा है । परीक्षण तो आप करायेंगे वह तो आपका अधिकार है लेकिन कहने का अधिकार माननीय सदस्यों को है । ऐसे मामले पर माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। मान्यवर, डा0 दिनेश जोहरी को अपनी बात कहने के लिए दो मिनट का मौका दे दें, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया सभी माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैं माननीय कल्याण सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी प्रतिष्ठा के लिए माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा को कभी आघात पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। सदन की परम्परायें हैं और नियम हैं। उन परम्पराओं और नियमों के अनुसार सदन नहीं चलेगा, तो काम नहीं चल सकता है। इस समय सामान्य बजट पर चर्चा हो रही है। जो सदन की परम्परायें रही हैं, मैं उन्हीं का अनुपालन करने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जो आप व्यवस्था देंगे, वह तो सरकार मानेगी ही, जो नियमों में प्राविधान है, परम्पराओं और नियमों के अनुसार ही आप व्यवस्था देने का कष्ट करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य खड़े हो गये और एक साथ बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया सम्मानित सदस्य बैठ जायं। मैं सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी से यह अपेक्षा करूंगा कि कोई भी एक माननीय सदस्य एक मिनट में इस पर अपनी बात कह दें। एक मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, विशेषाधिकार के मामले में आपकी पीठ से ही यह परम्परा डाली गयी थी कि पहले जो विशेषाधिकार की नोटिस दी जाती थी और जो माननीय सदस्य नोटिस देता था, उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलता था परन्तु मान्यवर, यह जिस परम्परा की बात कर रहे हैं इस परम्परा को पूर्व माननीय अध्यक्ष ने डाली थी और उन्होंने कहा था कि विशेषाधिकार अवहेलना की जो सूचना देगा उसको मैं पहले परीक्षण के लिए सरकार के पास तथा संबंधित व्यक्तियों के पास भेजूंगा तो वह उस पर पूरा परीक्षण करेंगे और जब हम पूर्ण संतुष्ट हो जायेंगे, तब माननीय सदस्य को सुनेंगे। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता हूं। मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि जो पुराने अध्यक्ष ने इस पीठ से व्यवस्था दी है, क्या आप उसके विपरीत कोई नई परम्परा डालने जा रहे हैं? अगर आप इस पर माननीय सदस्य को सुनना चाहते हैं तो पहले आपको यह निश्चित करना पड़ेगा कि पुरानी परम्परा को हटाकर पुनः नयी परम्परा चालू कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

दोनों ही परम्पराएं हैं, परम्परा यह भी है कि किसी को बुलवा दें और विचार करें और परम्परा यह भी है कि किसी को न बुलवायें।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं व्यवस्था यह उठाना चाहता हूं और इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब आपकी पीठ से एक निर्णय हो जाता है तो सत्तारूढ़ दल का कोई न कोई सदस्य व्यवस्था के नाम पर खड़ा हो जाता है और आपकी पीठ से दिये गये निर्णय की प्रकारांतर से अवमानना करने की कोशिश करता है। श्री सत्य प्रकाश विकल को आपने मौका दिया, अनुमति भी दिया तो सत्तारूढ़ दल से एक विधायक खड़े हो गये और उन्होंने आपके द्वारा दिये गये व्यवस्था को नकारने की कोशिश की। इस सदन के चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने जो व्यवस्था दे दी उसके ऊपर फिर व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था करने का क्या औचित्य है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य विकल जी खड़े हुए हैं, मैंने उनको अनुमति भी दिया है। अब इधर से व्यवस्था, उधर से व्यवस्था, व्यवस्थाओं की बात चलती रही तो बात पूरी नहीं होगी। सदन का समय बहुत कीमती है यदि कोई बात कहनी है तो अभी सामान्य चर्चा शुरू होने वाली है, उसमें कह दें।

श्री श्याम नारायन तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जायं। अब कितनी बार व्यवस्था होगी। दो सदस्य बोल लिये हैं अगर इस तरह से व्यवस्था चलती रहेगी तो अन्त ही नहीं होगा। यह सदन का समय मेरा नहीं है, आप सब का है।

श्री श्याम नारायन तिवारी–

मान्यवर, संवैधानिक मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं आप खड़े हैं, आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। मैंने एक मिनट का समय दिया है विकल जी को। आप बैठें, अभी चर्चा शुरू होने वाली है आप उस पर समय नहीं देंगे?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मेरी जो विशेषाधिकार की सूचना है, मैं माननीय सदन के सामने जो बात कहना चाहता हूं वह है–माननीय सदन के सम्मानीय मंत्री माननीय आजम खां साहब ने 15 जून को. .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 विकल जी आप अपने साथियों को बैठाइये। मा0 राणा जी, मा0 चौधरी जी मैं बता चुका हूं कि . . (घोर व्यवधान) मेरी बात सुन लें, विशेषाधिकार की सूचना की परम्परा यह है कि सुन भी सकते हैं। अध्यक्ष पीठ को अधिकार है कि वह सुन भी सकती है। अध्यक्ष पीठ की परम्परा रही है कि वह विशेषाधिकार को सुनने के लिये समय दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। बर्क साहब बैठिये (घोर व्यवधान) विकल साहब अपनी बात जल्द समाप्त कीजिये।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, जब तक ये शांत नहीं होते, मैं नहीं बोल सकता।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बर्क साहब कृपया बैठ जाइये। मैंने उनको मात्र एक मिनट का समय दिया है, सुन लेंगे तो क्या हो जायगा? (घोर व्यवधान) . . कृपया बैठ जाइये। हमने सम्मानित विकल साहब को एक मिनट बोलने का समय दिया है, 15 मिनट हो गये और उनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। विकल जी आपके अपने सदस्य सुन नहीं रहे हैं। कृपया सुन्दर लाल दीक्षित जी को बैठाइये . . (घोर व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैंने अपनी सूचना में . . (घोर व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, विशेषाधिकार की नोटिस इनसे संबंधित नहीं है, इनको बिना अधिकार के बोलने की इजाजत दी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 वर्मा जी बैठिये। आपको समय नहीं दिया है। सदन को चलाना है। इसका एक-एक मिनट कितना कीमती है, आप नहीं जानते । मा0 वर्मा जी बैठिये । संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं आपसे बैठने का अनुरोध कर चुके हैं, आप लोग नहीं बैठ रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, 15 जून को एक घटना घटी राज्य अतिथि गृह में। वहां के मुख्य व्यवस्था अधिकारी श्री ओंकार सिंह के पास हमारे मा0 श्रम मंत्री जी गये।

उनके मन में तकलीफ थी, वेदना थी, तकलीफ थी . . .

(घोर व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, यह कैसे बोल रहे हैं ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें । बर्क साहब बैठें, आप सब लोग बैठें । कृपया करके बैठ जायें ।

कल जो कार्यवाही चली, माननीय तिवारी जी ने जो यहां पर तक प्रस्तुत किया ।

एक सदस्य–

माननीय विकल जी खड़े हुए हैं, यह तो बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं । यह बात हुई थी कि औचित्य के प्रश्न पर, नियम 56 में लिया नहीं जा सकता है, केवल विशेषाधिकार में लिया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्नों के सम्बन्ध में जो नियम बने हुये हैं, उन्हें देखने की कृपा करें । हम आप नियमों से बधे हैं । मैं आपका ध्यान नियम 63 के परन्तुक की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । अगर किसी माननीय सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस तो आप "क" के बाद परन्तुक देखने का कष्ट करें परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे । मान्यवर, यह स्पष्ट दिया है कि इस सदन के माननीय सदस्य के खिलाफ कोई

विशेषाधिकार की नोटिस है तो पहले उसका परीक्षण होगा, उस सदस्य को सुना जा सकेगा, तब आपकी पीठ से निर्णय होगा । जो नियमों में व्यवस्था है, उसके अनुसार कार्यवाही चले, यह अनुरोध है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसे स्वीकार नहीं किया है, ग्राह्यता पर सुनने की बात है ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप एक मिनट सुन लें ।

श्री उपाधयक्ष–

ग्राह्यता के लिये ही सुन रहा हूं, ग्राह्य नहीं किया है ।

(घोर व्यवधान)

*नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें । मंत्री जी खड़े हुए हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, विशेषाधिकार के सम्बन्ध में नियम 63, 64, 65 व 66 में प्राविधान दिया हुआ है । अगर यहां किसी माननीय सदस्य को . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरी बात सुन तो लें । विशेषाधिकार के सम्बन्ध में किसी सम्मानित सदस्य को बुलवा सकते हैं लेकिन वह नियमों के अन्तर्गत होगा । मान्यवर, किस नियम के अन्तर्गत आप माननीय आजम खां के सम्बन्ध में, विशेषाधिकार के सम्बन्ध में, यहां चर्चा करवा रहे हैं ? मान्यवर, अगर आप ग्राह्यता पर सुन रहे हैं, तो उस नियम का हवाला दे दें । क्योंकि नियम 63, 64, 65 किसी में भी यह विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आता और जो प्रश्न काल नियम-56 में आ चुका है और जिस सदन के संज्ञान में लाया जा चुका हो, जिस पर सदन में बात हो गयी, जिस पर नेता सदन ने, जो मुख्य मंत्री भी हैं, उन्होंने सारी बातें रख दीं कि अगर कोई कर्मचारी गलत करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके खिलाफ सरकार काम करती है, ऐसी दशा में उसका पक्ष लेने का काम सदन में अगर किया जायगा, तो जन प्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती, और अगर इस सबके बावजूद किसी कर्मचारी का पक्ष लेकर किसी सदस्य के सम्मान को गिराने और किसी गलत कर्मचारी का सम्मान ऊपर करेंगे का काम किया जायगा, तो यह सदन में लोक तंत्र की हत्या करने का काम होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कोई चर्चा नहीं करा रहा हूं और न ही मैंने कोई चर्चा करने के लिये समय दिया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

तो फिर आपने किस बात के लिये इनको समय दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कोई चर्चा नहीं करा रहा हूं, यह तो विशेषाधिकार की सूचना पर जानकारी दे रहे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह सदन तो नियमों से ही चलेगा । विशेषाधिकार के संबंध में यहां सुनने के लिये पहले आप लिखित परीक्षण कराइये, उसके बाद ही उस पर कुछ हो सकता है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार की सूचना आने के बाद उसे संज्ञान में लिया जा सकता है और मैंने केवल संज्ञान लिया है, मैं कोई चर्चा नहीं करा रहा हूं । मैंने केवल एक मिनट उनको अपनी बात कहने के लिये दिया है । अध्यक्ष पीठ से पहले भी ऐसे निर्देश होते रहे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप इसको बन्द कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने नियमों से हटकर कोई काम नहीं किया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस पर कल बात हो चुकी है, आप नियम 65 को देखें ।

(पुनः विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नेता भारतीय जनता पार्टी, कृपया अपने सम्मानित सदस्यों को बैठायें, क्योंकि सदन को शान्ति पूर्वक चलाने के लिये शान्ति होना आवश्यक है ।

(भारतीय जनता पार्टी व सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसा करने से इस आदरणीय सदन का अमूल्य समय बरबाद हो रहा है । कृपा करके आप लोग बैठ जांय । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैंने आपसे अनुरोध किया था और इस पूरे सदन से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि सदन की कार्यवाही नियमानुसार नहीं चलेगी तो सदन चलाने में हमें भी दिक्कत होगी और आपको भी सदन चलाने में दिक्कत होगी । मैंने आपका ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-65 के परन्तुक की ओर आकृष्ट किया था । आप नियमावली को ले लें । उसमें साफ-साफ कहा गया है कि परन्तु यदि

शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेखों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेगें और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेगें । इसी के (2) में दिया गया है कि एक उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे । यह प्रश्न उठ चुका है । यदि आप इस पर पुन: सुनना ही चाहते हैं तो पहले आप माननीय सदस्य को सुनेंगे, शिकायतकर्ता की बाद में सुनेंगे । हमारी नियमावली में यह स्पष्ट है । नियमों के अनुरूप ही सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए । सदन का समय व्यर्थ न किया जाय ।

(भारतीय जनता पार्टी व सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

एक सदस्य, (सत्ता पक्ष)–

नौकरशाही के दलालों, बैठो ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से "तानाशाही नहीं चलेगी" का नारा दिया गया–घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है ? यदि ऐसा है तो विश्वास का संकट पैदा हो गया है क्योंकि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के आधार पर ही चल रही है । सरकार पुन: विश्वास प्राप्त करे ।

(घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार की एक नोटिस की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया गया और आपने माननीय विकल जी को बोलने का अवसर दे दिया । जितने भी तर्क माननीय संसदीय कार्य मंत्री या शतरुद्र प्रकाश जी ने दिये हैं, ये सारे के सारे तर्क आपके द्वारा दी गयी व्यवस्था के बाद के तर्क हैं । कदाचित पहले ये तर्क दिये होते और आपकी व्यवस्था हो गयी होती कि किसी को अनुमति नहीं देंगे तो मैं समझ सकता था । एक बार उस अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था हो गयी अर्थात आपने माननीय विकल जी को बोलने के लिये बुला लिया, इसके बाद कोई भी तर्क हो, उसका कोई अर्थ नहीं है । दूसरी बात, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी विषय पर माननीय सदस्य आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । यह तो अध्यक्ष पीठ की अवमानना और अपमान है ।

(विरोध पक्ष की ओर से "शेम, शेम" की आवाजें)

जब तक आपके द्वारा दी गयी आज्ञा और व्यवस्था का अनुपालन नहीं हो जाता अर्थात माननीय विकल जी को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक आगे कार्यवाही चलने का प्रश्न नहीं है । आपकी व्यवस्था हो चुकी है, आपके निर्देशन में यह सदन चल रहा है । जब माननीय विकल जी अपनी बात कह दें तत्पश्चात ही दूसरा कोई कार्यक्रम लिया जाय, यही मेरा अनुरोध है ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी और हम सभी लोग नियमों से बधे हैं । यहां तक कि अध्यक्ष पीठ भी नियमों के अन्तर्गत ही कार्य संचालन करती है । अभी हम लोगों ने देखा है कि आपने कई माननीय सदस्यों को इंगित किया बोलने के लिये लेकिन जब आपके सामने दूसरा विषय आ गया, आपने अपना निर्णय परिवर्तित कर दिया । माननीय नेता, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपने माननीय विकल जी को बोलने के लिये कहा, दूसरी तरफ मा0 संसदीय कार्य मंत्री को भी आपने अनुमति दी । नियमों के अन्तर्गत आपके इस समय किसी दूसरे को बोलने का अवसर नहीं देना चाहिये था । दो दिन का समय नष्ट हो चुका है । यहां पर बैठकर माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे पूंजीपतियों और अधिकारियों के गलत कार्यों पर भी उनको बचाने के लिये उनकी बात कहें । इधर तीन दिनों से लगातार मो0 आजम खां

(घोर व्यवधान)

को निशाना बनाया जा रहा है और चारों ओर से उनको घेरने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है । मान्यवर, मोहम्मद आजम खां वर्तमान सरकार में श्रम मंत्री हैं और श्रम मंत्री होने के नाते इस समय तमाम कारखानेदारों, फैक्ट्रीवालों तथा पूंजीपतियों के जो [illegible] हैं उनको इसीलिये परेशानी हो रही है । उन्होंने श्रम मंत्री होने के नाते उनके खिलाफ तेजी से कार्यवाही शुरू की हुई है । इसलिये पूंजीपतियों और फैक्ट्रीदारों ने मिल करके यह षडयन्त्र किया है और उन पर बराबर आरोप लगाने का कार्य शुरू कर दिया है उनके खिलाफ पूंजीपतियों ने सभी दरवाजे तथा थैलियां खोल दी है । अथिति गृह का मामला बहाना मात्र बनकर रह गया है । जहां तक इलाहाबाद की बात कही गयी, मैं स्वयं वहां के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि किस तरह से गन्दे आरोप लगाये जा रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री गौरी शंकर भइया, श्री सत्य प्रकाश विकल तथा अन्य कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे जिसके कारण निरन्तर व्यवधान होता रहा है ।)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्याम नारायण तिवारी ।

(श्री श्याम नारायण तिवारी अपने स्थान पर बोलने के लिये खड़े हुए परन्तु इतने शोर में अपनी कोई बात कह नहीं सके ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें । मा0 विकल जी आप भी बैठ जाइये । मैंने मा0 तिवारी जी को बुला लिया है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सुन चुका हूं । आप कृपया बैठ जांय ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह अच्छा है कि व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं सुनेगें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को बीस मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गयी । 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 सदस्यों से प्रार्थना है कि शांतिपूर्वक सदन को चलने दें। इस सदन का चलाना इस सम्मानित सदस्यों का कर्तव्य है, विशेष रूप से जो विपक्ष में बैठे हैं और सत्ता पक्ष के लिए आगे का काम कराना है, और बजट पास कराना है। इसलिये मेरा पक्ष और विपक्ष से निवेदन है कि जो नियमावली है, उसके अनुसार सदन चलाया जा सकता है। जब यह वर्तमान मामला प्रस्तुत हुआ और हमारे बी0 जे0 पी0 के सदस्य श्री विकल जी की भावना को देखते हुए और सदन की भावना को देखते हुए, उन्हें बोलने का समय दिया और उन्हें बुलवाया। चूंकि इसी प्रकरण पर 3–4 रोज से इस सदन में हंगामा हो रहा है और सदन अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिये विकल जी को अपनी बात कहने के लिए एक मिनट का समय मैंने दे दिया, लेकिन वह 2-3 मिनट तक बोल लिये। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर शोर करने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं माननीय कल्याण सिंह जी का बड़ा आदर करता हूं और सम्मान करता हूं और वह वरिष्ठतम साथियों में हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वह अपने दल के सदस्यों को नियंत्रित रखें। आगे आपको आम बजट पर बोलने का मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कह सकते हैं। एक मिनट का समय दिया था और 2–3 मिनट वह बोल लिये। अब उचित नहीं है। विशेषाधिकार के प्रश्न पर बोलने का उदाहरण भविष्य में नहीं बनेगा। यह मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य–डा0 दिनेश जौहरी, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री शिव बहादुर सक्सेना, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री रीवकान्त गर्ग आदि वेल आफ द हाउस में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घन्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् घोर व्यवधान के मध्य 2 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी गयी। 3 बजकर 5 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचना दी कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन सवा तीन बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है। तदोपरान्त 3 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी अध्यक्ष कक्ष में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल माननीय नेता भाजपा तथा अन्य नेताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए उनके विचारों का आदर करते हुए उनको बोलने के लिये दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, विशेषाधिकार की जो सूचना मैंने दी है वह 15 जून को राज्य अतिथि गृह में हुई घटना के संबंध में है उस घटना से इस प्रदेश और देश की 80 करोड़ जनता में इस सम्मानित सदन का सम्मान घटा है। इस प्रदेश की 13 करोड़ जनता इस बात को बड़ी उत्सुकता से देखती है कि यहां पर बैठने वाले हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि और माननीय मंत्री किस स्तर का आचरण करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि जो कुछ घटना उस दिन हुई उससे इस सदन की, देश की इस सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंची है और उससे हमारे श्रेष्ठ व्यवहार और आचरण के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है। उस दिन श्रम मंत्री माननीय आजम खां और राज्य अतिथि गृह के मुख्य व्यवस्था अधिकारी के बीच जो प्रकरण हुआ और जिन शब्दों का प्रयोग मा0 मंत्री जी ने किया उससे हमारे इस सदन का सम्मान गिरा है। मेरे और मेरे दल की यह धारणा है कि यह सदन सर्वोच्च है इसकी गरिमा किसी भी प्रकार से कम नहीं होनी चाहिए।

हमारे सामने हमारे जो मंत्री बैठे हैं या माननीय नेता बैठे हैं कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है हम हितैषियों को भी वह विरोधी समझने की भूल कर बैठते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं उनके दल के लोगों से ज्यादा सम्मान करते हैं। हमारा किसी मंत्री के प्रति दुराग्रह नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कारण है कि एक मंत्री विशेष के द्वारा समय समय पर अनेकानेक घटनायें होती रहती हैं, एक श्रृंखला बनती चली जा रही है उनके दुर्व्यवहार की और उनके आचरण की, जो समाचार पत्रों में आये दिन प्रकाशित होती है। तो इससे इस मंत्रिमंडल का, इस सरकार का और इस सम्मानित सदन का सम्मान गिर रहा है, इसकी गरिमा पर चोट पहुंच रही है। इसीलिये मैं समझता हूं कि हमने जो नोटिस दिया है वह उचित है।

श्री उपाध्यक्ष–

दो मिनट का समय हो गया (व्यवधान) दो मिनट से ज्यादा हो गया है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

अभी दो मिनट नहीं हुए आप देख लें। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो जहरीले और नफरत भरे उनके भाषण जिस प्रकार से होते हैं चाहे वह रामपुर के हों चाहे कानपुर के हों चाहें इस घटना हो (व्यवधान) उससे इस सदन के विशेषाधिकारों का हनन होता है इसलिये हमारे इस नोटिस पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपकी जो व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी आपने व्यवस्था दे दी माननीय विकल जी ने अपनी बात कह दी। लेकिन जो बात उन्होंने कही है वह तथ्य से परे हैं। एक मंत्री का जो कर्तव्य है उसका माननीय आजम खां साहब से निर्वहन किया

है। अगर कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो मंत्री उसे डांटेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेगा। जहां तक विशेषाधिकार का सवाल है मैंने पहले ही अनुरोध किया था कि यह नियम के विरुद्ध है विशेषाधिकार किसी सदस्य के खिलाफ होगा। इसके लिए नियमों में प्राविधान है। आप नियम 65 के परंतुक को देखें "परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेखों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे।"

इसलिये मेरा अनुरोध है कि भविष्य में यह व्यवस्था उदाहरण नहीं बनेगी।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आपने पीठासीन होते हुए यह कहा कि यह निर्णय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने लिया है कि उनको दो मिनट बोलने का मौका दिया जाय। तो निर्णय वह लोग नहीं लेते हैं वह विचार विमर्श करते हैं और निर्णय आप लेते हैं। इसलिये आप उसमें तरमीम करें क्योंकि निर्णय इस पीठ से होता है। अगर इस प्रकार निर्णय लेने की परम्परा कायम होगी तो वह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

सुझाव स्वीकार है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

दूसरी बात यह है कि एक उत्तरदायित्व आपको दिया गया था और उसे आपकी जानकारी में लाया गया था कि क्या कारण है कि हमारे पत्रकार बंधु पत्रकार दीर्घा में नहीं बैठ रहे हैं हमारे प्रश्नकाल के समय वह कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं। तो यह क्यों हो रहा है इसमें किसका उत्तरदायित्व है उसको खेद प्रकट करना चाहिए। वर्ना हमारी बातें जो बाहर जनता तक जाती हैं वह नहीं पहुंच रही हैं आप हमारे संरक्षक हैं आपके ऊपर यह दायित्व दिया गया था कि आप पता लगायें कि क्या कारण हैं और उनकी क्या समस्यायें हैं उसका निराकरण होना चाहिए।

पत्रकार जो प्रजातंत्र की रक्षा करने वाले होते हैं और सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वह यहां पत्रकार दीर्घा में प्रश्नोत्तरकाल में नहीं बैठें, जो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है, इस पर आप व्यवस्था दें।

*मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा नम्र निवेदन है श्री उपाध्याय जी से क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर और पुराने सदस्य हैं और हमारे नवजवान उपनेता श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जो श्री तिवारी जी का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, तो चैम्बर में जो बात हो जाती है उसे अपने सदस्यों को बताना चाहिए और मा0 सदस्यों को अपने नेता के निर्णय का पालन करना चाहिए, इसलिए आपको अब यहां यह बात नहीं कहनी चाहिए थी।

मान्यवर, जहां तक सवाल है हमारे मंत्री के ऊपर आरोप लगाया श्री विकल जी ने कि एक ही मंत्री की चर्चा क्यों है? आप जानते ही हैं कि चर्चा किसी की क्यों होती है? जो सबसे हमारे प्रदेश में प्रिय और जनप्रिय नेता हैं उसकी चर्चा स्वाभाविक है और रहेगी। आपने आज उन्हें इतना जनप्रिय बना दिया है कि आगे पता चलेगा कि वह हमारा नेता कितना जनप्रिय है। (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

आप बतायें कि क्या हमारी व्यवस्था को आपने अस्वीकार कर दिया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990†

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें। मद संख्या–7

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सहकारी सीमिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से करण संख्या–15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनाएं चयनित की गयीं :–

1–श्री रविकांत गर्ग की सूचना–जनपद मथुरा के बहुसंख्यक गांवों में हैजे की बीमारी से हुई अकाल मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2–श्री नकली सिंह, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री इम्तियाज मोहम्मद खां की सूचना-जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3–कुंवर सिंह नेगी की सूचना–प्रदेश में गम्भीर विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4–श्री अमरेश चन्द्र पांडेय की सूचना-जनपद मऊ के नत्थुपुर विधान सभा क्षेत्र में दोहरी घाट पम्प कैनाल से एक सिकड़ीकोल माइनर नं0 8 वर्षों से न बनाए जाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

5–श्री विमल प्रसाद तिवारी की सूचना–सहकारी कताई मिल लि0 करियल, जनपद फर्रुखाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजक के संबंध में।

6–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–गोरखपुर उर्वरक कारखाने के जर्जर हो जाने से दुर्घटना होने की आशंका के संबंध में।

†दिनांक 25-6-90 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

7–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की सूचना–मध्य प्रदेश शासन द्वारा बांधों से पानी न देने के कारण जनपद बांदा की सिंचाई व्यवस्था ठप्प हो जाने के संबंध में।

8–सर्वश्री मस्त राम, कल्याण सिंह, हरद्वार दुबे, शिव प्रताप शुक्ल, कृष्ण स्वरूप वैश्य एवं चौ0 देवकी नन्दन की सूचना–दिनांक 6-6-90 को उन्नाव कचेहरी में पुलिस द्वारा वकीलों, न्यायालय कर्मचारियों एवं वादकारियों पर किये गये लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उक्त सूचना श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य ने अलग से भी लिखकर दिया है।

9–श्री देव कुमार यादव की सूचना–संजय गांधी आयुर्विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में।

10–श्री पंचानन राय की सूचना–आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी द्वारा किए गए कटाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

पहली सूचना देने वाले श्री रविकान्त गर्ग आप बोलें।

श्री मुईद अहमद–

नियम 56 में मैंने भी एक सूचना दिया था उसमें क्या हुआ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बैठिए, आप बैठ जाइये । सभी सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि शलाका के आधार पर यह निर्णय होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी के साथ पक्षपात होता हो ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, मैं इस सदन का ध्यान एक ऐसी घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है । आज मथुरा जनपद में लगभग प्रत्येक गांव में हैजा फैला हुआ है, जिसके कारण लगभग 50 व्यक्ति विगत एक सप्ताह में हैजे की बीमारी से अकाल मौत के शिकार हो चुके हैं । मथुरा विकास खण्ड में एक मात्र गांव केवल एक ही गांव है जैत, वहीं पर केवल हैजे की बीमारी से तीन दिन के अन्दर 8 बच्चे की मौत हो चुकी है । लेकिन सरकार और जिला प्रशासन ने अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है । हैजे की बीमारी को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किये गये हैं । यह जैत ग्राम 8 हजार की आबादी वाला ग्राम है, परन्तु वहां पर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी कार्यरत नहीं है । इसी तरह से उसके आसपास जो गांव हैं, जैसे एक रलगांव है, उसमें आज से कई वर्ष पहले 30 बेड्स का एक चिकित्सालय निर्मित किया गया है, जिसको आज तक चालू नहीं किया गया है । मेरा शासन से अनुरोध है कि मथुरा जनपद की हैजे की बीमारी को रोकने के लिए सरकार ठोस और कारगर कदम उठाए और इस विषय पर आज सदन की समस्त कार्यवाही रोक-कर चर्चा कराई जाए ।

* जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मथुरा के आसपास जो बीमारी कालरे की फैली हुई है, उसके बारे में जानकारी दी है, उसके लिए उनको धन्यवाद । इस हेतु आज मैंने मथुरा टेलीफोन किया था, किन्तु वहां पर एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है, जिसमें उस जनपद के सभी अधिकारी लगे हुए हैं, इसलिए उनसे तो हमारा सम्पर्क नहीं हो पाया, फिर भी सी0 एम0 ओ0 से हमने सम्पर्क किया । डाक्टरों की एक उच्चस्तरीय टीम आज ही वहां के लिए प्रस्थान कर रही है, शायद कर भी चुकी होगी । दवाएं सारी भेजी जा रही हैं और जो भी कुछ आवश्यक होगा, सब वहां पर भेजा जाएगा । साथ ही हम भी मथुरा की इस स्थिति को देखने जा रहे हैं. और भी लोग जा रहे हैं । वहां जो भी कुछ करना आवश्यक होगा, हम उसे भी करेंगे । और अधिकारियों से कहा गया है कि वे तत्परता से इसमें लगें और इसको देखें ।

* श्री नकली सिंह–

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर में सन् 1987 के बाद से विद्युत कनेक्शन ट्यूब-वेल के या लाईट के हों, उन्हें देना पूर्णतया बन्द है । इसके चलते हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण भी पूरी तरह बन्द है । इसके पीछे कारण चाहे जो रहे हैं, लेकिन जब से नई सरकार सत्ता में आई है, तब से वहां पर कोई भी सामान विद्युत कनेक्शन का उपलब्ध नहीं है । इसके कारण यह है कि वहां पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह टिकैत का निवास स्थान है । उन्होंने विद्युत विभाग के खिलाफ बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा कर रखा है, उनका कहना है कि जनता दल ने हमसे वायदा किया था कि जब हम सत्ता में आयेंगे तो हमारे समस्त विद्युत बिलों के बकाया माफ कर दिए जायेंगे । इसलिए उनका कहना है कि हमारे किसान किसी भी विद्युत देय का भुगतान नहीं करेंगे । इस हालत के चलते वहां पर कोई सामान उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, जिसका खामियाजा पूरे किसानों को भुगतना पड़ रहा है । आज उन लोगों के कारण वहां हालत यह है कि विद्युत दफ्तर दिन में कदापि नहीं खुलते हैं । अधिकारी रात में आते होंगे और अपना काम निपटाते होंगे । वहां कभी कोई सामान उपलब्ध भी हो जाए तो उनके बन्दूक धारी आदमी आकर उसको जबरदस्ती उठा ले जाते हैं, चाहे ट्रांसफर हो या खम्भा हो अथवा अन्य कोई सामान हो । इससे पूरे जनपद में, पूरे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची हुई है । बिजली अभाव से विकास के सारे कार्य वहां रूक गये हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि आज सदन का सारा कार्य रोक कर आप इस पर चर्चा करायें ।

* श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, सारा प्रदेश बिजली की गम्भीर समस्या से त्रस्त है । लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है । सारे उद्योग धन्धे ठप पड़े हुए हैं । काश्तकार लोगों में हा-हाकार मचा हुआ है । ट्रांसफार्मरों की रिपेयरिंग नहीं की गयी है । बहुत दुख की बात है, बिजली विभाग मा0 मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं । पहाड़ों में इसकी और भी खराब स्थिति है । चमोली से श्रीनगर-जोशीमठ तक 66 के वी0 की लाइन के लिए पोल खड़े हो गये हैं । कंडिल नहीं बिछाया गया है । मान्यवर, सारे प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में बिजली की वजह से लोगों में बहुत हाहाकार मचा हुआ है । बिजली की कमी की वजह से सारे प्रदेश में असंतोष व्याप्त है । मेरा अनुरोध है कि इस गम्भीर समस्या पर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने के लिए समय निर्धारित करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी बात रखने जा रहा हूं । जनपद मऊ में दोहरीघाट पम्प कैनाल से सिकड़ीकोल माइनर निकली हुई है, जो विगत आठ वर्षों से बन रही है और वह माइनर की 8 किलोमीटर स्वीकृत है । शासन द्वारा जिस पर दो कि0 मी0 कार्य हो चुका है । जिस दिन कार्य पूरा हुआ, दोहरीघाट पम्प कैनाल से सिकड़ीकोल माइनर में जब पानी डाला गया तो उसी दिन पानी से यह माइनर बह गया और जमीन के समान समतल हो गयी। सौभाग्य से इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं।

(इस समय 3 बजकर 33 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उसकी जांच करायें, जो संबंधित अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें । साथ ही अनुरोध करना चाहूंगा कि सिकड़ीकोल से परसिया जय राम गिरि तक नहर स्वीकृत हुई है, जिसकी जमीन किसानों से ली जा चुकी है और किसान ने जमीन छोड़ दी है, कुछ किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है । मैं शासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि उसका निर्माण करायें । साथ ही काम में जो अनियमितता की गयी है, उसमें जो अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये, उनको दंडित करें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम-56 में मेरे द्वारा दी गयी सूचना की ग्राह्यता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । सौभाग्य से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इस समय मौजूद हैं । जनपद फर्रुखाबाद में सहकारी कताई मिल लिमिटेड स्थापित की गयी, जो विगत 7-8 महीनों से बंद पड़ी है और जन सेवा जिसका लक्ष्य था । बुनकरों को सूत उपलब्ध कराने के बजाय अराजक तत्वों का अड्डा हो रही है, भ्रष्टाचार का केन्द्र बनी हुई है । मान्यवर हड़ताल के कारण मिल बन्द पड़ी है । मेरा निवेदन है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इसको स्वीकार करें । इस मिल की हड़ताल समाप्त करने पर विचार करें ताकि यह मिल जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है, वह उसको पूरा करने में कामयाब हो ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 के अन्तर्गत सब सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं । रविकांत गर्ग ने जो मथुरा के गांव में हैजे की बीमारी से संबंधित सूचना दी है उसको मैं वक्तव्य के लिए समय निर्धारित करूंगा, और अन्य पांच सूचनाओं को–

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मैंने उत्तर दे दिया और सब वहां पर व्यवस्था हो रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि तकनीकी दृष्टि से आपने सूचना अस्वीकार कर दीं आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मान्यवर, मैं कल उन्नाव गया था । 6 जून को वहां की पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया । जजेज के कमरे तोड़ दिए सभी वकीलों ने इस बात को लेकर उन्नाव में हड़ताल कर दी, और यह हड़ताल चल रही है । 20 जून से अधिवक्ता संघ ने भी फैसला कर लिया है कि प्रदेश व्यापी हड़ताल कर देंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्नाव में जो घटना घटित हुई है 6 जून से 20 जून तक उन्नाव के अधिवक्ता हड़ताल करते रहे अब जो निर्णय अधिवक्ता संघ के लोगों ने लिया है उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा इसलिए इसमें वक्तव्य स्वीकार कर लें । मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह तत्काल इसमें हस्तक्षेप करके वहां की स्थिति का निपटारा करें । वरना उन्नाव में बहुत दयनीय स्थिति पैदा हो जाएगी ।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय कल्यान सिंह जी ने उन्नाव की घटना के संबंध में बताया है हमारे पास वहां के सम्मानित वकील आए थे । उन्होंने जो-जो मांगें हमारे सामने रखीं मैंने उनको तत्काल स्वीकार कर लिया । इसके बाद मैंने बाजपेयी जी को भेजा । हमारे शिक्षा मंत्री जी वहीं के हैं । उनसे हमारी बात हुई जो मांगें उन्होंने हमसे कहीं उनको तुरन्त मान लिया गया दो थानेदारों का स्थानान्तरण कर दिया गया । उसके बाद उनकी नई मांगें हो इसका इलाज नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रविकांत गर्ग–

मान्यवर, आपने नेता भा0 ज0 पा0 की सूचना को सुन लिया । हमारी सूचना नेता भा0 ज0 पा0 के पहले थी उसको आपने नहीं सुना ?

श्री अध्यक्ष–

नियम के अनुसार दस सूचनायें दे दी जाती हैं यह नियम है इसको आप पढ़ लें । मैंने कोई नयी बात नहीं की है । पांच सूचनायें ग्राह्यता पर सुनी जाती हैं वह सुन लें । मैं कहने जा रहा था, मैं यहां उपस्थित नहीं था । मेरे पूर्व मथुरा में हैजे की बीमारी के संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया जा चुका था । मैंने उसको महत्व-पूर्ण समझा, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है । इसके बारे में इतना कहना चाहता हूं कि उन्नाव के वकीलों के बारे में कई लोगों ने यह दिया है माननीय मुख्य मंत्री जी का भी स्पष्टीकरण आपके पास आ गया है नियमानुसार मैं पांच से लेकर दस तक की जो सूचनायें हैं, शासन के ध्यानाकर्षण के लिए देता हूं और यह नियम–56 में अस्वीकार की है ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, संजय गांधी संस्थान के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, वक्तव्य दिला दें ।

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, उन्नाव की घटना के सम्बन्ध में उन पुलिस इन्सपेक्टरों का तबादला किया गया है जो वहां पर नहीं थे । एस0पी0 सिंह के स्थानान्तरण की मांग की गयी थी ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठिए ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

(श्री राजेन्द्र त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, एक सूचना मेरी थी नदी की कटान से संबंधित मामला था । गांव को नदी काट रही है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठिये ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार प्रकट करने के लिये अनुमति दी है । मैं आपके माध्यम से इस विषय पर अपने हृदय के उद्गार और आभार प्रकट करना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करके पूरे प्रदेश की जनता को आशांवित किया है । वर्षों से जो गांव मूक थे, जिनमें विकास का अभाव था उन गांवों को बजट के माध्यम से वाणी दी गयी और दी, विकास की आशा है। इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं । मान्यवर, मैं इस बजट का और माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कहकर अभिनन्दन कर रहा हूं कि उनको अगर यह कहा जाय कि क्रांति रथ ने कमाल कर दिखाया है तो अतिशयोक्ति न होगी । यह कमाल उधर के बैठे हुये लोगों को दिखायी नहीं पड़ता है क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने इनको ठोकर मार कर उस जगह पर बैठाया है जहां पर यह तिलमिला रहे हैं । विरोधी पक्ष के माननीय उप नेता ने इस बजट को ताश के 52 पत्ते कहा है । मुझे अफसोस है कि हर जगह उनको ताश, शराब और कबाब दिखायी दे रहा है । यह उनका दृष्टि दोष है ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

52 पृष्ठ के लिए मैं कहना चाहता हूं कि साल में 52 हफ्ते होते हैं और 52 हफ्तों का पूरा हिसाब इस बजट को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है ।

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न इसमें नहीं होता है ।

---

†दिनांक 19 जून, 1990 की कार्यवाही के संदर्भ में ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपनी तिलमिलाहट शांत करके बैठें व सुनें । दिल थामकर बैठिये, अब हमारी बारी है आपको सुनना पड़ेगा । मैं इस बजट का इसलिये स्वागत करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया है जो महात्मा गांधी के बाद केवल किताब के पन्नों पर रह गई थी । महात्मा गांधी के नाम पर कुछ लोग गांधी जयन्ती के नाम पर कांग्रेस पार्टी चलाकर रह गए थे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलो गांव की ओर, द्वारा ग्रामोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है, इसलिये मैं इस बजट का अभिनन्दन करता हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इसलिये भी अभिनन्दन करता हूं कि यह वादा निभाओ बजट है, विरोध पक्ष के लोगों ने इस बजट को वादा खिलाफी का बजट कहा है, मुझे अफसोस है कि शायद उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा का घोषणा-पत्र नहीं पढ़ा है जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा, जनता दल के मुख्य मंत्री ने अपने और हमारे माननीय नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारे बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा गांवों पर खर्च किया जायगा खुशी की बात है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने 51.30 प्रतिशत बजट गांवों पर खर्च करने के लिये निर्धारित किया है । मैं इसलिये भी उनका अभिनन्दन करता हूं कि खुली सरकार का एक नया स्वरूप सामने उपस्थित हुआ है जिसमें अधिकारियों से कहा गया है कि आप गांवों में जाकर रात गुजारें ताकि गांव के दुख दर्द का पता चले । एयर कूल, एयरकंडीशंड कमरों से बाहर निकलें और जनता के दुख दर्द को सुनें ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर सांप्रदायिकता की ज्वाला को दबाने का प्रयास किया है और उस पर रोक लगायी है । चाहे हमारे आदरणीय, सम्माननीय, पीठाधीश शंकराचार्य जी ही हों उनको भी गिरफ्तार किया गया है । मैं उनके प्रति सम्मान रखते हुए सद्भाव के लिए किए गए प्रयास की सराहना करता हूं। सांप्रदायिकता की ज्वाला से प्रदेश को बचाने का जो उन्होंने प्रयास किया है उसकी मैं सराहना करता हूं । श्रीमन्, हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में हिन्दी को सच्चे रूप में उसे सर्वोच्चता देने का प्रयास किया है, इसलिए मैं इनकी सराहना करता हूं । एक असंभव काम चुंगी का जो चन्द लोगों की जेब भरने का काम था, हमारे मुख्य मंत्री जी ने उसको समाप्त करने की घोषणा की है, इसलिए मैं इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं । जहां तक 10 हजार रुपये तक के कर्जे की माफी का सवाल है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि वह माफ करेंगे, लेकिन कांग्रेसी लोगों को यह सुहाता नहीं है । हमारे मुख्य मंत्री जी कथनी और करनी को एक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैं उनका बार-बार अभिनन्दन करता हूं । क्या यह विरोधी पक्ष के लोगों को याद नहीं है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कक्षा 12 तक के बालकों की शिक्षा नि:शुल्क करने की घोषणा कर दी है । श्रीमन्, उनको यह पीड़ा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह नाम क्यों ले लिया । चौ0 चरण सिंह को याद क्यों किया ।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, बजट पर चर्चा तो शुरू कर दिया, लेकिन आपने यह नहीं निश्चय किया कि एक सदस्य को कितना टाइम मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह निर्णय हो गया है, अभी आपको सूचित कर दिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं अपनी बात को पुनः शुरू करता हूं । इन तमाम तरह की संस्तुति में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गांधीवाद के स्वरूप को निखारो, इससे नेहरू जी का अपमान नहीं था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्रयास के पीछे मुख्य मंत्री जी की मंशा को समझें । गांव का विकास होगा, उनकी यह मंशा थी । छोटे कुटीर उद्योगों को महत्व दें ताकि वहां के, गांव के निवासियों को, वहां के पिछड़े वर्ग के लोगों को, बेसहारा लोगों को काम मिले । श्रीमन्, हमारे मुख्य मंत्री जी ने गांव को शहरों से जोड़ने का प्रयास किया है और इसके लिए संसाधन जुटाने का भी प्रयास किया है । मान्यवर, पहले जो कांग्रेस शासन की स्थिति थी, उसे हमारे मुख्य मंत्री जी ने सुधारने का काम किया है । मान्यवर, इस सरकार को विरासत में कांग्रेस द्वारा छोड़ी हुई जर्जर अर्थ व्यवस्था मिली है । श्रीमन्, 1989-90 का बजट जब शुरू किया था, तब उनसे 116 करोड़ की बचत की धनराशि मिली थी। श्रीमन्, जब ये अपनी गद्दी छोड़ने लगे, तो ये घाटे का बजट छोड़ गये । ऐसा स्वरूप देखा गया जब हमने कहा यह छोड़ गये हैं खाली खजाना, खाली खजाना हाथ लगा है माननीय मुख्य मंत्री जी को, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है संसाधनों को जुटाने का । बिजली की जर्जर अर्थव्यवस्था का तो रूप ही कोई नहीं बता सकता है ।

बजट में बीसवें पृष्ठ पर आप देखेंगे, उसमें कहा गया है कि 1989-90 में लगभग 1136 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गई जबकि यह वसूली 1800 करोड़ रुपये हो सकती थी । तो ये वसूली नहीं कर पाये । लागत मान्यवर, ज्यादा लगी और आमदनी कम है । कर्मचारियों को यह तुष्ट करते थे । ये कर्मचारियों की झूठी खुशामद करते थे तो इनको नाराजगी होगी ही । इन्होंने कहा कि जनता दल की सरकार ने किसानों को लुभाने का प्रयास किया है, मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में जनता को प्रसन्न करने के लिए अनवरत सेवा का संकल्प प्रस्तुत करें ताकि जनता उनकी तरफ चलें । लेकिन इनको जनता को प्रसन्न करने में विश्वास नहीं है, मैं जनता को प्रसन्न करने में विश्वास करता हूं और ये वोट लूटने का प्रयास करते हैं । मान्यवर, यह भी इनको पीड़ा है कि जनता क्यों प्रसन्न है । मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन को 60 रुपये बढ़ाकर 100 रुपया किया गया है इससे भी ये नाराज है यह लोग वृद्धों का सम्मान नहीं करते इसके साथ ही साथ जहां प्राइमरी पाठशाला के बच्चों को पेड़ के नीचे बैठने के लिए छोड़ दिया था उनके लिए भवन की व्यवस्था की जा रही है । मान्यवर, मात्र सत्ता का परिवर्तन हुआ है और उसकी सुखद अनुभूति पूरे प्रदेश की जनता को हो रही है, किसानों को हो रही है, मजदूरों को हो रही है । मान्यवर, इनके भाषण को मैंने देखा है इनकी स्थिति यह थी कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना इनकी निगाह अपने दल की ओर थी और बोल दूसरी ओर रहे थे । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का अभिनन्दन करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने क्रांति रथ ने जो काम किया है वह अनवरत कायम रहे और मुख्य मंत्री जी के लिए एक गाना बजता था कि नाम मुलायम सिंह है, काम बड़ा फौलादी है उस स्वरूप को कायम रखें इसलिए बजट का हार्दिक अभिनन्दन ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हेतु समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना है, जैसा आपने प्रश्न किया था, यह निर्णय हो चुका था कि माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल की अनुपस्थित में उपनेता विरोधी दल के लिए कोई समय नियत नहीं होगा शेष सम्मानित मंत्री और दलों के नेताओं के लिए 25-25 मिनट और अन्य माननीय सदस्यों के लिए 10-10 मिनट का समय निर्धारित करता हूं ।

जनता पार्टी (जे0 पी0) के सदस्य श्री राजधारी द्वारा जनता पार्टी (जे0 पी0) का जनता दल में विलय की घोषणा किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

एक घोषणा और आपके सामने करनी है:–

"उत्तर प्रदेश विधान सभा में जनता पार्टी (जे0पी0) राजनीतिक दल से सम्बद्ध सदस्य श्री राजधारी ने अपने पत्र दिनांक 13 जून, 1990 जो उनके हस्ताक्षर से युक्त है में सूचित किया है कि 6 जून, 1990 को सिकन्दरपुर बलिया में माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्ष, जनता दल, उत्तर प्रदेश के समक्ष जनता पार्टी (जे0 पी0) के जनता दल में विधिवत् विलय की घोषणा की । उनके विलय सम्बन्धी उक्त पत्र पर माननीय मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष, जनता दल की स्वीकृति अंकित है । श्री राजधारी ने अनुरोध किया है कि अब उन्हें जनता दल विधान मण्डल का सदस्य माना जाय ।

श्री राजधारी के उक्त अनुरोध एवं नेता, जनता विधान दल की स्वीकृति को दृष्टिगत रखते हुए मैं भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा-4 के अन्तर्गत श्री राजधारी के मूल राजनीतिक दल, जनता पार्टी (जे0पी0) का जनता दल में विलय स्वीकार करता हूं । तद्नुसार अब श्री राजधारी का नाम विधान सभा की दलीय सूची में जनता दल से सम्बद्ध सदस्य के रूप में दिखाया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, जनता दल का जो प्रथम बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें इनकी कथनी और करनी का जो अन्तर है, विरोधाभास है, उसको स्पष्ट कर दिया है । नेता विरोधी दल के रूप में इन्होंने जो पहला बजट भाषण 15 जुलाई, 85 को दिया था उसमें मान्यवर, इन्होंने आरोप लगाया था कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने बंगले की मरम्मत में 10 लाख रुपये और श्री श्रीपति मिश्र ने 10 लाख रुपये खर्च किये। इनका कहना था कि जब मुख्य मंत्री के लिए कालीदास मार्ग पर एक आवास उपलब्ध है तो किसी दूसरे बंगले पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए । लेकिन जब खुद मुख्य मंत्री बने तो वह बात भूल गये और दो की जगह तीन बंगलों का इन्तजाम किया । इनकी सरकार ने प्रशासनिक खर्च को कम करने की बात कही, इन्होंने आरोप लगाया था कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कालीदास मार्ग और माल एवेन्यू दो जगह रहते हैं, लेकिन अब खुद उनका अनुसरण कर रहे हैं । एक और बात कहना चाहता हूं कि इसी सदन में विधेयक पास हुआ कि विधायक निवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों से आवास खाली कराए जायेंगे,

लेकिन इनके मंत्री बंगलों में रह रहे हैं । विधायक निवासों में भी कमरे कब्जा किये हैं, स्टेट गेस्ट हाउज में भी कमरे लेकर रहते हैं, जिससे तमाम बवाल पैदा हो रहे हैं। इन्होंने मितव्ययता के बारे में कुछ नहीं किया ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

इन सब बातों से बजट से क्या मतलब है?

श्री पंचानन राय–

इन्होंने घोषणा की थी कि जब सत्ता में आयेंगे तो या तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे या उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे । ये सत्ता में आए तो इन्होंने अपने पहले बजट में ही बेरोजगारों के लिये रोजगार का प्राविधान नहीं किया, न बेरोजगारी भत्ता देने का प्राविधान किया । मैंने बजट पढ़ा है, इसमें बेरोजगारी भत्ता देने के लिये कोई प्राविधान नहीं है । एक बार नेता विरोधी दल के रूप में इन्होंने कहा था कि किसान के एक क्विंटल गेहूं के बदले तीन हजार ईंट मिलनी चाहिए । आज 200 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है और 800 रुपए प्रति हजार ईंट बिक रही है । तो महंगाई चारों ओर बढ़ी है । चीनी सीमेंट महंगे हो गये । आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है । तीसरे मैं कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की हालत यह है कि मेरे पास तमाम समाचार पत्र हैं जो कहते हैं कि छात्र की छुरा घोंपकर हत्या, ट्रेन डकैती, कानपुर में उग्र श्रमिकों पर फायरिंग से एक मरा, इटावा में कानून व्यवस्था की स्थिति लड़खड़ा रही है । कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है । जबसे आपने कार्यभार संभाला है, यह सब हो रहा है । यह नवभारत टाइम्स की प्रतियां मेरे पास हैं । मान्यवर, फैजाबाद में एक एम0 पी0 पर कातिलाना हमला, गढ़मुक्तेश्वर में एम0एल0ए0 पर हमले की घटना, यह सब क्या हैं ।

कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गयी है । महंगाई बढ़ गयी है ।बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया न बेरोजगार भत्ता दिया । अभी कोई साथी शिक्षा के बारे में कह रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में दो अच्छे काम किये हैं । एक तो असहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने का काम अच्छा है । इसी के साथ-साथ स्मरण होगा कि विधान सभा के सामने तदर्थ शिक्षकों के धरने के समय आपने आश्वासन दिया था कि तदर्थ शिक्षकों

(इस समय 4 बजे अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए)

की सेवाएं विनियमित की जायंगी । लेकिन प्रस्तावित विधेयकों की सूची में तदर्थ शिक्षकों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । एक बात कहूंगा कि आपने विश्वविद्यालय के कुलपति का दर्जा वेतनभोगी कर्मचारियों से भी बदतर कर दिया है । कुलपति की एक मान्यता होती है, एक स्थान होता है, आपने उसको दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से बदतर कर दिया । कुछ अच्छा कर रहे हैं तो खराब मत कीजिये कि अच्छे किये पर कालिख पुत जाय । जो खराब है उस पर भी चिंतन करना चाहिये । विश्वविद्यालय का कुलपति सम्मानित होता है उसका इतना अपमान मत कीजिये कि वह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के समान हो जाय ।

मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं . . .

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

अंग्रेजी के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री पंचानन राय–

माननीय सदस्य ने अंग्रेजी के बारे में क्या राय है, यह जानना चाहा है, मान्यवर आपके शासनकाल को 6 माह का समय हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करेंगे । यहां पर भी कहूंगा, बाहर भी कहता हूं, दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करनी चाहिए, यह अच्छा कदम है । लेकिन आज 6 महीने हो गये हैं, 5 वर्ष के लिए आप चुने गये हैं, आखिरकार कोई विधेयक ही सदन में ले आते दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करने के लिए । लेकिन, वे आप कर नहीं रहे हैं । चुनावों के समय आपने कहा था कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे । यह मेरे पास समाचार पत्र की कतरन है नवजीवन में नहीं छपा है नवभारत टाइम्स में छपा है, "हरिजनों को कर्ज के बदले जेल" । कर्ज माफी के संबंध में माननीय गुप्त जी कह रहे थे कि यह चूं-चूं का मुरब्बा बनकर रह गया है । जो वास्तव में गरीब आदमी है इसका उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है । आपने घोषणा की कि गांवों में 14 घंटे बिजली देंगे । आज हालत यह है कि तमाम कार्य स्थगन प्रस्ताव बिजली के बारे में ही आ रहे हैं, गांवों में कई-कई दिनों तक बिजली नहीं जा रही है ।

कानून व्यवस्था की तो बात ही छोड़ दीजिए, पुलिस विधायकों के ऊपर हमला कर रही है । महंगाई का आलम यह है कि चुनाव के समय जो प्रथम श्रेणी की एक हजार ईंट 400 रु0 में मिला करती थी आज वह 800 रु0 में मिल रही है । 6 महीने में यह दाम दुगने हो गये हैं । आपने 15 जुलाई, 1985 को इसी विधान सभा में कहा था कि शासन वह होना चाहिए कि अगर किसान एक कुन्टल गेहूं लेकर जाए तो उसे 3000 ईंट मिलनी चाहिए । लेकिन जो महंगाई है, उसके रहते हुए एक कुन्टल गेहूं के बदले ढाई सौ ईंट ही मिलेगी और अगर यही हाल रहा तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह ढाई सौ ईंट भी नहीं मिलेगी, सौ ईंट मिलेगी। मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी ने स्वर्गीय माननीय वीर बहादुर सिंह जी का जिक्र किया, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जिक्र किया, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की उन्होंने तारीफ की । जब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर स्वर्गीय माननीय वीर बहादुर सिंह जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये थे, इसी विधान सभा में आपका भाषण है उसमें आपने चौधरी चरण सिंह जी की बात कही थी, मैं चौधरी साहब का सम्मान करता हूं, हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान करता हूं, मैं स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूं । आपने कहा था कि चौधरी चरण सिंह जी जीवन भर आजादी के लिए लड़े और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जमींदारी बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ रहे । आज आप उन्हीं की रहनुमाई में यहां पर हैं । मैं तो उनका भी सम्मान करता हूं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

तब तो वे आपके अध्यक्ष थे ।

श्री पंचानन राय–

आपकी सरकार अन्तर्विरोधी की सरकार है । आपके मुख्य मंत्री नेता सदन जो उस समय अंग्रेजों के हमदर्द होने की बात उनके लिए कहे थे, आज उन्हीं के नेतृत्व में

उन्हीं की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश का राज चला रहे हैं । घंटकों में बटी हुई यह सरकार है । मुख्य मंत्री जी इतने असहाय हैं कि 6 महीने हो गए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया । यह दिल्ली वालों की बात भी नहीं सुनते । मुख्य मंत्री जी के पास 65 विभाग हैं । मैं आपको वैसे असहाय नहीं मानता हूं क्योंकि आप अपने मन से काम करते हैं । सारे सदन में हंगामा हो जाता है विभिन्न विषयों पर चर्चा के समय । इसके लिए जो ख्याल व्याकुल आपके साथी हैं प्रश्नकाल में कोई सदस्य खड़ा होता है तुरन्त वे लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपने घोषणा कर रखी है कि सदन में काम देखकर मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे । 65 विभाग अपने पास आप रखे हुए हैं, काम तो हो नहीं रहा है । एक आदमी की काम करने की क्षमता होती है । आपने भी कहा था कि अगर किसी मुख्य मंत्री के पास 65 विभाग होंगे तो वे काम कैसे कर पायेगा । आप दिल्ली के गुलाम नहीं हैं । आप में स्वयं निर्णय करने की क्षमता है । लेकिन आपके पास भी 65 विभाग हैं । आपने जो यह कह रखा है कि बजट सत्र में विधायकों का काम देखने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, इससे यहां बड़ी विचित्र स्थिति कभी-कभी पैदा हो जाती है । आपके जो मंत्री पद के लिये व्याकुल साथी हैं, जब कोई सदस्य इधर का खड़ा होता है कोई बात कहता है तो उधर के 15-20 लोग जो मंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं तुरन्त खड़े हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं । सत्तारूढ़ दल को संवेदनशील होना चाहिए, शासन संवेदनशील होना चाहिए । प्रदेश की 13 करोड़ जनता की निगाहें इस सरकार की ओर लगी हुयी हैं । जब जनता की तकलीफ को मुखरित करने के लिये विरोध पक्ष के सदस्य खड़े होते हैं तो आपके दल के सदस्य संख्या के बल पर, शोर के बल पर इस आवाज को दबाना चाहते हैं, क्योंकि सब मंत्री बनने के लिये व्यग्र हैं और आपने उनको मंत्री बनाया नहीं, बेचारों को कुछ काम तो दे दें, ताकि सदन में कुछ शोर कम हो जाय और सदन शान्तिपूर्ण वातावरण में चल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः दोहराता हूं कि यह जो बजट है, वह इस प्रदेश की गरीब जनता के साथ धोखा है ।

श्री सुरेश यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इस बजट पर चर्चा में हमको बोलने का मौका दिया । मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस सदन में एक बहुत बढ़िया, संतुलित और ऐतिहासिक बजट पेश करने का कार्य किया है । मान्यवर, मैं कल उप नेता विरोधी दल के भाषण को सुन रहा था और मैं इसे बड़े इत्मीनान से सुन रहा था, ऐसा लगता था कि वह किन्हीं कारणों से इस बजट को पूरा नहीं पढ़ पाये हैं अगर वह पूरा पढ़े होते, तो निश्चित रूप से इस तरह की बात नहीं करते, उनका भाषण पूरा का पूरा अखबार की कतरन पर आधारित था । हमें उम्मीद है कि आज के बाद जब वह घर जायेंगे, तो निश्चित रूप से इस बजट को आद्योपरान्त पढ़ेंगे, क्योंकि उनका कल का पूरा का पूरा भाषण भ्रमात्मक था । मान्यवर, जिस बजट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, उसकी केवल जनता दल के लोग ही नहीं, बल्कि जो विरोध पक्ष के लोग हैं, वह भी तारीफ कर रहे हैं । यहां यह केवल

विरोध के लिए विरोध करते हैं और जब बाहर निकलते हैं, तो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यह बेचारे यहां पर इस बजट की प्रशंसा तो कर नहीं सकते। मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस के राज्य में असंतुलन बढ़ा, विषमतायें बढ़ी, भेदभाव बढ़ा और बजट के आवटन में दोहरी-तिहरी नीति का अनुपालन किया गया, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्वांचल के लिए इस बजट में विशेष प्राविधान किया है, इसके लिए मैं उन्हें पूर्वांचल के लोगों की ओर से मुबारकबाद देना चाहता हूं।

उन्होंने इस बजट में पूर्वांचल के लिये 20 करोड़ रुपये का विशेष प्राविधान किया है, इसे मैं अच्छी शुरुआत मानता हूं, इससे हमको लगता है कि पूर्वांचल का भी अन्य भागों की तरह निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सर्वांगीण विकास होगा। माननीय, भाषा के सवाल पर जिस तरह की स्पष्ट नीति बनाई गयी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं दूसरी तरफ के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाषा के नाम पर समाज टूटता है और भाषा के नाम पर ही देश टूटता है। मैं माननीय, आपके माध्यम से स्मरण कराना चाहता हूं कि जब इस देश में अंग्रेज आये, तो सबसे पहले उन्होंने भाषा को तोड़ने की कोशिश की थी। जिस किसी देश की भाषा नहीं होगी, संस्कृति नहीं होगी, उस देश को बचाया नहीं जा सकता, उस देश को गुलाम होने से भी नहीं बचाया जा सकता। यह कांग्रेस के लोग हमेशा अंग्रेजियत की वकालत करते रहे हैं और भाषा के नाम पर क्षेत्रीयता तथा देश को तोड़ने की साजिश करते रहे हैं। हमारे माननीय मुख्य मत्री जी ने खतरे की इस गंध को महसूस किया और भाषा के मामले में जिस तरह की स्पष्ट नीति अपनाई है, निश्चित रूप से उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और उन्होंने इस प्रकार समाज को टूटने से बचा लिया है। शिक्षा के मामले में भी उन्होंने बड़ी स्पष्ट नीति अपनाई है। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपका लड़का तो दून स्कूल में पढ़ता है, मंसूरी के स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हमारा लड़का जब पढ़ने के लिये गांव के स्कूल में जाता है, तो वह वहां से वापस चला आता है, क्योंकि कांग्रेस के राज में आलम यह था और मैं जब उससे पूछता था कि क्यों चले आये, तो वह जवाब देता था कि जहां स्कूल में पढ़ने के लिये जाते हैं, वहां छत नहीं है और पूरे के पूरे बरसात में वहां छुट्टी कर दी जाती है, यह आलम कांग्रेस के राज का रहा तो आप जान लीजिये कि हमारे लड़के की पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम नहीं था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने सभी विद्यालयों में निश्चित रूप से भवन बना देने की जो बात कही है, वह काबिले तारीफ है।

वृद्धावस्था पेंशन की बात है। वृद्ध आदमी की क्या कशिश होती है, उसका क्या दुख दर्द होता है, उसकी क्या बेबसी होती है, शायद उधर बैठने वालों को इसका ज्ञान नहीं होगा। हम लोग जो गांवों में रहते हैं, हम उस 60 वर्ष के वृद्ध की तकलीफ को जानते हैं। जब वह एक रुपया भी अपने लड़के से मांगता है तो उसे किस तरह से दुत्कार दिया जाता है। इसलिए उस गरीब की बेबसी को देखकर और उसके दुख दर्द को देखकर 100 रुपए महीने पेंशन देने का जो निर्णय हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया है, यह एक ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस के जमाने में मेरी तहसील सलीमपुर में 50 लोगों

को भी पेंशन नहीं मिलती थी, इधर इस सरकार में कैम्प लगाकर वृद्धावस्था पेंशन बांटने का जो काम किया जा रहा है, इससे निश्चित ही प्रदेश के विकास की गति को सफलता मिलेगी ।

मैं एक बात पुनः कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज्य में गांव व गांव में रहने वाले लोगों की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही थी, उसका कोई मुकबला नहीं है । केवल शहर बना गये फौव्वारों पर खर्च किया गया, गमले सजाये गये । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब वह पूरे प्रदेश का उस समय दौरा कर रहे थे तो उन्होंने जनता से वायदा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनेगी तो हम गांव व गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए, जो बजट होगा, उसका 50 फीसदी बजट गांवों पर खर्च करेंगे । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता से जो वायदा किया था, 50 फीसदी की जगह पर 51.30 फीसदी बजट में प्रावधान करके एक ऐतिहासिक काम किया है । मैं अन्त में इस संतुलित और ऐतिहासिक बजट की प्रशंसा करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैंने बजट भाषण पर माननीय नेता सदन, उप नेता विरोधी दल तथा इस सदन के अन्य सम्मानित मित्रों के विचारों को सुना । विचारों को सुनने के बाद, मुझे इस बात का, हमीं ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के जनमानस को यह आशा थी कि उत्तर प्रदेश में जब माननीय श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो वह गांवों व किसानों के विकास के लिए क्रांतिकारी कार्य करेगी और गांवों का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा, यह सत्य है । लेकिन राज सिंहासन इसीलिए होता है कि वह प्रदेश की जन भावनाओं को और अपने आलोचकों की बात को सुने और सुन करके किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप प्रदेश के हित में कल्याणकारी कार्य करें । जन कल्याणकारी कार्य के साथ दृढ़ता हर प्रश्न पर, हर सवाल पर, हर नीतियों पर दृढ़तापूर्वक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिये । साम्प्रदायिक कौन है ? हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ने साम्प्रदायिकता के ऊपर भाषण दिया । समानता के नाम पर जिस तरीके से आप लोगों को खुश करने के लिये जगतगुरु शंकराचार्य की गिरफ्तारी करते हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा । आपको हर परिस्थिति को समझना होगा ।

(सत्ता पक्ष की ओर से बजट पर बोलिये की आवाजें आने पर)

मैं कहना चाहता हूं कि आज जो इधर बैठे थे सौभाग्य से उधर बैठ गए हैं, उनको सच्ची बात कड़वी लगती है । हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है जिसने किसानों का 10 हजार रु0 तक का कर्जा माफ कर दिया है । आपको बजट में ' एलान करना चाहिये था कि आपने भी कर्जा माफ कर दिया है। जिन नौजवानों को आपने बेरोजगारी का भत्ता देने के लिए कहा था और रोजगार न देने पर बेरोजगारी का भत्ता देने का वायदा किया था, उनको दीजिये । केवल कहा न जाय बल्कि किया जाय । आज उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा लगता है कि पुरानी

सरकार और नयी सरकार में केवल लेबिल बदला है, बोतल वही है, शराब पुरानी है, वैसे ही सरकार चल रही है । जवाहर रोजगार योजना के अंदर जो पैसा दिया गया है, जो लोग बंटते थे, उनकी जांच करा लीजिए, उन्होंने जनता का पैसा अपनी जेबों में भर लिया है । आपने जनता के खजाने के पैसे का दुरुपयोग किया है । अत: भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें । जो कांग्रेस के रिजीम में भ्रष्ट अफसर थे, उनको आपने नहीं हटाया । 12 बजे रात को ट्रान्सफर हो गया, 1 बजे संशोधित करके दूसरी जगह कर दिया ।

आज प्रदेश के अन्दर हमने सरकार के गुण-दोश के आधार पर समर्थन की बात कही थी, हम किसी के गिरवीं नहीं हैं । कुछ लोग कहते हैं कि मंत्रिमण्डल बढ़या जाय, क्यों बढ़ाया जाय, उन्होंने 65 विभाग जिस सफलता और बहादुरी के साथ चलाय हैं, मंत्री बढ़ाने की जरुरत नहीं है । मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि पैंसठों विभाग लिये रहें । जब तक उनके हाथ में विभाग हैं, बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है । यह जो बजट प्रस्तुत किया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने . .

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

हमें खुशी है कि हमारे प्राईम मिनिस्टर इस संबंध में घोषणा करेंगे । आज उत्तर प्रदेश की सरकार के कान पर इस संबंध में कोई जूं नहीं रेंगती है । अब मैं, भा0 ज0 पा0 और हमारे दल के लोग देश को बचाने का कार्य कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 दीक्षित जी, आप माईक पर बोलें, माईक से हट कर आप जो बोल रहे हैं वह सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर हमारे सम्मानित मित्रों की भावना जो है उसका हम सब आदर करते हैं और हम भी चाहते हैं कि जनता दल की सरकार चले और जनता दल की सरकार को सुधारने के लिये हमने उसको सुझाव दिये हैं । मैं नहीं चाहता क्योंकि भा0 ज0 पा0 को इस सरकार से कोई लेना-देना है नहीं, इस सरकार से हमारी पार्टी बचन बद्ध है । भा0 ज0 पा0 को विपक्ष की भी कोई आवश्यकता नहीं है ।

आज उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में विरोधी दल का काम करने के लिये एक मजबूत प्रतिपक्ष होने की आवश्यकता है । इसलिये मित्रों, भा0 ज0 पा0 किसी की सहयोगी नहीं, किसी की चापलूसी नहीं, किसी का चमचा नहीं है, वह अपने सिद्धान्तों पर अडिग है । आपकी सरकार को सहयोग देने की भूमिका हम निभाते रहेंगे क्योंकि इसके लिये हम कृत्य संकल्प हैं ।

कांग्रेस पार्टी को देखिये, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने गलत काम किया [illegible] ने छोड़ दिया उनको, उनको इधर बैठा दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

मैं दो मिनट और कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप पहले और बहुत कह चुके ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बाराबंकी जनपद से आता हूं । मैंने कभी भी जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया है । मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र हैदरगढ़ में एक डिग्री कालेज खोला जाय और सम्पूर्ण क्षेत्र में हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण कराया जाय । इन्हीं चन्द शब्दों को कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री भोला पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे इस बजट की सामान्य चर्चा पर आपने बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । अगर, मगर की भाषा, किन्तु और परन्तु की भाषा में लिपटा हुआ यह 52 पेज का बजट भाषण भी पढ़ने का मुझे मौका मिला। सौभाग्यवश माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण भी सुनने का भी मुझे मौका मिला । इस बजट भाषण में चौधरी चरण सिंह, डाक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव आदि नेताओं के सिद्धान्तों पर चलने की बात कही है और इस तरह से उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया है । मैं जानना चाहता हूं कि बड़े समाजवादी लोग बैठे हैं, डा0 लोहिया जब तक जिन्दा थे, तब तक उन्होंने दल विहीन सरकार की कल्पना की थी, तो आपका बजट लोहिया का कैसे हो सकता है । दूसरे चौधरी चरण सिंह की बात की, जब तक वह जिन्दा थे, तब तक पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों में आस्था प्रकट किया । इस मुल्क के अन्दर औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास तो नेहरू जी ने किया है और किसी ने नहीं किया और नहरू जी की अवहेलना करके मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार ने महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह की आत्मा को ठेस पहुंचाया है ।

श्री ऊदल–

नेहरू ने सहकारिता के बारे में बहुत बड़ी पुस्तक लिखी थी और पूरे देश के अन्दर वह गयी । अगर कोई व्यक्ति था तो चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने उसके खिलाफ पुस्तक लिखकर प्रकाशित किया । तो कैसे उनकी नेहरू के प्रति आस्था हुई ।

श्री भोला पाण्डेय–

आर्थिक नीतियो के सम्बन्ध में, नेहरू जी की बड़ी स्पष्ट नीति थी और यही कारण था कि आजादी के बाद निरन्तर उनकी नीतियों पर चलते हुये उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ विकास के रास्ते मजबूत किये ।

माननीय नेता सदन यहां पर जब नेता विरोधी दल थे, तो हम दिल्ली में बैठकर पढ़ा करते थे, उनके भाषणों को । वह अपने भाषणों में कहा करते थे कि जब हम सरकार में आयेगें, तो पूरे देश के नवजवानों को रोजगार देगें, लेकिन प्रश्न काल में एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि हम किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने जा रहे हैं । और मौजूदा बजट के अन्दर भी नए रोजगार के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। जब यह सरकार स्थापित हुई, तो नियुक्तियों पर रोक लगा दिया और बेरोजगारी को बढ़ा दिया । निगमों को तोड़ दिया है, जिससे और बेरोजगारी बढ़ गयी है । बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में ताला बन्दी हो गयी और उनको बीमार घोषित करते हैं । इससे बेरोजगारी

बढ़ी है । औद्योगिक प्रतिष्ठानों को और कारखानों को जो व्यापारी और उद्योगपति बीमार घोषित करना चाहते हैं और उनके स्थान पर नये कारखाने लगाना चाहते हैं, उनको आप लाइसेंस न दें ।

मान्यवर, इस सरकार ने घोषणा की है कि कर्ज माफ कर दिया है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सच्चे माने में कर्ज माफ कर दिया है, तो अगर मगर की भाषा का प्रयोग क्यों किया गया है कि अगर 10 हजार होगा तो माफ करेंगें, अगर अक्षम होगा तो माफ करेंगें । तो इस तरह से धोखाधड़ी करके बजट पुस्तिका में कहा है कि निष्पक्षता कायम करगें । आपने कहा है कि गांव की ओर चलो, लेकिन उसका अर्थ है कि इटावा की ओर चलो । हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जनपद इटावा के कबीले गांव के हरिजनों को मुख्य मंत्री के भाई ने खदेड़ दिया और वहां पर कब्जा कर लिया और आप हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं ।

मान्यवर, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, मैं कहना चाहता हूं कि इटावा में कोई पुलिस कप्तान जाना नहीं चाहता है । इस तरह की कानून व्यवस्था आप की है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह की निष्पक्षता की बात करते हैं, जबकि मौजूदा मुख्य मंत्री ने विकास गोष्ठियों के नाम पर पूरे सूबे के अन्दर चुनाव प्रचार किया और वोटों की खरीद की और इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या किया मुख्य मंत्री के नेतृत्व में इस सरकार ने और आप कह रहे हैं कि हम एक निष्पक्ष वातावरण बनाना चाहते हैं । बजट भाषण में स्पष्ट कहा गया है कि हम साम्प्रदायिक सौहार्द की वातावरण बनायेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि यहां पर मजहब की भाषा नहीं मुहब्बत की जुबान चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि यहां पर संम्प्रदायिकता की बू, जातीयता और बिरादरीवाद की बू इस सरकार के मंत्रि-मण्डल के सहयोगियों द्वारा दिखाई दे रही है । स्थानांतरण के मामले को ही लीजिये । आज सुबह ही आपने देखा कि लाइसेन्स दिये जाने से सम्बन्धित एक सवाल का जवाब माननीय शतरुद्र प्रकाश जी दे रहे थे । मैं कहना चाहता हूं कि इटावा में ही मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में 54 लाइसेन्स प्रदान किये गये जिनमें 52 लाइसेन्स केवल मुख्य मंत्री की बिरादरी के लोगों को दिये गये हैं । आपकी सरकार ने कोई नई बात नहीं की, कोई नई योजनायें नहीं रखी । मुख्य मंत्री जी इस समय यहां पर बैठे नहीं हैं । साम्प्रदायिकता के खिलाफ जितनी मजबूती के साथ कांग्रेस के लोगों ने अपनी सरकार चलाई है उतना आपके पास हौसला और दिलेरी नहीं है । गोहम्मद आजम खां विकास के नाम पर भारत मां को डाइन कह सकते हैं तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यह सरकार इस प्रदेश का विकास करेगी । . . (व्यवधान) । मैं लोकतांत्रिक मान्यताओं की बात कह रहा हूं ।

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि बजट पर आलोचना हो, ठीक है लेकिन सदन में असत्य और अपुष्ट बात न कही जाय । इससे भ्रांतियां पैदा होगी और सदन गुमराह होगा । मान्यवर, जो कहा जा रहा है वह असत्य है और निराधार है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जिस माननीय सदस्य के बारे में कहा गया, वे बैठे हुये हैं वे इस बात को न असत्य और न अपुष्ट कह रहे हैं । माननीय मंत्री जी उनकी वकालत कर रहे हैं । इसका मतलब यह है कि वह इसको स्वीकार कर रहे हैं । . . (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जो मैं कह रहा हूं वह सत्य पर आधारित है और प्रमोद कुमार जी जो बात कह रहे हैं वह 88 की बात कह रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं जो बात कह रहा हूं वह 90 की बात कह रहा हूं । मैंने जो बात कही वह औचित्य की बात कही है क्योंकि जिनके बारे में बात कही गई है वे उसका प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब किसी का स्पष्टीकरण देना हो तो वह स्वयं कह सकते हैं। . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री भोला पाण्डेय–

इस बजट में गांवों की बात कही गई है। लेकिन वास्तविकता यह है त्रिपाठी जी, कि सत्ता को खेत और खलिहानों तक ले जाने के लिए किसने कहा था ? कांग्रेस ने कहा था और उसने किया भी है। किसानों की आप बात कह रहे हैं। जवाहर योजना को आप हटा दें, पंचायती राज व्यवस्था को खतम कर दें तो फिर आपके पास क्या रहेगा। यह सब कांग्रेस की ही देन है। आप कांग्रेस की लीक पर चल रहे हैं। कांग्रेस नहीं है। हमारी सरकार ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए कदम रूपी गंगा से निकले हुए नालों से वर्तमान सरकार नीतियों एवं विचारों को उधार ले रही है। कहते हैं कि गांवों में सम्पर्क मार्ग बनाने के लिए हमारे पास कोई योजना उठाये थे . . (व्यवधान)

एक सदस्य–

पेंशन के बारे में भी कहिये . . (व्यवधान)

श्री भोला पाण्डेय–

जो आपने पेंशन देने की बात कही है वह झूठी और थोथी घोषणायें आपने की हैं। करों को बढ़ा दिया है। जो घाटा दिखलाया है उसे आप करों से पूरा करेंगे। केवल अगर-मगर की भाषा ही इस बजट पुस्तिका में दी गई है। जो वायदा आपने लोगों से किये थे उनके साथ आपने वायदा खिलाफी की है। आपके सहयोगी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज केवल एक बिरादरी को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनकी जगह जगह पर पदोन्नति हो रही है, पोस्टिंग और स्थानान्तरण उन्हीं का हो रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम 110 के अन्तर्गत मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे जानकारी हुई है कि नगर विकास मंत्री की हालत काफी बिगड़ गयी है। पता चला है कि वह सरकारी हैलीकाप्टर पर अपनी महिला साथी के साथ आपके निर्वाचन क्षेत्र में गये थे, यह जानते हुए कि यह हैलीकाप्टर सरकारी है (व्यवधान) पायलैट ने कह दिया था कि आप उनको साथ न ले जायं (व्यवधान) वह हैलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वह अपनी महिला मित्र के साथ बद्रीनाथ गये थे। उनकी हालत में कहना चाहता हूं कि पता लगायें कि कैसी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह गलत है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी आप बैठें आपने जो सूचना दी है वह नियमों में नहीं आती है। आप नियमानुसार सूचना दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने चिन्ता व्यक्त की है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी संवेदन-विहीन हैं, कोई माननीय सदस्य घायल हो जाय या चोट खा जाय तो उसके प्रति ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो बात इन्होंने कही है वह गलत है और यह कार्यवाही में आ गयी है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री प्रमोद कुमार–

कार्यवाही से क्यों निकाला जाय। अगर कार्यवाही से निकाला गया तो सदन नहीं चलेगा। कोई मंत्री ऐसा काम करें, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी तो वह बात यहां आयेगी । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

*श्री शारदानन्द अंचल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है ने जो बजट पेश किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र है। माननीय मुख्य मंत्री जिन्होंने राज्य कोष का 51.30 प्रतिशत बजट में गांव के लिए देने का काम किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। उधर के लोग छोटे लोगों के खिलाफ हैं इसलिये उन्हें कष्ट हो रहा है कि बजट का 51.30 प्रतिशत गांव के लिए क्यों दिया गया। अगर यह पैसा शहर की तरफ जाता तो यह लोग खुश होते क्योंकि यह पूंजीपतियों के गुलाम हैं और उनके हक में पैसा देते रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने देहात के लोगों के लिये, उनके विकास के लिये, खेती के विकास के लिये, छोटे उद्योग धन्धों के विकास के लिये, सामान्य जीवन बिताने वालों के लिये राज्य कोष का 51.30 प्रतिशत पैसा दिया है इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, बधाई देना चाहिए विरोध पक्ष के लोगों को भी क्योंकि बहुत से मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री यहां आये लेकिन राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रति स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव ने किया है। जिन्होंने सख्त आदेश पूरे प्रदेश में भिजवाया कि हिन्दी राष्ट्रीय भाषा होगी और सारा काम हिन्दी में किया जाये, ऐसा करके उन्होंने बधाई देने काम किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हम लोग जब छात्र थे और उस समय जब राजनीति करते थे और बारहवीं कक्षा तक फीस माफी की मांग करते थे तो जेल भेजे जाते थे क्योंकि हम लोग समाजवादी नेता के रूप में कहते थे कि फीस माफ की जाये तो उधर के लोग जो अपनी कारनामों से आज विरोध पक्ष में बैठे हैं जब वह सत्ता पक्ष में होते थे तो हमारी मांग पर लाठियां चलवाते थे, गोलियां चलवाते थे लेकिन आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने कक्षा 12 तक फीस माफ करके समाज के तमाम लोगों को जो 12 कक्षा तक अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनको राहत देने का काम किया है। मान्यवर, चाहे गरीब हो, चाहे अपंग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो और चाहे किसी जाति का हो और विधवा किसी जाति की हो, इन सारे लोगों को हमारी सरकार ने 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये पेंशन करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के गरीबों का दिल जीत लिया है। आज हर गांव, घर और हर मोहल्ले में चर्चा है, खेत और खलिहानों में चर्चा है कि इस प्रदेश को पहला मुख्य मंत्री मिला है जो गरीबों का है, किसानों और निरीह लोगों का है जिसने अपने बजट में हमारे लिये व्यवस्था किया है।

मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी ने छोटे अखबारों को वर्ष भर में अनुदान स्वरूप 10 हजार रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की है इससे छोटे समाचार पत्र जो समाज की सही पीड़ा को समझते हैं उनकी सूचना देने का काम करते हैं उनकी आर्थिक हालत को सुधारने हेतु यह सराहनीय काम किया है।

इस प्रकार हमारे मुख्य मंत्री जी ने पूर्ण रूप से गरीबों के लिए यह बजट पेश किया है। मान्यवर, पहली बार गांव की ओर बजट चला है जबकि इसके पहले कांग्रेस सरकार चूंकि उनकी आस्था बड़े बड़े समाचार पत्रों, पूंजीपतियों, मिल मालिकों और शहर के लोगों के प्रति रहती थी चूंकि यह लोग चंदे के रूप में करोड़ों रुपये सरकार को देते थे इसलिये सरकार की आस्था इनके प्रति रहती थी और बजट का, सारा पैसा लगभग 75–80 प्रतिशत बजट का, मुंह इन बड़े-बड़े लोगों की ओर खोला जाता था और देहात का सारा पैसा लखनऊ में इकट्ठा होता था और इसके दरवाजे कानपुर और गाजियाबाद एवं बड़े बड़े शहरों की ओर खुलते थे एवं जन विरोधी काम किये जाते थे किन्तु उसको हमारे मुख्य मंत्री जी ने चुनौती दिया और गांव का बजट प्रस्तुत किया जो सराहनीय बजट है जिसका फायदा गरीब और बेसहारा लोगों को मिलेगा । मान्यवर, इस बजट की सभी को सराहना करनी चाहिए चाहे वह विरोध पक्ष के माननीय सदस्य हों या सत्ता पक्ष के चूंकि हम सभी गांव से चुनकर आते हैं और यदि आकर पूंजीपतियों की बात करेंगे तो गांव और देहात के लोगों के प्रति अन्याय होगा, मतदाताओं के प्रति अन्याय होगा। इसलिए उस अन्याय को न होने देने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव ने ऐसा बजट इस प्रदेश को दिया है, जिससे देहात के तमाम लोग यह समझें कि यह हमारी सरकार है, जनता की अपनी सरकार है, किसानों की अपनी सरकार है, मजलूमों और मजदूरों की अपनी सरकार है, विद्यार्थियों की अपनी सरकार है। किन्तु आपने तो सरकारी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाकर उनको बेरोजगारी और बेकारी के मुंह में धकेल दिया था। उन्हें आपने बेसहारा और असहाय कर दिया था, उनकी आशाओं पर और नौजवानी पर पानी फेर दिया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा करके कि हम नियुक्तियों

घर से प्रतिबन्ध हटा रहे हैं, हर नौजवान को खुश कर दिया है और आज वह हमारी सरकार के लिए खुशी से झूम रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव से पूर्व, गरीबों, हरिजनों ग्रामों और किसानों, विद्यार्थियों और मजदूरों के लिए जो जो वायदे किये थे उनको एक-एक करके इसमें पूरा कर दिया है, और आगे भी वह उनके विकास और प्रगति का कार्य करते रहेंगे। हम मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हैं कि यह बजट जो है वह बराबर चलता रहे, जिससे गांवों और देहात की खुशहाली होती रहे और वह प्रगति के मार्ग पर बराबर आगे बढ़ते रहें। इसके साथ मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवकरन सिंह–

मान्यवर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। जो 52 पन्नों की किताब इस बारे में है . . .

*श्री उदल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और मैं आपसे व्यवस्था यह चाहता हूं कि आप हमारी विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली को जरा निकाल लें और उसमें नियम 110 को आप देखें। नियम 110, जिस पर तिवारी जी को आपने बोलने की अभी इजाजत दे दी थी, उसको आप देखें, उसमें दिया हुआ है– बिना सूचना के प्रस्ताव, जो बिना लिखित सूचना के प्रस्ताव आपके पास, आपके समक्ष आ सकते हैं, उसमें किसी की मृत्यु हो जाए या बधाई, उसका प्रस्ताव हो, उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव, अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव, समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव, किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव (व्यवधान) इसमें 10 तरह की व्याख्यायें इसमें की गई हैं। तिवारी जी को जो नियम 110 में आपने प्रस्ताव रखने की अनुमति दी थी, वह इस नियमावली के इस नियम के विरुद्ध हुआ है। इसलिए उसको कार्यवाही से आप निकालने की कृपा करें, नहीं तो एक गलत परम्परा यहां पर पड़ेगी।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संवेदना का केवल यह अर्थ नहीं होता है कि किसी की मृत्यु हो जाए। दुर्घटना में कोई घायल हो जाए, तो उसके लिए भी यह संवेदना हो सकती है। यह किसी का अपमान करने या किसी को बदनाम करने की बात नहीं है। हमारी चिन्ता है, नगर विकास मंत्री के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मैं शुभ कामना देना चाहता हूं कि वह और उनकी महिला मित्र शीघ्र ठीक हो जाएं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं तो इस पर अपनी व्यवस्था पहले ही दे चुका हूं। उन्होंने नियमावली का हवाला देकर एक प्रश्न उठाया और जैसे ही उस मसले को उठाया, अपना भाषण करने लगे तो मैंने उन्हें टोक दिया और रोक दिया और कह दिया कि यदि आपको बोलना है तो इस तरह नहीं नियमों के अन्तर्गत ही बोलिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं फिर उनके लिए कामना करता हूं कि वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और हमारी यह चिन्ता मान्यवर, आप उन तक पहुंचा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री शिवकरन सिंह–

जो माननीय सदस्य हैं वह दुख प्रकट करने में भी अपने को अलग रखना चाहते हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी और उनके मित्र के स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं भेजी जानी चाहिए थी। मेरा भी संदेश भेजने की कृपा करें। मान्यवर, जो अभी किताब की चर्चा चल रही थी, मैं इसके बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। मान्यवर, वावन पन्नों की यह जो किताब है, यह नर्सरी की जैसी किताब है, चूंकि मुख्यमंत्री जी का यह पहला बजट है इसीलिए इसमें कांग्रेस के बजट की नकल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि "चलो गांव की ओर" लेकिन यह भूल गये हैं कि खाली नारा लगाने से काम नहीं चलता है। क्योंकि इनकी सरकार बनने से पहले पंचायत राज विधेयक, जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें यह उसको ठुकरा चुके हैं। तो हम यहां कैसे उम्मीद करें कि ये गांव की ओर चलेंगे। सरकार का यह नारा खोखला है। यह बजट जो उन्होंने दिया है संभवत: कभी उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। त्रिपाठी जी बोल रहे थे, पराग डेरी में से निकला मक्खन बिक रहा है, जल्द ही वह महंगा हो जायेगा। त्रिपाठी जी मक्खन की टिकिया लेकर सदन में आते हैं शायद मुख्यमंत्री जी खुश हो जायें और शपथ ग्रहण का नम्बर आ जाये। यह प्रक्रिया रोज चलती रही तो बजट यह महंगा कर देंगे ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय सदस्य से यह मैं जानना चाहता हूं कि इनके यहां परिपाटी है कि ये वृद्ध लोगों का आदर करना नहीं जानते हैं। कमलापति त्रिपाठी और उमाशंकर दीक्षित के प्रति यह आदर प्रकट करके दिखा चुके हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यदर, त्रिपाठी जी कांग्रेस शासन में जब मंत्री बने थे तो किस तरह से बने थे?

श्री शिवकरन सिंह–

त्रिपाठी जी की बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे देश के महान नेता नेहरू जी की आलोचना की गयी है । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सदन में जिसको वह श्रद्धांजलि देते हैं बाद में उसकी आलोचना करते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी की कथनी और करनी में यही सबसे बड़ा अन्तर है। जो स्वर्ग में हैं, जिनके पदचिन्हों पर देश चल रहा है, उनके लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किये हैं, मैं उनकी निन्दा करता हूं। उनको शर्म महसूस करनी चाहिए कि जो उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। कोई किसी भी दल का नेता हो, उसका सम्मान करता हूं। जो चले गये हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मान्यवर, मूर्तियों की स्थापना की जाती है। यह सरकार तमाम सम्मानित व्यक्तियों की मूर्तियां लगाती हैं। बाद में चील, कौंऐ उसको गन्दा करते हैं। आपको चाहिए कि आप बड़े-बड़े नेताओं के नाम पर अस्पताल बनवाएं, सड़कें बनवाएं, स्कूल बनवाएं जिसका जनता को लाभ मिल सके। मूर्तियां बनाकर चौराहों पर खड़ाकर आप उनको अपमानित करते हैं। हमारे जनपद के एक मंत्री एक मूर्ति का उद्घाटन करने गये थे जिसमें एक श्रमिक की मृत्यु हो गयी। मैं खेद प्रकट करता हूं। ऐसी व्यवस्था देने का क्या लाभ है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

आप कृपया स्पष्ट कर दें यहां गोविन्द बल्लभ पन्त की मूर्ति कांग्रेस शासन ने लगायी थी । क्या उनको अपमानित करने के लिए लगायी थी ?

श्री शिवकरन सिंह–

मान्यवर, यह सरकार लोहिया जी के पदचिन्हों पर चलने का दावा करती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि डा0 लोहिया कहते थे कि मूर्तियां न लगायें। जब उनके विचारों को आप मानते हैं, बार-बार उनका नाम लेते हैं तो उनका अनादर क्यों करते हैं? डाक्टर लोहिया जैसे बहुत देखे हैं कहकर आप अपने को अलग कर लें। जिस महान नेता के नाम को लेकर आप सरकार में आए हैं कम से कम उसकी बातों का आदर तो करिए। बाबा भीमराव अम्बेदकर साहब के नाम पर आप गांव में हरिजनों के आवास बनाने जा रहे हैं हम सबको खुशी है कि हमारे देश के संविधान का–

(व्यवधान)

आप उनको किसी बड़ी योजना से जोड़ते तो हम मानते। भ्रष्टाचार की बात आपकी सरकार करती है मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 7 सितम्बर, 1986 को इस सदन में जो उनके देश के नेता माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं को चोर और न जाने क्या-क्या आरोप लगाये थे–

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें।

श्री शिवकरन सिंह–

अभी टाइम नहीं हुआ है। मान्यवर, या तो वी0 पी0 सिंह को [xxx] यह लोग मान लें या फिर जो आपके सदन में मुख्तार अनीस जी बैठें हैं इनको [xxx] मान लें, मान्यवर, जिसको वी0 पी0 सिंह जी ने लगातार जेल में रखा दवाओं के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, उसी ग्रोशन कम्पनी के मालिक ग्रोवर को मुख्तार अनीस ने करोड़ों रुपये की दवाओं का आर्डर दे दिए हैं, तो यह बता दें कि मुख्तार अनीस [xxx] हैं या वी0 पी0 सिंह [xxx] हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाएं। आपका समय हो गया है।

श्री शिवकरन सिंह–

अन्त में मैं बजट की निन्दा करता हूं। और यह कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज ऐसी बजट में नहीं कही गई है जिससे गांव को लाभ मिल सके।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, [xxx] शब्द का प्रयोग जो इन्होंने किया है इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही को पढ़कर देख लेंगे अगर कोई इस तरह का शब्द होगा तो उसको निकलवा दिया जायगा।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शिवकरन सिंह–

मान्यवर, ग्रोवर भ्रष्ट है इसलिए कहा है ।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, बजट का 51 फीसदी गांव के विकास में खर्च होगा ऐसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों का 10 हजार तक का कर्जा माफ हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसानों को 10 हजार का कर्जा माफ होने की जो बात है इसमें मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि सीमान्त और लघु किसान और बुनकर तथा छोटे कारीगर जो हैं जिन्होंने कर्जे लिये हैं और छोटे कारोबार के लिए लिए हैं उनको बिना किसी शर्त के पूरा का पूरा माफ कर दिया जाए । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि वृद्ध जो 60 वर्ष के होंगे उनको पेंशन दी जाएगी। जो विकलांग होंगे उनको पेंशन दी जाएगी। और जो अनुदान की राशि 60 रुपये थी उसको बढ़ाकर सौ रुपये कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एलान किया कि जो भवन विहीन विद्यालय होंगे उनको भवनयुक्त कर दिया जाएगा। प्राइमरी पाठशालाओं की जो आवश्यकतायें हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। 100 ब्लाकों में कन्या पाठशालायें खोली जाएंगी। यह भी मुख्य मंत्री जी ने कहा है।–

मेरठ नारी निकेतन में संवासिनियों को बेचे जाने एवं उन्हें प्रताड़ित किये जाने तथा जिला उन्नाव पुरवा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की अनियमितता के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

राज किशोर जी आप जरा बैठें। आज पांच बज रहे हैं। आज दिनांक 20-6-90 को नियम–51 के अन्तर्गत मुझे 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री श्याम देवराय चौधरी दादा की सूचना को स्वीकार किया गया है जो मेरठ नारी निकेतन में संवासिनियों को बेचे जाने एवं उन्हें प्रताड़ित किए जाने के संबंध में है, श्री हृदय नारायण की सूचना जो शासन को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए दे दी गई है। राजकिशोर सिंह जी का भाषण कल जारी रहेगा। माननीय राज किशोर सिंह जी, आपका भाषण कल जारी रहेगा। आप ही कल प्रारम्भ करेंगे।

अब हम उठते हैं, कल प्रातः 11 बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

20 जून, 1990

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

जनपद वाराणसी में दिसम्बर 1989 से 31 मार्च, 1990 तक हुई हत्याएं, डकैतियां, लूट तथा अन्य किस्म के अपराधों का थानावार विवरण :—

क्रम-संख्या	नाम थाना	हत्या	डकैती	लूट	अन्य किस्म के अपराध
1	कोतवाली	1	---	---	49
2	आदमपुर	1	---	1	19
3	रामनगर	1	---	---	35
4	चौक	2	---	---	46
5	दशाश्वमेध	1	---	1	18
6	लक्सा	1	1	---	18
7	मेलूपुर	1	---	1	62
8	लंका	3	---	1	51
9	चेतगंज	2	---	6	60
10	सिगरा	5	1	4	125
11	मडुवाडीह	3	---	1	35
12	जैतपुरा	---	---	1	38
13	कैण्ट	2	1	---	133
14	शिवपुर	---	---	3	25
15	सारनाथ	---	---	---	32
16	मुगलसराय	---	---	---	19
17	अलीनगर	3	1	1	14
18	चन्दौली	1	1	2	32
19	सैयदराजा	2	1	1	41
20	धानापुर	1	---	---	19
21	धीना	2	1	---	11
22	सकलडीहा	1	1	---	13
23	बलुआ	1	---	1	25
24	चकिया	1	---	---	27
25	बबुरी	---	1	---	16
26	सहाबगंज	1	1	---	14
27	नौगढ़	---	---	---	7
28	रोहनियां	1	1	---	22
29	मिर्जामुदाद	3	---	2	41
30	जन्सा	3	1	---	36
31	चोलापुर	1	3	---	41
32	फूलपुर	1	---	1	22
33	बड़ागांव	---	---	---	28
34	चौबेपुर	2	1	---	52
35	ज्ञानपुर	---	---	1	34
36	औराई	---	---	---	3
37	मदोही	2	---	1	62
38	गोपीगंज	4	1	2	47
39	सुरियावां	---	1	2	26
40	कोइराना	---	---	---	5
41	चौरी	---	---	---	16

नत्थी 'ख'

(देखिए अता० प्र० सं० 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद उ० प्र० द्वारा प्राविधानित कार्य का विवरण :--

1--स्टेट वेटेरिनरी काउन्सिल के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का गठन करना। (धारा 45)

2---स्टेट वेटेरिनरी काउन्सिल का गठन करना (धारा 32)

3---प्रदेश में पशु चिकित्सा व्यवसाइयों का रजिस्ट्रेशन किया जाना, जो कि ऐक्ट के अधीन प्रथम एवं द्वितीय अनुसूचियों में उल्लिखित यूनीवर्सिटी/संस्थाओं से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक है। (धारा-24)

4---स्टेट वेटरिनरी प्रेक्टीशनर्स का रजिस्टर तैयार करना (धारा--44-2)

5---उक्त रजिस्टर को प्रदेश सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रकाशित करना (धारा--45-4)

6---निर्धारित शुल्क लेकर पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकों को स्टेट वेटेरिनरी रजिस्टर में पंजीकरण किये जाने की कार्यवही करना, यदि स्नातक के पास मान्यता प्राप्त यूनीवर्सिटी/संस्था से शैक्षिक योग्यता धारण करता है। (धारा--46)

7---प्रथमबार रजिस्ट्रेशन किये जाने के प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर निर्धारित शुल्क लेकर स्टेट वेटेरिनरी काउन्सिल के रजिस्टर में नाम अंकित करना (धारा--48)

8---ऐक्ट के अधीन स्टेट वेटेरिनरी काउन्सिल निर्धारित शुल्क लेकर किसी व्यक्ति का नाम पुनः स्टेट वेटेरिनरी रजिस्टर में अंकित करना (धारा-50))

9---प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में स्टेट वेटेरिनरी रजिस्टर को प्रकाशित करना।

(धारा--51)

अनुबंध 'ग'

(देखिए अता० प्र० सं० 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

उत्तर प्रदेश में कार्यरत अनुसूचित जाति के आई० पी० एस० अधिकारी तथा उनके तैनाती का विवरण:—

क्रमांक	नाम	आवंटन वर्ष	वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1	सर्वश्री प्यारे चन्द्र प्रसाद	1957	पुलिस उप महा निरीक्षक, पी टी सी–1 मुरादाबाद ।
2	राम आसरे	1960	पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3	चमन लाल पछौत	1962	निदेशक, अभियोजन, उ० प्र०, लखनऊ ।
4	श्रीराम अरुण	1963	पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन, कानपुर ।
5	राम प्रकाश सरोज	1964	पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष जांच (हरिजन सेल), लखनऊ ।
6	एम० कृष्ण राजु	1965	संयुक्त निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ ।
7	सुन्दर लाल	1966	पुलिस उप महानिरीक्षक, पी० ए० सी० मुख्यालय, लखनऊ ।
8	राम स्वरूप पुष्कर	1966	पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी ।
9	बिजेन्द्र कुमार सिंह	1966	विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10	चरन दास कैन्थ	1966	पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, लखनऊ ।
11	राधे श्याम	1967	पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली ।
12	चरन दास प्रेमी	1968	पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद ।
13	जंगी सिंह	1969	पुलिस उप महानिरीक्षक, पी० ए० सी० विशेष सेवा, लखनऊ ।
14	हाकम सिंह	1969	पुलिस उप महानिरीक्षक, पी० ए० सी०, उत्तरी सेक्टर, लखनऊ ।
15	छोटे लाल	1970	संयुक्त निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
16	अशोक कुमार सिंह	1971	पुलिस अधीक्षक, ई० ओ० डब्लू०, मेरठ ।

1	2	3	4
17	सरबन राम दारापुरी ..	1972	सेनानायक, 34 वीं वाहिनी, पी0 ए0 सी0, वाराणसी।
18	चमन लाल ..	1973	संयुक्त निदेशक (प्रशासन), अभियोजन निदेशालय, लखनऊ।
19	जितेन्द्र कुमार ..	1974	पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20	इन्दर सिंह मेहरा ..	1974	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।
21	शिवनाथ चक ..	1974	सेनानायक, 28वीं वाहिनी, पी0 ए0 सी0, इटावा।
22	श्रीमती सूरज कौर मेहरा ..	1974	पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
23	प्यारे लाल ..	1975	पुलिस अधीक्षक इंचार्ज, रिसर्च आई0 बी0 तकनीकी सेवायें, लखनऊ।
24	होशियार सिंह बलवारिया ..	1976	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़।
25	हर भजन सिंह ..	1976	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
26	रती राम ..	1976	पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
27	प्रकाश सिंह ..	1976	सेनानायक, 41वीं वाहिनी, पी0 ए0 सी0, गाजियाबाद।
28	राम लाल राम ..	1976	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, आगरा।
29	बृज लाल ..	1977	सेनानायक, 20वीं वाहिनी, पी0ए0 सी0, आजमगढ़।
30	रामेश्वर दयाल ..	1977	पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
31	मलकियत सिंह ..	1977	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।
32	जगदीश चन्द्रा ..	1977	पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच प्रकोष्ठ (हरिजन सेल), लखनऊ।
33	बासदेव लाल ..	1977	पुलिस अधीक्षक, खाद्य प्रकोष्ठ, लखनऊ।
34	बंसी लाल ..	1977	उप प्रधानाचार्य, पी0 टी0 सी0-2, मुरादाबाद।
35	कश्मीर सिंह ..	1978	पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
36	बिजेन्द्र सिंह ..	1978	पुलिस अधीक्षक, बलिया।
37	शिव नरायन सिंह ..	1979	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, बरेली।
38	विजय सिंह ..	1981	पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना, लखनऊ।
39	राम देव ..	1982	सेनानायक, 30 वीं वाहिनी, पी0 ए0 सी0, गोण्डा।

1	2	3	4
40	गुरु वचन लाल	1983	पुलिस अधीक्षक, टेहरी गढ़वाल।
41	गुरुदर्शन सिंह	1984	अपर पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।
42	हरीश चन्दर	1985	अपर पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
43	सुजान वीर सिंह	1986	सहायक पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
44	विजय कुमार	1988	सहायक पुलिस अधीक्षक (परिवीक्षाधीन), शाहजहांपुर।
45	बंगाली बाबू जाटव	वरिष्ठता निर्धारित नहीं	पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच, लखनऊ।
46	बुद्ध चन्द	तदैव	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालौन।
47	पुत्तू लाल	तदैव	पुलिस अधीक्षक, वि0 अनु0 शाखा, सहकारिता, लखनऊ।
48	राम अधार	तदैव	पुलिस अधीक्षक, ई0ओ0डब्लू0, लखनऊ।
49	राम निवास कठेरिया	तदैव	पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।
50	चन्द्र मणि प्रसाद	तदैव	पुलिस अधीक्षक, सी0 बी0 सी0 आई0 डी0, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के अधिकारी

1	2	3	4
	सर्वश्री		
1	जमना लाल वर्मा	1963	पुलिस महानिरीक्षक, विशेष जांच, (हरिजन सेल), लखनऊ।
2	कविराज नेगी	1976	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
3	कन्हैया लाल मीना	1983	पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
4	गोपाल लाल मीना	1987	सहायक पुलिस अधीक्षक, झांसी।
5	बृज राज	1988	सहायक पुलिस अधीक्षक (परिवीक्षाधीन), बुलन्दशहर।

अनुसूची 'घ'

(देखिए अता० प्र० सं० 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

संलग्नक --1

वर्ष 1987-88 का निष्पादित एवं वित्तीय प्रगति का विवरण

कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, डी० पी० ए० पी० 0, बलरामपुर, जनपद गोण्डा।

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	जलसमेट क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का विवरण						कुल व्यय
				जा० पी० 0 संख्या	सी० डी० 0 संख्या	तालाब संख्या	जलसंचय बंधी संख्या	पक्की संरचना संख्या	सी० बी० 0 कि० मी० 0	रुपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हरैयासतघरवा	बहदिनवा	परसपुर द्वितीय	3	---	---	---	---	---	14,363.50
2	,,	,,	बेलवा प्रथम	---	---	---	---	1	---	14,841.00
3	,,	,,	मंझगांवा	---	---	---	1	---	---	81,972.00
4	तुलसीपुर	पियरा	बनगाई द्वितीय	7	---	---	---	---	---	95,709.00
5	,,	,,	चौहत्तरकला प्रथम	15	---	---	---	---	---	2,93,070.00
6	,,	,,	,, द्वितीय	16	---	---	---	---	---	1,75,510.00
7	,,	,,	सोनपुर द्वितीय	6	---	---	---	---	---	1,16,546.00
8	,,	,,	नयानगर	12	---	---	---	---	---	1,48,976.00
9	,,	सिरिया	चयनपुर द्वितीय	---	---	---	---	2	---	8,63,90.90
10	,,	,,	बेलां कलां	---	---	---	1	---	---	1,16,863.00
11	,,	,,	परसपुर करौंदा प्रथम	2	---	---	---	2	---	1,11,089.00
12	,,	,,	परसपुर करौंदा द्वितीय	2	---	---	---	1	---	77,833.50
			योग	63	---	---	2	6	---	1333164.90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक-- ·2

वर्ष--1988-89 में निष्पादित एवं वित्तीय प्रगति का विवरण

कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, डी0पी0ए0पी0, बलरामपुर, जनपद--गोण्डा।

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	जलसमेट क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का विवरण						कुल व्यय
				जी0पी0 संख्या	सी0डी0 संख्या	तालाब संख्या	जलसंचय बंधी संख्या	पक्की संरचना संख्या	सी0सी0 कि0मी0	रुपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	तुलसीपुर	पियरा	चौहत्तर कलां द्वितीय	1	--	--	--	--	--	9000.00
2	,,	,,	चौहत्तर कलां प्रथम	5	1	--	--	1	--	1,72,000.00
3	,,	,,	बनगाई द्वितीय	2	1	--	--	--	--	75,000.00
4	,,	सिरिया	बेलो खुर्द	8	--	--	--	--	--	1,55,000.00
5	,,	केहर	जमुनी महादेव	1	--	--	--	1	--	95,000.00
			योग..	17	2	--	--	2	--	5,06,000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक -3

वर्ष 1989-90 में प्रस्तावित/निष्पादित एवं अवशेष कार्य का विवरण
कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, डी0पी0ए0पी0, बलरामपुर (गोण्डा)

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	परियोजना का नाम	प्रस्तावित कार्य का विवरण				
			सी0डी0 कि0मी0	जी0पी0 संख्या	सी0डी0 संख्या	पक्की संरचना संख्या	सी0डी0 कि0मी0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तुलसीपुर	चौहत्तकलां प्रथम	—	1	—	—	—
2	,,	जुनोगुहरिया	—	—	1	—	—
3	,,	लाल नगर द्वितीय	—	—	1	—	—
4	,,	जुनी बरदहा	—	—	1	1	—
5	,,	बनगाई बदल पुर	—	—	1	1	—
6	,,	लाल नगर प्रथम	—	—	1	1	—
7	,,	चौहत्तर कलां द्वितीय	—	1	—	—	—
8	,,	बेलीखुर्द आजादनगर	—	—	1	1	—
9	,,	बेनीखुर्द अर्जुनपुर	—	—	1	2	—
10	हरैयासतघरवा	हसनापुर	12.20	2	—	—	12.00
11	,,	देवपुर	10.50	2	—	—	10.50
12	,,	ठाकुरजोत प्रथम	9.10	3	1	1	9.30
13	,,	ठाकुरजोत द्वितीय	3.55	3	—	—	1.00
14	,,	उदईपुर द्वितीय	3.50	5	1	1	2.91
15	,,	उदईपुर प्रथम	—	—	4	2	—
16	,,	सोनपुर प्रथम	1.76	3	1	—	1.76
17	,,	सहजना	4.03	4	1	1	4.05
18	,,	मितवरिया	2.85	2	—	—	2.85
19	,,	सोनपुर द्वितीय	2.06	2	1	1	2.06
20	,,	मंझगांवा	—	—	1	1	—
21	,,	मंझगांवा गुगौली प्रथम	—	—	2	2	—
22	,,	मंझगांवा गुगौली द्वितीय	—	—	2	2	—
		योग	49.55	28	21	17	47.21

निष्पादित कार्य का विवरण				अवशेष कार्य का विवरण			प्रस्तावित घनराशि (लाख रु0 में)	मुगतान की गई घनराशि (लाख रु0 में)	कार्यग्राही हेतु अवशेष घनराशि लाख रु0 में)
जी0पी0 संख्या	सी0डी0 संख्या	पक्की संख्या	सी0बी0 संख्या	जी0पी0 संख्या	सी0डी0 संख्या	पक्की संरचना संख्या			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	---	---	---	---	---	---	0.56	0.56	---
---	1	---	---	---	---	---	0.90	1.00	---
---	1	---	---	---	---	---	0.74	0.51	---
---	1	---	---	---	---	1	0.88	0.55	0.25
---	1	---	---	---	---	1	0.89	0.71	0.18
---	1	1	---	---	---	---	0.84	8.98	---
1	---	---	---	---	---	---	0.27	0.33	---
---	1	---	---	---	---	1	1.65	1.32	0.23
---	1	2	---	---	---	---	1.20	1.18	---
2	---	---	---	---	---	---	1.12	1.15	---
2	---	---	---	---	---	---	8.82	0.05	---
3	---	---	---	---	1	1	1.32	1.30	0.35
3	---	---	1.75	---	---	---	0.98	8.47	0.10
3	1	---	0.59	2	---	1	1.50	1.23	0.67
---	4	---	---	---	---	2	2.30	1.33	0.67
3	1	---	---	---	---	---	1.54	1.53	---
4	---	---	---	---	1	1	1.35	1.19	0.35
2	---	---	---	---	---	---	0.66	0.45	---
2	---	---	---	---	1	1	1.36	8.49	0.87
---	1	1	---	---	---	---	0.80	0.80	---
---	2	2	---	---	---	---	1.81	1.81	---
---	2	2	---	---	---	---	1.00	1.00	---
26	18	8	2.34	2	3	9	23.61	19.94	3.67

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता० प्र० सं० 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 49 पर)

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के उन आबाद ग्रामों की सूची जिनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है।

क्रमांक	ग्राम	कोड संख्या	क्रमांक	ग्राम	कोड संख्या
1	रामपुर	668	38	कैथपलिया	59
2	छपिया मझरिया	687	39	पिपरा	63
3	बढ़या	92	40	पगारखास	64
4	गोपो	94	41	बरोहियाकल्प	65
5	घोवरहरा गोंचना	95	42	बैसवलिया	66
6	कोन्हखा	99	43	बैसवलिया पायोराम सी	67
7	बैदा खुर्द	700	44	मोहनाखोर	68
8	बढ़ौनी उर्फ शिवपुर	702	45	मसजिदिया	69
9	हुण्डसैमन	5	46	बेईखोर उफ पपुआखोर	70
10	तुरकौलिया बरगाह	7	47	मदुरा उफ बाघा	71
11	कवरा खास	8	48	फडसरी	72
12	परसा कोन्ह	9	49	पड़ईप	73
13	मेढ़ा मझरिया	10	50	सिकरी बरगाह	74
14	सेड़ा	11	51	करचो	77
15	हरिहरपुर	12	52	लोहरो	78
16	अखन हरा	3	53	खरहान	79
17	पिकौरा शुक्ल	14	54	महोसना	80
18	छितौनो	15	55	वेहिल	81
19	पिपरा शुक्ल	17	56	दिकरौली	82
20	बेलसही	718	57	अमरडोभा	84
21	ससना	19	58	चैतपुर	85
22	हसुना देवरी	21	59	खरकापुर उर्फ छबिहला	86
23	झुडरा	22	60	मझौवा	90
24	घोराखोर सी	41	61	मुनकौरा खुर्द	91
25	कठौवा	42	62	पिपरा	92
26	मिटहा	44	63	सिरौली	93
27	पुरा बढ़गांव	46	64	गुमनारी	95
28	बढ़गांव खास	47	65	विंसवा	98
29	डड़वा लबुनही	43	66	बैदाकला सा	99
30	रनैता उर्फ भदाई	50	67	सिहरिवा	00
31	सेमरा	52	68	गुलहरिया सिरका डी	01
32	भरोहियाजोत	53	69	परासी	2
33	मुरादपर उर्फ बेनरई	54	70	जगदीशपुर	3
34	गहवर जोत	55	71	टिकरिया महुआपार	4
35	बेलसर	56	72	हिल्लौरनगर	5
36	थरौली	57	73	छिछापार	6
37	कंचनपुर	58	74	अमानाबाद	8

1	2	3	1	2	3
75	पढ़रो	9	119	कनउघा	68
76	असईपार देवरही	10	120	अशरफपुर	70
77	अहिरौली	11	121	गनगौरा	71
78	गंगहरो	13	122	गढ़कुना उर्फ गनकोरी	72
79	जय विजय	15	123	पथरो	73
80	एकमा	16	124	टिखरा कंदनी	78
81	खन्ता ससना	17	125	घूथुइपा	79
82	अरौल	18	126	विषधापार	80
83	बर्री	19	127	आमकोइल	81
84	लगुनही	20	128	छतौरा	82
85	ए कडंगो	21	129	सूरापुर	84
86	नगरा बौड़ीहार	22	130	जोतपुरनपुर	85
87	परसवा	23	131	दौलतपुर	86
88	सोनखर	24	132	कोनो	87
89	भगवानपुर	25	133	नरई	89
90	कोरउखास	26	134	रऊतापार	91
91	जगुई	29	135	बकइनिया	92
92	गोविन्दपुर टी	30	136	कुडया	93
93	चकमुबारक	31	137	बाघापार	94
94	सोनखर फिरोजपट्टी	32	138	गौरो	डी 95
95	पगार	34	139	अनयाखोर	96
96	देवकंडा	35	140	शंकरपुर	01
97	सिकार खुर्द	36	141	कथरूआ	02
98	गरौना	37	142	बेजोपुर	3
99	बाघोपार	41	143	सजहरा	3
100	लहापार	42	144	अकेला	4
101	खामोखर	43	145	दुवौलो खुर्द	6
102	मुरादपुर	44	146	दुवलो कला	7
103	रामपुर	45	147	मकदुमपुर	8
104	हर्रया	46	148	अमरौना	9
105	गुलहरिया	47	149	देवकली	10
106	चकदुल्हन उर्फ दडिया	50	150	खटिका	12
107	रउता	52	151	कनेहटो	13
108	फैलवा	53	152	खरौहो	14
109	मरवटिया उर्फ जोगिया	56	153	भगवंत पट्टी	15
110	वसौको	57	154	कड़जो	16
111	खिरौहा	58	155	रामपुरवा	17
112	हनन्ता	59	156	सौनौरा	18
113	देवरहो	60	157	घौवरा	19
114	सिघरा	डी 62	158	सुरसा	20
115	थलहापार	63	159	जिगिनिया	21
116	चिउराकोर	64	160	मदरा	23
117	घूमनाखोर	66	161	करवनिया	24
118	बढ़नो	67	162	गागरगड़	25

संलग्नक "अ"

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 103 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 68 पर)

अनुपूरक सामग्री

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के लिए पहले बुधवार के लिए निर्धारित श्री राम वचन घुसिया का अता0 प्र0 संख्या 103।

वर्ष 1989-90 में मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लाक के विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों की सूची

क्रम- सं0	ग्राम के नाम	क्रम सं0	ग्राम के नाम
1	जोगनपुर	17	इटौरा
2	एकला प्रान	18	सिकरिया
3	ताजपुर	19	बढ़या
4	नुरुद्दीनपुर	20	दौलतपुर
5	साहूपुर	21	पिन्डोहरी
6	गोहटा	22	मखना
7	गहनी	23	रजडीहा
8	कुबरीडीह	24	पकरहुआ
9	सकरा	25	कुड़वा
10	मऊकुवेर	26	मलपुर लोहराई
11	पिरासाद	27	भीमहर
12	गाढ़ा	28	समनपुरा
13	सिधवल	29	चकभिखारी
14	बड़ागांव	30	कोन्धिया
15	मझौली	31	थैचा
16	खूंटी	32	टगुनभार

क्रमांक 1 से 6 वर्ष 1989-90 में विद्युतीकृत

चन्द्रशेखर राय,
अधिशासी अभियन्ता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0सं0 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

उन ग्रामों की सूची जिनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है:--

विकास खण्ड--मानिकपुर, जनपद बांदा (उ0प्र0)

क्रमांक	ग्राम का नाम	कोड नम्बर	जन-संख्या	क्रमांक	ग्राम का नाम	कोड नम्बर	जनसंख्या
1	2	3	4	1	2	3	4
1	अतरौली	277	344	35	रुकमा खर्द	327	1585
2	कुई	279	525	36	छेरिया बुगुर्ग	328	145
3	अकबरिया	280	263	37	करका पड़ारिया	329	961
4	चकगौरा	281	113	38	बहिलपुरवा	330	101
5	देवकली	282	660	39	झीलंग	331	92
6	जमहिली	283	335	40	मडैयन	332	2195
7	अजौरा	284	18	41	कैलहा	333	1022
8	कोटिलहाई	287	622	42	रुकमा बुजुर्ग	334	2118
9	बघौड़ा	288	361	43	ददरी माफी	335	1376
10	अहिरा	289	618	44	टिकरिया जमुनिहाई	336	813
11	बापा	291	327				
12	पैकौरामाफी	292	361	45	मनगवां	337	656
13	धान	293	301	46	गुरसहाय	338	63
14	घुसुर्रा	295	गैरआबाद	47	इटवा डुडैला	339	2858
15	कैरीकटनासा	296	40	48	बम्मियां	340	369
16	बराछी	298	470	49	कुसुमी	341	131
17	बटखुरा	299	164	50	डोंडामांफी	342	586
18	गोरिया	300	611	51	मेड़ा	343	347
19	देसाह	301	148	52	मारकुण्डी	344	231
20	गहोरा खास	302	319	53	अमजुरनेरुआ	345	267
21	गहोरा पाही	303	137	54	किहुनियां	346	1745
22	लौढ़िया माफी	304	353	55	कुलमार परासिन	347	गैर आबाद
23	कौबरा	305	2122	56	छैरिहा खुर्द	348	762
24	अगरहुण्डा	306	1936	57	जारोमांफी	349	592
25	ओड़कीमांफी	308	443	58	चितघटा	350	65
26	बसावनपुर	310	182	59	कल्यानपुर	351	849
27	अरवारा	311	745	60	ठर्री	352	33
28	पाहकजारी	312	276	61	सहलवार	353	गैर आबाद
29	तख्तूपुर	314	181				
30	गढ़ी खुर्द	316	151	62	पेड़रीमांफी	354	2
31	गढ़ी कलां	319	308	63	महुली	355	गैर आबाद
32	चरदहा	321	496				
33	हनुआं	323	1742	64	बराहमांफी	356	1032
34	रमपुरिया	325	108	65	नन्दबनियां	357	90

1	2	3	4	1	2	3	4
66	चूल्ही	358	80	77	उमरी	371	334
67	बरहेना	359	22	78	खिचरी	372	341
68	रामपुर कल्याणगढ़	360	854	79	चुरैहीकेसरुआ	375	2331
69	नागर	361	481	80	उल्दन	377	गैर आबाद
70	चकशेखपुर	362	गैर आबाद	81	पाड़ा	378	84
71	शेखापुर	363	234	82	ऊंचाडोह	382	2432
72	करौंहा	364	794	83	कोटा बड़ैला	383	1282
73	मानिकपुर रुरल	365	6	84	मऊ गुरदरी	384	398
74	झरी	368	18	85	जिगनबाह	386	21
75	सहडोल	369	गैर आबाद	86	डभवार	387	25
76	जवरदन्ता	370	गैर आबाद	87	कुबरी	388	100

एस0 के0 चतुर्वेदी,
अधिशासी अभियन्ता,

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 80 पर)

तालिका-(1)

वर्ष	वेतन	टी0 ए0	पेट्रोल	अन्य व्यय
1984-85	152839-66	23727-99	12500-00	46435-95
1985-86	207565-78	35670-15	14000-00	43806-41
1986-87	217000-22	33180-09	15500-00	68900-27
1987-88	253621-16	38618-42	16000-00	193885-44
1988-89	285489-45	29769-25	20000-00	93829-23
1989-90	311088-92	63760-46	14000-00	47902-15

तालिका-(2)

वर्ष	प्रवर्तन दल द्वारा परिषद् को लाभ	प्रवर्तन दल पर परिषद् का खर्च
1984-85	4,94,390-75	2,35,503-60
1985-86	54,86,619-53	3,01,042-34
1986-87	8,61,46,803-95	3,34,580-58
1987-88	5,30,75,623-05	5,02,125-02
1988-89	1,58,15,205-46	4,29,087-93
1989-90	1,80,90,206-32	4,36,751-53

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 242 विधान सभा (414)-1990-813 ।